

वित्तीय वर्ष 2024-2025
चतुर्थ वार्षिक रिपोर्ट एवं वित्तीय विवरण



सामर्थ्या मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
(CIN: U01100UP2022PTC161571)



सामर्थ्या के मूल्य, ध्येय और दीर्घ दृष्टि

- ईमानदारी
- परस्पर सम्मान
- संस्था का हित सर्वोपरि
- उच्च गुणवत्ता
- सच्चाई
- ज़िम्मेदारी
- पारदर्शिता



सामर्थ्या मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी अपने सभी दूध उत्पादक सदस्यों से गुणवत्ता युक्त दूध का नियमित संग्रहण कर उचित मूल्य पर दूध का भुगतान नियत समय पर करेगी एवं संरक्षणता के आधार पर सदस्यों को अपने अर्जित लाभ से लाभांश देगी। कंपनी अपने कार्यक्षेत्र में दूध उत्पादन और उत्पादकता की वृद्धि एवं लागत खर्च कम करने के लिए तकनीकी सुविधा प्रदान करेगी। कंपनी अपने सदस्यों के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए कृतसंकल्प है।



सामर्थ्या मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी अपने मूल्य एवं ध्येय का पालन करते हुए उत्तर भारत की डेयरी कंपनियों में प्रथम स्थान प्राप्त करेगी और अपने कर्मचारियों एवं कार्यक्षेत्र के दूध उत्पादकों की पहली पसंद बनेगी। कंपनी राष्ट्रीय स्तर पर महिला सशक्तिकरण में अपने योगदान के लिए जानी जाएगी।

निदेशक मंडल

31 मार्च 2025 को स्थिति

चतुर्थ वार्षिक आम बैठक 2024-2025

नाम	डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर	पद
श्रीमती लक्ष्मी देवी	(DIN : 09554762)	अध्यक्षा एवं निदेशक
श्रीमती कुमकुम	(DIN : 09554864)	निदेशक
श्रीमती तेज कुमारी	(DIN : 09554761)	निदेशक
श्रीमती अनामिका	(DIN : 09554865)	निदेशक
श्रीमती चांदनी	(DIN : 09554863)	निदेशक
श्रीमतीनेहा सिंह	(DIN : 10628096)	निदेशक
श्रीमतीकृष्णा सिंह	(DIN : 10628106)	निदेशक
श्रीमती संजू वर्मा	(DIN : 10628125)	निदेशक
श्रीमती पुनीता	(DIN : 10628136)	निदेशक
श्रीमतीअंजना	(DIN : 11218527)	निदेशक
श्रीमतीसुषमा देवी	(DIN : 10628125)	निदेशक
डॉ प्रशांत माण्डव्य	(DIN : 09718702)	मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक
डॉ रघु हासन मल्लेगौड़ा	(DIN : 03159741)	विशेषज्ञ निदेशक
डॉ चीनू सोदी	(DIN : 10761410)	विशेषज्ञ निदेशक

बैंकर्स:

स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया, रायबरेली

एच.डी.अफ.सी.बैंक लिमिटेड, रायबरेली

आई.सी.आई.सी.आईबैंकलिमिटेड, रायबरेली

फेडरलबैंकलिमिटेड, रायबरेली

पंजाब नेशनल बैंक, रायबरेली

उद्भव प्रताप सिंह

(कंपनी सचिव)

सुजीत कुमार चौधरी

(मैनेजर फाइनेंस)

रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट

बीटल फाइनेंस एंड कंप्यूटर सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड

बीटल हाउस, तीसरी मंजिल, 99 मदनगरी, नई दिल्ली 110062

वैधानिक अंकेक्षक

मेसर्स अजय गोयल एंड कंपनी

लखनऊ

आंतरिक अंकेक्षक

मेसर्स एन्स्ट एंड रंग

नई दिल्ली

पंजीकृत कार्यालय

द्वितीय तल, गाटा संख्या 466, 466/2, 466

एमआई/29, 30 एमआई,

ग्रामअखित्यारपुर/अहमदपुर, नजूल(बूम्बैया कोठी),
तालुका-सदर, रायबरेली, उत्तर प्रदेश, भारत-229001

ईमेल: info@saamarthyamilk.com

दूरभाष : +91-7317715550

अनुक्रमाणिका

विवरणपृष्ठ संख्या

1. निदेशकों की रिपोर्ट	03-11
2. स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट और अनुलग्नक	12-19
3. अंकेक्षितवार्षिक लेखा विवरण	
क. 31 मार्च, 2025कावित्तीय स्थिति विवरण	20-21
ख. 31 मार्च, 2025के लिए लाभ- हानि खता	22-23
ग. 31 मार्च, 2025 रोकड़ प्रवाह विवरण	23-23
4. नोट्स जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा है	24-48
5. वार्षिक आम बैठक की सूचना और इसके अनुलग्नक	49-64
6. प्राविष्टी फॉर्म	65-67
7. उपस्थिति पर्ची	68-68
8. पावती	68-68

अध्यक्षा का संदेश



प्रिय साथियों

सादर नमस्कार,

आप सभी जानते हैं - हमारी कंपनी के गठन का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को रोजगार प्रदान करते हुए उन्हें स्वावलम्बी बनाना रहा है, जिससे वह अपने घर परिवार के भरण पोषण में योगदान दे सके, उनके जीवन स्तर में वृद्धि हो सके, अपने भविष्य को सवांरते हुए समाज और विकास के निर्णयों में अपनी सहभागिता दे सके। अपने गठन के समय से ही कंपनी अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कृत संकल्पित रही है, मात्र ढाई साल के कार्य सञ्चालन में कार्य क्षेत्र के 1500 से अधिक गांव में दुग्ध संकलन केंद्र स्थापित कर एक लाख महिला दुग्ध उत्पादकों को कंपनी से जोड़ने का कार्य किया गया है। उनके द्वारा आपूर्तित दूध का मूल्य भुगतान सीधा उनके बैंक खातों में किया जा रहा है। कार्य सञ्चालन में पूर्ण पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व की जो परम्परा संस्था में निहित है यह हमारे भविष्य के लक्ष्यों को पूरा करने में सहायक होगी। दुग्ध उत्पादकों के बीच हमारी स्वीकार्यता यह दर्शाती है कि दुग्ध उत्पादकों के हित में लगातार किये जा रहे प्रयासों और हमारी नीतियों पर दुग्ध उत्पादकों का विश्वास बढ़ा है।

आप सबके कठिन मेहनत और लगातार प्रयास से ही यह संभव हो सका कि संस्था प्रतिदिन लगभग 3.5 लाख लीटर दूध का संग्रहण कर पा रही है, जिस तरह आप सब अपने दुग्ध व्यवसाय और पशुपालन में वृद्धि कर रहे हैं, पशु प्रबंधन के नये तौर तरीके अपना रहे हैं, वह प्रशंशनीय है। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ - संस्था की पशुचिकित्सकों की टीम इस कार्य में आपके साथ है और निरंतर वह इसी तरह पशुपालन और पशु प्रबंधन के सभी सहज व वैज्ञानिक तकनीकी से आपको अवगत कराते रहेंगे। जिनको अपनाकर आप अपने पशुधन का सही रख-रखाव करते हुए ज्यादा से ज्यादा उत्पादन प्राप्त करने में सफल रहे।

साथियों, हमारी संस्था निरंतर दुग्ध उत्पादकों के हित में कार्य करते हुए प्रगति के पथ पर अग्रसर है, निसंदेह इस उपलब्धि के पीछे आप सभी का बहुमूल्य योगदान है। साथ ही साथ संस्था के मुख्य कार्यकारी तथा सभी कर्मचारियों की कठिन मेहनत एवं लगनशीलता भी मुख्य कारक रही है। टीम सामर्थ्या के रूप में एकजुट हो कर, सही दिशा में कुशल नेतृत्व के सञ्चालन में सतत प्रयास कर, परिश्रम कर - संस्था को इतने कम समय में इतनी उपलब्धिया अर्जित करने के लिए मैं आपसभी की ओर से मुख्य कार्यकारी एवं हमारी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मेरा विश्वास है कि संस्था के कर्मचारी भविष्य में भी इसी तरह कार्य कर संस्था को प्रगति के रास्ते में लेकर जायेंगे।

आप सभी के सहयोग एवं मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

आपकी शुभेच्छु

ह. /-

श्रीमती लक्ष्मी देवी

अध्यक्ष / निदेशक

मुख्य कार्यकारी का संदेश



प्रिय, समस्त सामर्थ्या परिवारजन

सामर्थ्या मिलक प्रोड्यूसर कंपनी की चतुर्थ आम सभा में आप सभी सदस्यों का हार्दिक अभिनन्दन करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है। वित्तीय वर्ष 2024-2025 में कंपनी ने कुल रु 564.94 करोड़ का व्यपार किया और कुल लागत रु 552.20 करोड़ रही। कंपनी के निदेशक मंडल ने आपके द्वारा लिए गए समता अंशों पर रु 10 प्रति अंश की दर से समितित लाभांश (डिविडेंड) देने की अनुशंसा की है।

इस वर्ष सामर्थ्या एमपीसी ने जो ऐतिहासिक उपलब्धियां अर्जित की हैं, वह पूरी तरह से आप सभी के अथक परिश्रम, सहयोग और अटूट विश्वास का परिणाम है। यह वर्ष हमारे सामूहिक सपनों, संघर्ष और अभूतपूर्व सफलता की एक ऐसी गाथा है, जिस पर हम सभी को सचमुच गर्व है। हमारे संगठन ने एक ऐतिहासिक मील का पत्थर पार करते हुए एक लाख महिला सदस्यों का प्रतिष्ठित आंकड़ा छू लिया है। यह केवल एक संख्या नहीं, बल्कि एक लाख परिवारों में आशा, आत्मविश्वास और आर्थिक सशक्तिकरण का प्रतीक है। हमारा उद्देश्य केवल दूध का व्यवसाय करना नहीं, बल्कि हजारों महिलाओं को गरीबी के अंधेरे से निकालकर एक स्व-सतत आजीविका प्रदान करना रहा है। इसी का परिणाम है कि आज हमारे बीच १२५०० से अधिक लखपति दीदियां हैं, जो न केवल अपने परिवार की अगुवाई कर रही हैं, बल्कि समाज के लिए एक मिसाल भी बन रही हैं।

हमने अपने सदस्यों की सुविधा और दूध की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए पिछले वर्ष ऊंचाहार और हरिंगटनगंज में दो नवीन मिलक चिलिंग सेंटर की स्थापना की है। इन केंद्रों ने हजारों किसानों के लिए दूध की आपूर्ति को अत्यंत सरल और सुगम बना दिया है।

हमारी सफलता का आधार हमारे महिला किसानों सदस्यों के पशुओं का स्वास्थ्य और उनकी उत्पादकता है। इसी दृष्टि से कंपनी ने सदस्यों के पशुओं के समग्र विकास के लिए व्यापक पशुपालन सेवाएं प्रदान की हैं:

हमने कृत्रिम गर्भाधान हेतु किसानों को सॉल्सडी प्रदान की, ताकि उन्नत नस्ल के स्वस्थ पशु तैयार हो सकें।

सदस्यों को उच्च गुणवत्ता वाला पशु आहार, खनिज मिश्रण और चारा कम लागत पर उपलब्ध कराया गया।

पशु चिकित्सकों की हमारी प्रशिक्षित टीम ने निःशुल्क परामर्श और दवाएं प्रदान करके पशुओं के स्वास्थ्य की निरंतर निगरानी की।

इन समन्वित प्रयासों का सीधा लाभ यह हुआ है कि पशुओं की नस्ल और उत्पादकता में उल्लेखनीय सुधार आया है, जिससे हमारे सदस्यों की आय में वृद्धि हुई है। हमारी यह सबसे बड़ी उपलब्धि रही है कि हमने हमारे सदस्यों का भुगतान समय पर और पारदर्शी तरीके से किया। इसके साथ ही, कंपनी कंपनी ने लगातार बजटित अनुमानों से भी अधिक लाभ अर्जित करते हुए अपनी वित्तीय मजबूती का परिचय दिया है। इस सफलता का लाभ हमारे सदस्यों तक पहुंचाते हुए, हमने वित्तीय वर्ष २०२४-२०२५ में दूध की कीमत के अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि के रूप में २.८० करोड़ रुपये की राशि का भुगतान सीधे महिला किसानों के बैंक खातों में किया। यह आपके विश्वास और हमारी सामूहिक सफलता का एक सुखद अध्याय है।

इस सफलता के पीछे हमारे कर्मचारियों का अमूल्य योगदान है। मैं इस बात के लिए विशेष रूप से प्रसन्न हूँ कि हम अपने कर्मचारियों को एक उत्कृष्ट, सहयोगपूर्ण और सम्मानजनक कार्य वातावरण प्रदान कर पाए हैं। आप सभी की निष्ठा और मेहनत ही सामर्थ्या की रीढ़ है।

आइए, हम इस सफलता का एक साथ जश्न मनाएं और आने वाले वर्षों में और भी ऊंचाइयों को छूने का संकल्प लें। हमारा सफर जारी है, और आप सभी के सहयोग से सामर्थ्या नई ऊंचाइयों को छूएगा।

धन्यवाद,
आपका सद्भावी
ह. /-
डॉ प्रशांत माण्डव्य
मुख्य कार्यकारी एवं निदेश

निदेशकों की रिपोर्ट

निदेशक 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित खातों के साथ कंपनी के संचालन पर कंपनी की दूसरी (दूसरी) वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्न हैं।

वित्तीय परिणामसारांशित वित्तीय परिणाम इस प्रकार हैं:

(रुपए लाख में)

विवरण	31.03.2025	31.03.2024
कुल राजस्व	56494.72	35,509.99
खर्च सहित कुल लागत	55219.47	34,545.00
टैक्स से पहले लाभ/हानि	1275.25	964.99
कर व्यय:		254.06
(1) करंट टैक्स	340	260
(2) आस्थगित कर	(1.74)	(5.94)
नेट टैक्स एक्सपेंस	338.26	254.06
कर पश्चात लाभ/(हानि)	936.99	710.93

इस अवधि में कंपनी ने 56,494.72 लाख रुपये की कुल आय प्राप्त की, जिसमें 55,556.70 लाख रुपये की परिचालन आय और 938.02 लाख रुपये की अन्य आय शामिल है। इस अवधि के दौरान कुल 55,219.47 लाख रुपये का व्यय किया गया। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 936.99 लाख रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया है।

सीमित प्रतिफल (लाभांश)

आपके निदेशकों को यह सिफारिश करते हुए हर्ष हो रहा है कि 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 100/- रुपये मूल्य वाले 12,62,519 इक्विटी शेयरों पर 10/- रुपये प्रति इक्विटी शेयर के लाभांश की अनुशंसा की जाए। इक्विटी शेयरों पर लाभांश चौथे वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) में सदस्यों की स्वीकृति के अधीन होगा। आगामी एजीएम में सदस्यों की स्वीकृति मिलने के बाद लाभांश का भुगतान उन सदस्यों को किया जाएगा जिनके नाम 31 मार्च, 2025 को कंपनी के सदस्य रजिस्टर में दर्ज हैं। यदि स्वीकृत होता है, तो लाभांश के भुगतान से 1,26,25,190 रुपये की नकदी बहिर्वाह होगा।

सामान्य संचय में अंतरण

कंपनी के संघ memorandum और articles of association के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत, जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZI के साथ पढ़ा जाना चाहिए, निदेशक मंडल 8,10,73,560.05 रुपये की राशि सामान्य संचय के जमा में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव करता है।

निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आई.ई.पी.एफ.) में स्थानांतरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(5) के प्रावधानों के अनुसार, यदि कंपनी के अवैतनिक लाभांश हस्तांतरित लाभांश के खाते में ऐसे हस्तांतरण की तारीख से सात साल की अवधि के लिए अवैतनिक या लावारिस रहता है, तो ऐसा लावारिस या अवैतनिक लाभांश द्वारा हस्तांतरित किया जाएगा उप-धारा 125 के तहत स्थापित एक फंड "निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि" ('आई.ई.पी.एफ.') में अर्जित ब्याज, यदि कोई हो, तो उसको जमा करना अनिवार्य होगा। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(5) की अपेक्षा के अनुसार भुगतान न किए गए/अदावाकृत लाभांश की कोई राशि निवेशक शिक्षा संरक्षण निधि में अंतरित किए जाने की आवश्यकता नहीं थी।

संचालन अवलोकन

वर्ष 2024-25 में कंपनी के पास कुल 5 दुग्ध शीतलन केंद्र (MCCs) और 29 बल्क मिल्क कूलर (BMCs) हैं, जिनकी संयुक्त शीतलन क्षमता प्रतिदिन 2.91 लाख लीटर है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, 365 दिनों में, कंपनी ने हमारे सम्मानित सदस्यों से सीधे 'कच्चे दूध' की 10,52,23,763.34 किलोग्राम की प्रभावशाली मात्रा प्राप्त की।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत तक, हमने सक्रिय सदस्यों में एक substantial वृद्धि देखी, जहाँ कुल 98,052 सदस्यों में से 84,858 सदस्य दूध आपूर्तिकर्ता (pourers) के रूप में सक्रिय थे। सक्रिय भागीदारी में यह उछाल हमारे सदस्यों की कंपनी के संचालन में बढ़ते विश्वास को प्रदर्शित करता है। यह कंपनी की भविष्य की विकास संभावनाओं का एक सकारात्मक संकेतक है, क्योंकि हम सक्रिय सदस्यों के एक विस्तारित नेटवर्क के पारस्परिक सहयोग और समर्थन से और भी अधिक ऊँचाइयों को छूने की अपेक्षा करते हैं।

हम अपने सदस्यों को उनके द्वारा दिए जा रहे दूध का प्रतिस्पर्धिक प्राप्ति मूल्य देने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि उन्हें उनके द्वारा आपूर्ति किए गए उच्च गुणवत्ता के दूध का उनको उचित मूल्य मिले

गुणवत्ता आश्वासन

उच्च गुणवत्ता वाले दूध के संग्रह को सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसे प्राप्त करने के लिए, हम किसानों को स्वच्छ दूध

उत्पादन तकनीकों पर व्यापक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, जिससे वे स्वच्छता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने में सक्षम होते हैं। हमारे दूध संग्रह केंद्र अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित हैं, और हमारे प्रशिक्षित सहायक दूध संग्रह प्रक्रियाओं के दौरान सख्त स्वच्छता प्रोटोकॉल का पालन करते हैं।

कच्चे दूध की ताजगी को बनाए रखने के लिए, हम एमपीपी से बीएमसी/एमसीसी तक दूध के कुशल और समय पर परिवहन को प्राथमिकता देते हैं, जिसके लिए हम पूर्वनिर्धारित समय-सारणी पर चलने वाले समर्पित आवक दूध वाहनों का उपयोग करते हैं। बीएमसी/एमसीसी पर दूध के आगमन पर हमारे सख्त आने वाले कच्चे दूध की विशिष्टताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सख्त गुणवत्ता जांच की जाती है। बीएमसी/एमसीसी पर हमारे संचालन सावधानीपूर्वक डिजाइन की गई मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करते हैं, जिसमें भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) विनियमों की अनुसूची 4 में उल्लिखित आवश्यकताएं शामिल हैं। विस्तृत नमूना योजनाओं को प्राप्ति, भंडारण और प्रेषण सहित विभिन्न चरणों में सावधानीपूर्वक क्रियान्वित किया जाता है, जिससे पूरी प्रक्रिया में अत्यधिक देखभाल और गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित होता है। दूध को तुरंत 4 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा किया जाता है और इसे रोड टैंकर्स द्वारा प्रसंस्करण संयंत्र भेजे जाने तक इष्टतम गुणवत्ता बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी की जाती है।

शीर्ष श्रेणी के दूध के संग्रह को सुनिश्चित करने के लिए, हमने दूध संग्रह प्रक्रिया के हर चरण में व्यापक दस्तावेजीकरण और सत्यापन प्रक्रियाएं लागू की हैं। हमारे एमपीपी और बीएमसी/एमसीसी एफएसएसएआई लाइसेंस और वजन और माप मुद्रांकन सहित सभी कानूनी आवश्यकताओं का पालन करते हैं, जिससे अनुपालन के उच्चतम मानक सुनिश्चित होते हैं।

उत्पादकता संवर्धन सेवाएं (पीईएस):

अपनी उत्पादकता संवर्धन सेवाएं (पीईएस) पहलों के माध्यम से, हम अपने सदस्यों की उत्पादकता और लाभप्रदता को अधिकतम करने में समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, हमने अपने सदस्यों को 11400 मीट्रिक टन उच्च गुणवत्ता वाले पशु चारा की पूर्ण आपूर्ति प्रदान की। यह सुनिश्चित करता है कि हमारे सदस्यों के पशुओं को उचित लागत पर इष्टतम पोषण मिले, जिससे पशु स्वास्थ्य में वृद्धि और उत्पादकता में सुधार हो इसके अतिरिक्त, हमने अपने मूल्यवान सदस्यों को 77404 किलोग्राम क्षेत्र-विशिष्ट खनिज मिश्रण supplied किया, जो उनके पशुओं की सटीक पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किया गया था, और 12613 किलोग्राम हरा चारा बीज। पशु स्वास्थ्य पर यह ध्यान उच्च उत्पादकता और अधिक कल्याण की ओर ले जाता है।

अपने उत्पादकों को शिक्षित और सशक्त बनाने के लिए, हमने किसान बैठकों का आयोजन किया, जिसमें उन्हें कृषि प्रबंधन की सर्वोत्तम प्रथाओं पर जागरूक किया गया। ज्ञान-साझाकरण के ये सत्र हमारे सदस्यों की डेयरी संचालनों के समग्र विकास और सफलता में योगदान करते हैं।

उत्पादक संस्था निर्माण (पीआईबी):

उत्पादक संस्था निर्माण (पीआईबी) के प्रयास सदस्यता नामांकन गतिविधियों को कुशलतापूर्वक लागू करने पर केंद्रित हैं। वित्तीय वर्ष के दौरान, हमने सफलतापूर्वक 48760 सदस्यों को नामांकित किया, जिनमें से 40773 डालने वाले (pourer) के रूप में उभरे। डालने वाले सदस्यों में यह असाधारण वृद्धि कंपनी के संचालन में हमारे सदस्यों के विश्वास को प्रदर्शित करती है। यह एक उल्लेखनीय विकास यात्रा की शुरुआत है, जहाँ हमारे सामूहिक प्रयास, आपसी सहायता और समर्थन हमें नई ऊँचाइयों पर ले जाएंगे। पीआईबी हमारे सदस्यों को उनकी भूमिकाओं, जिम्मेदारियों और कंपनी द्वारा की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों के बारे में शिक्षित और जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम ज्ञान-साझाकरण और सूचना के प्रसार की एक संस्कृति को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखते हैं, जिससे हमारे सदस्य हमारे संगठन की वृद्धि और सफलता में सक्रिय रूप से योगदान देने में सशक्त हों।

एमपीसी के मुख्य डिजाइन सिद्धांत:

हम अपने मुख्य डिजाइन सिद्धांतों का सख्ती से पालन करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी व्यावसायिक लेनदेन विशेष रूप से हमारे सदस्यों के साथ किए जाते हैं। यह सिद्धांत हमारे संचालन की नींव बनाता है, जिससे सभी हितधारकों के लिए पारदर्शिता, विश्वास और साझा समृद्धि सुनिश्चित होती है।

स्व-रोजगार सृजन:

सामर्थ्या मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी क्षेत्र में स्व-रोजगार के अवसर प्रदान करती है, चाहे वह सहायक हो, या मार्ग वाहन ट्रांसपोर्टर, टैंकर ट्रांसपोर्टर, संचालक श्रमिक और साथ ही कंपनी में प्रत्यक्ष रोजगार हो।

सुरक्षा और स्वास्थ्य:

आपकी कंपनी अपने कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल प्रदान करती है। कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर हमेशा ध्यान दिया जाता है, विशेषकर उन कर्मचारियों के जो शारीरिक रूप से दूध का प्रबंधन करते हैं।

व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

सामग्री परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं

कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई भी भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं नहीं हुई हैं जो वित्तीय वर्ष के अंत से संबंधित

चतुर्थ वार्षिक आम बैठक 2024-2025

वित्तीय विवरण और इस रिपोर्ट की तारीख के बीच हुई हैं।

पूँजी संरचना एवं शेयर जारी करना तथा सदस्यता

31 मार्च, 2025 तक, कंपनी की अधिकृत पूँजी 25 करोड़ रुपये है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने 100 रुपये मूल्य के कुल 1262519 इक्विटी शेयर जारी किए हैं। 31 मार्च, 2025 तक कंपनी की अभिदत्त और चुकता शेयर पूँजी 12,62,51,900.00 (बारह करोड़, बासठ लाख, इक्यावन हजार, नौ सौ) रुपये थी। उपरोक्त के अतिरिक्त, कंपनी ने कोई अन्य इक्विटी शेयर, पूर्वाधिकार शेयर, या कोई अन्य प्रतिभूतियाँ जारी नहीं की हैं जिनमें ऐसी प्रतिभूतियों को शेयरों में परिवर्तित करने का कोई अधिकार या विकल्प हो।

31 मार्च, 2025 तक, कंपनी के कुल 98052 सदस्य थे। 31 मार्च, 2025 के बाद, कंपनी ने 10985 नए सदस्यों का नामांकन किया है और 11571 सदस्यों की सदस्यता रद्द की गई है। अतः, इस रिपोर्ट की तिथि तक सदस्यों की कुल संख्या 97466 है।

मतदान के अधिकार एवं वार्षिक सामान्य बैठक (AGM) में उपस्थिति

आगामी वार्षिक सामान्य बैठक में मतदान के अधिकार के प्रयोग के संबंध में, 98052 सदस्यों में से 24822 सदस्य, जिन्होंने वर्ष 2024-25 के दौरान 200 या अधिक दिनों तक 500 लीटर दूध डाला है, को चौथी वार्षिक सामान्य बैठक में प्रस्तावित सभी प्रस्तावों पर मतदान का अधिकार प्राप्त है।

इसके अलावा, मतदान के हकदार 24822 सदस्यों में से, इस रिपोर्ट की तिथि तक किसी भी सदस्य ने अपनी सदस्यता समर्पित नहीं की है, अतः कंपनी की आगामी वार्षिक सामान्य बैठक में मतदान का अधिकार प्रयोग करने के लिए प्रभावी रूप से 24822 सदस्य पात्र हैं।

जिन सदस्यों के नाम 31 मार्च, 2025 तक सदस्य रजिस्टर में दर्ज थे, लेकिन इस तिथि के बाद उन्होंने अपनी सदस्यता समर्पित कर दी, वे भी वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लाभांश प्राप्त करने के पात्र होंगे, यदि इसे चौथी वार्षिक सामान्य बैठक में सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाता है। हालाँकि, वे सदस्यता से जुड़े किसी भी अन्य अधिकार या लाभ, जिसमें AGM में उपस्थिति और मतदान शामिल है, के हकदार नहीं होंगे, क्योंकि वे कंपनी के सदस्य नहीं रहे। इसी प्रकार, जो सदस्य 31 मार्च, 2025 के बाद कंपनी के सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं, वे वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आगामी AGM में लाभांश और मतदान के अधिकार के पात्र नहीं होंगे।

जो भी सदस्य उपस्थित होने और मतदान के हकदार हैं, उनके पास केवल एक ही मत होगा। बोर्ड बैठकें कंपनी के व्यवसाय के लेन-देन के लिए बोर्ड की समय-समय पर बैठकें होती हैं और समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आठ बोर्ड बैठकें आयोजित की गईं। वर्ष के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों का विवरण इस प्रकार है

बोर्ड बैठक की सं.	बोर्ड बैठक की तारीख	बोर्ड की ताकत	उपस्थित निदेशकों की संख्या
14 ^{वाँ}	8 अप्रैल, 2024	7	7
15 ^{वाँ}	24 मई, 2024	11	11
16 ^{वाँ}	8 जुलाई, 2024	11	11
17 ^{वाँ}	31 अगस्त, 2024	12	12
18 ^{वाँ}	8 अक्टूबर, 2024	12	11
19 ^{वाँ}	28 नवंबर, 2024	12	9
20 ^{वाँ}	21 जनवरी, 2025	12	10
21 ^{वाँ}	19 मार्च, 2025	12	10

समिति मीटिंग

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(5) की आवश्यकता के अनुपालन में, कंपनी के शेयरधारकों की शिकायतों के समाधान हेतु बोर्ड द्वारा हितधारक संबंध समिति का गठन किया गया। इस समिति के सदस्य निम्नलिखित हैं:

श्रीमती लक्ष्मी देवी (अध्यक्ष);

श्रीमती कुमकुम (सदस्य); तथा

डॉ. प्रशांत मंडव्या (सदस्य)।

चतुर्थ वार्षिक आम बैठक 2024-2025

यह समिति 02 फरवरी, 2023 को गठित की गई थी। समिति की एक बैठक आयोजित की गई, जिसका विवरण निम्नलिखित है:

स्टेकहोल्डर रिलेशनशिप कमेटी की बैठक सं.	समिति की बैठक की तिथि	समिति की संख्या	उपस्थित सदस्य की संख्या
दूसरी	19/03/2025	3	3

सदस्यता संबंधी समिति की बैठक

समिति में शामिल हैं:

1. डॉ. प्रशांत मांडव्य (मुख्य कार्यकारी), अध्यक्ष
2. श्री अनूप किशोर, सदस्य
3. श्री रिपुंजय कुमार सिंह, सदस्य
4. श्री उद्धव प्रताप सिंह, सदस्य

समिति का गठन 18 मई, 2023 को किया गया था, समिति की एक बैठक में विवरण नीचे दिया गया है:

सदस्यता संबंध समिति की बैठक सं.	समिति की बैठक की तिथि	समिति की संख्या	उपस्थित सदस्य की संख्या
दूसरी	19.03.2025	4	4

निदेशकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक भुगतान और उनके कर्तव्यों के निर्वहन से संबंधित कंपनी की नीति नामांकन और पारिश्रमिक समिति के गठन से संबंधित धारा 178(1) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

निदेशक मंडल में परिवर्तन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, श्रीमती चाँदनी (डीआईएन: 09554863) और श्रीमती कुमकुम (डीआईएन: 09554864) सेवानिवृत्त हुईं और 30/09/2024 को आयोजित कंपनी की तीसरी वार्षिक सामान्य बैठक में उन्हें पुनः निदेशक के रूप में चुना गया।

श्री रघु हसन मल्लेगौड़ा (डीआईएन: 089336193) को 31/08/2024 से दो वर्ष की अवधि के लिए कंपनी के बोर्ड में विशेषज्ञ निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

श्री वीनू सोदी (डीआईएन: 10761410) को 21/01/2025 से दो वर्ष की अवधि के लिए कंपनी के बोर्ड में विशेषज्ञ निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

श्री आलोक कुमार गुप्ता (डीआईएन: 03159741) ने 21 जनवरी, 2025 को कंपनी के बोर्ड में विशेषज्ञ निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया।

श्रीमती नेहा सिंह (डीआईएन: 10628106) को 30/09/2024 से कंपनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

श्रीमती कृष्णा सिंह (डीआईएन: 10628106) को 30/09/2024 से कंपनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

श्रीमती पूनित (डीआईएन: 10628136) को 30/09/2024 से कंपनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

श्रीमती संजु वर्मा (डीआईएन: 10628125) को 30/09/2024 से कंपनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

आर्टिकल 9.6 के प्रावधान:

आर्टिकल 9.6 के अनुसार, प्रत्येक वार्षिक सामान्य बैठक में कुल निर्वाचित निदेशकों का एक-चौथाई भाग रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त होगा और जो निदेशक अपने अंतिम नियुक्ति के बाद से सबसे लंबे समय तक पद पर रहे हैं, वे सेवानिवृत्त होंगे। आर्टिकल 9.6(1) के अनुसार, यदि एक ही दिन नियुक्त हुए निदेशकों के बीच सेवानिवृत्ति की बात आती है, तो यह (उनके बीच किसी भी समझौते के अभाव में या उसके अधीन) उनके बीच आपसी सहमति से या लॉटरी द्वारा तय किया जाएगा।

उपरोक्त प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, तीन उत्पादक निदेशक श्रीमती चाँदनी (डीआईएन: 09554863), श्रीमती अनामिका (डीआईएन: 09554865) और श्रीमती कुमकुम (डीआईएन: 09554764) की आगामी वार्षिक सामान्य बैठक में रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्ति due है।

निदेशक मंडल की संरचना एवं आगामी वार्षिक सामान्य बैठक (AGM) में निदेशकों की नियुक्ति/सेवानिवृत्ति कंपनी के संघनिदेश (Articles of Association) के अनुच्छेद 9.4 से 9.6 तक निदेशक मंडल की संरचना से संबंधित प्रावधान हैं। अनुच्छेद 9.4 सदस्यों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने के मानदंड निर्धारित करता है, जबकि अनुच्छेद 9.5 यह सुनिश्चित करता है कि निदेशक मंडल में प्रतिनिधित्व, यथासंभव, संबंधित वर्ग के पैट्रनज (सदस्यता/लेनदेन) के आधार पर हो। कंपनी के सदस्यों ने 30 सितंबर, 2024 को आयोजित तीसरी वार्षिक सामान्य बैठक में, कंपनी की चौथी वार्षिक सामान्य बैठक तक वर्ग-आधारित प्रतिनिधित्व की प्रवर्तनता को माफ (waive off) कर दिया है। इसका तात्पर्य है कि चौथी AGM तक निदेशक मंडल की संरचना में वर्ग-आधारित प्रतिनिधित्व के

चतुर्थ वार्षिक आम बैठक 2024-2025

मानदंड लागू नहीं होंगे स्वतंत्र निदेशक द्वारा घोषणा

स्वतंत्र निदेशक द्वारा घोषणा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी को अपने निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करने की आवश्यकता नहीं है।

निदेशक मंडल के सदस्यों का प्रशिक्षण:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, एक प्रशिक्षण कार्यक्रम 10 जनवरी, 2025 को आयोजित किया जाना निर्धारित किया गया था।

निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के अनुपालन में कंपनी के निदेशक मंडल की पुष्टि है कि-

- a) 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखा तैयार करने में, अधिनियम की अनुसूची VIII के तहत निर्धारित आवश्यकताओं के साथ पढ़े गए लागू लेखा मानकों का पालन किया गया है और इनमें कोई भौतिक विचलन नहीं है।
- b) निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया है और उन्हें लगातार लागू किया है तथा उचित और विवेकपूर्ण निर्णय एवं अनुमान लगाए हैं जो उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के कारोबार की स्थिति और लाभ का सही और उचित दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।
- c) निदेशकों ने कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की है।
- d) निदेशकों ने वार्षिक खाते 'चालू संस्था' के आधार पर तैयार किए हैं।
- e) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियाँ तैयार की हैं और ऐसी प्रणालियाँ पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

कंपनी के पास एक उचित और पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है जो यह सुनिश्चित करती है कि सभी परिसंपत्तियाँ सुरक्षित और संरक्षित हैं तथा सभी लेन-देन अधिकृत, दर्ज और सही ढंग से रिपोर्ट किए गए हैं। वर्ष के दौरान, ऐसे नियंत्रणों का परीक्षण किया गया और डिजाइन या संचालन में कोई रिपोर्ट योग्य महत्वपूर्ण कमी नहीं देखी गई। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZF के तहत, M/s अन्स्टैंड एंड यंग LLP, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है, जिन्होंने स्वतंत्र रूप से आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता का मूल्यांकन किया है और मूल्य के हिसाब से अधिकांश लेन-देन का समवर्ती ऑडिट करते हैं।

वैधानिक लेखा परीक्षक

मैसर्स अजय गोयल एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कंपनी की पहली वार्षिक आम बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 में होने वाली कंपनी की 6वीं वार्षिक आम बैठक के समापन तक कार्यालय संभालने के लिए नियुक्त किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की है।

धोखाधड़ी के सन्दर्भ में लेखा परीक्षक द्वारा रिपोर्ट की गई टिप्पणी।

परीक्षाधीन वर्ष के दौरान, वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(12) के तहत बोर्ड को कंपनी के अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा किए गए किसी भी प्रकार के धोखाधड़ी के मामले की रिपोर्ट नहीं की गई है, जिसका विवरण इस रिपोर्ट में उल्लेख करने की आवश्यकता होगी।

आंतरिक लेखा परीक्षक

मैसर्स अन्स्टैंड एंड यंग एलएलपी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, नई दिल्ली को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZF और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आंतरिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। आंतरिक लेखा परीक्षक वर्ष में दो बार सभी कार्यात्मक क्षेत्रों में व्यापक ऑडिट संचालित किया है।

होलिडिंग/सहायक/सहयोगी कंपनियाँ

कंपनी की कोई होलिडिंग/सहायक/सहयोगी कंपनी नहीं है।

HHजमा

कंपनी ने समय-समय पर संशोधित कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 के तहत किसी भी जमा को न तो स्वीकार किया है और न ही नवीनीकृत किया है।

ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अर्थ के तहत कोई ऋण नहीं दिया है, न ही कोई गारंटी या प्रतिभूतियां दी हैं या निवेश किया है।

संबंधित पक्षों के साथ अनुबंध और व्यवस्थाएँ

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान दर्ज किए गए सभी संबंधित पक्ष लेनदेन आर्म्स लेंथ के आधार पर थे और व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में थे। इसके अलावा, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा प्रमोटरों, निदेशकों या अन्य नामित व्यक्तियों के साथ कोई महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन नहीं किया गया है। इस प्रकार, फॉर्म ए.ओ.सी.-2 में प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, लेखांकन मानक -18 संबंधित पार्टी प्रकटीकरण के अनुसार, वर्ष के लिए संबंधित पार्टी के साथ लेनदेन का खुलासा 31 मार्च, 2025 तक बैलेंस शीट के नोट नंबर 36 में दिया गया है।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सी.एस.आर.)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की आवश्यकताओं और कंपनी (सीएसआर) नियम, 2014, जिसमें समय-समय पर संशोधन किए गए हैं, का पालन करते हुए, कंपनी ने सीएसआर नीति अपनाई है और यह कंपनी की वेबसाइट <https://www.sagarmarthyamilk.com/csr-policy/> पर उपलब्ध है। कंपनी (सीएसआर) नियम, 2014 और कंपनी (लेखा) नियम, 2014, जिसमें समय-समय पर संशोधन किए गए हैं, के तहत आवश्यक प्रकटीकरण अनुबंध-ए के रूप में संलग्न है।

जोखिम प्रबंधन

जोखिम प्रबंधन, जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन और प्राथमिकता निर्धारित करने की एक प्रक्रिया है, जिसके बाद दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की संभावना और/या प्रभाव को कम करने, निगरानी करने और न्यूनीकरण/नियंत्रण करने या अवसरों के लाभ को अधिकतम करने के लिए समन्वित प्रयास किए जाते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रबंधन एक उचित रूप से परिभाषित ढाँचे के माध्यम से जोखिम को नियंत्रित करता है, इन प्रक्रियाओं की समीक्षा की जाती है। कंपनी द्वारा प्रमुख जोखिमों की पहचान की गई है और व्यवसाय, वित्तीय, मानवीय और वैधानिक अनुपालन (statutory compliance) आदि क्षेत्रों में उनके शमन की प्रक्रिया/उपाय तैयार किए गए हैं।

कंपनी ने जोखिम प्रबंधन नीति को लागू किया है और कंपनी द्वारा इसका पालन किया जा रहा है।

ऊर्जा संरक्षण, अनुसंधान एवं विकास, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय

(i) ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण

परीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा की गई गतिविधियों की प्रकृति को देखते हुए, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(m) के प्रावधानों के तहत अपेक्षित ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी अवशोषण संबंधी विवरण प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

(ii) विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय

अर्जन - शून्य (Nil)

व्यय - शून्य (Nil)

सामान्य कार्यालय और प्रकाश व्यवस्था के उद्देश्यों के अलावा कंपनी की बिजली खपत नहीं है।

सतर्कता तंत्र (Vigil Mechanism)

कंपनी, कंपनी (बोर्ड की बैठकें और उसकी शक्तियाँ) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 177(9) के तहत उल्लिखित मानदंडों को पूरा नहीं करती है। अतः, सतर्कता तंत्र से संबंधित प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

नियामकों, न्यायालयों और अधिकारों द्वारा पारित महत्वपूर्ण और भौतिक आदेश

नियामकों, न्यायालयों या अधिकारों द्वारा कोई भी महत्वपूर्ण और भौतिक आदेश नहीं पारित किया गया है जो कंपनी की चालू स्थिति और भविष्य के संचालन को प्रभावित करता हो।

चतुर्थ वार्षिक आम बैठक 2024-2025

लागत अभिलेख (Cost Record)

कंपनी (लागत अभिलेख और ऑडिट) संशोधन नियम, 2014, जिसमें किसी भी प्रकार का संशोधन शामिल है, के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं अर्थात् लागत लेखा परीक्षा (Cost Audit) कंपनी के लिए अनिवार्य नहीं है।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर बोर्ड की टिप्पणी

वैधानिक लेखा परीक्षकों के अवलोकन, जब लेखा से संबंधित प्रासंगिक टिप्पणियों और लेखांकन नीतियों के साथ पढ़े जाते हैं, तो स्वतः स्पष्ट होते हैं और इन पर किसी अतिरिक्त टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

सचिवीय मानक

कंपनी भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानकों के लागू प्रावधानों का अनुपालन करती है।

वार्षिक रिटर्न का वेब लिंक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और धारा 134(3)(a) तथा कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष की कंपनी की वार्षिक प्रतिफल (Annual Return) कंपनी की वेबसाइट www.saamarthyamilk.com पर उपलब्ध है।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निषेध, निवारण और प्रतिशोध) अधिनियम, 2013 के तहत प्रकटीकरण कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निषेध, निवारण और प्रतिशोध) अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत आंतरिक शिकायत समिति के गठन से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन किया है। परीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी में यौन उत्पीड़न की एक घटना सामने आई थी। हालाँकि, मामले की जाँच के लिए गठित आंतरिक शिकायत समिति की बैठकों में शिकायतकर्ता के आरोप निराधार पाए गए और प्रतिवादी को निर्दोष पाया गया।

दिवालिया और दिवालियापन संहिता, 2016

वर्ष के दौरान दिवालिया और दिवालियापन संहिता, 2016 के प्रावधानों के तहत कोई आवेदन दाखिल नहीं किया गया था और न ही किसी बैंक के साथ कोई एकमुश्त समझौता (वन-टाइम सेटलमेंट) किया गया था।

कर्मचारियों का विवरण

परीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी के किसी भी कर्मचारी को अधिनियम के तहत निर्धारित सीमा से अधिक वेतन प्राप्त नहीं हुआ। तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(2), जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ है, के तहत कर्मचारियों का कोई विवरण प्रदान नहीं किया जा रहा है।

एकमुश्त समझौता (वन-टाइम सेटलमेंट) के समय किए गए मूल्यांकन की राशि और बैंकों या वित्तीय संस्थानों से ऋण लेते समय किए गए मूल्यांकन की राशि के बीच अंतर का विवरण एवं उसके कारण इस संबंध में कोई विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

सराहना और आभार निदेशक मंडल अपने सदस्यों, व्यावसायिक सहयोगियों, बैंकर्स तथा वैधानिक एवं आंतरिक लेखा परीक्षकों का, परीक्षाधीन अवधि के दौरान उनके सहयोग और योगदान के लिए आभार व्यक्त करता है। निदेशक विभिन्न स्तरों के कर्मचारियों द्वारा की गई कड़ी मेहनत, समर्पण और मील के पथर को प्राप्त करने के लिए उनके प्रति अपनी गहरी प्रशंसा दर्ज करते हैं।

निदेशक मंडल वर्ष के दौरान भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (यूपी सरकार), राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, एनडीडीबी डेयरी सेवाएं, मदर डेयरी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग और समर्थन के लिए उनका हार्दिक आभार भी व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

ह./-

लक्ष्मी देवी

अध्यक्ष एवं निदेशक

आईएन:09554762

स्थान: अयोध्या

दिनांक: 26.08.2025

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुबंध-क (Annexure-A)

सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और कंपनियों (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के नियम 8(1) के अनुसार]

1) कंपनी की सीएसआर नीति का संक्षिप्त विवरण: टिकाऊ व्यापार प्रथाओं के साथ-साथ, कंपनी पर्यावरण, सामाजिक जरूरतों और अपने आस-पास के समुदायों पर ध्यान दे रही है। कंपनी की सीएसआर नीति का लक्ष्य लाभार्थियों के जीवन में सार्थक और स्थायी प्रभाव बनाना है। वांछित प्रभाव प्राप्त करने के लिए, कंपनी अपने संसाधनों को कई क्षेत्रों में फैलाने के बजाय विशिष्ट रणनीतिक क्षेत्रों में आवंटित करती है। कंपनी की सीएसआर नीति में वे गतिविधियाँ शामिल हैं जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अनुरूप हैं। प्राथमिकता देते हुए, सामर्थ्या का फोकस आजीविका बढ़ाने, शिक्षा, कौशल विकास और स्वरोजगार, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता, ग्रामीण विकास और बोर्ड द्वारा समय-समय पर अनुमोदित अन्य परियोजनाओं पर है। 2) 2) सीएसआर समिति का गठन: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(9) के अनुसार लागू नहीं है। 3) 3) वेबलिंग प्रदान करें जहाँ कंपनी की वेबसाइट पर सीएसआर समिति का गठन, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का खुलासा किया गया है: https://www.saamarthyamilk.com/csr-policy/ 4) 4) कंपनियों (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसार की गई सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव आकलन का विवरण दें, यदि लागू हो (रिपोर्ट संलग्न करें): - लागू नहीं है 5) (a) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध	लाभ: 749.74 लाख रुपये (b) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत: 14.99 लाख रुपये (c) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष: लागू नहीं है (d) वित्तीय वर्ष के लिए सेट ऑफ/जोड़ने के लिए आवश्यक राशि: 7.64 लाख रुपये (e) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (b+c-d): 22.63 लाख रुपये 6. (a) सीएसआर परियोजनाओं पर खर्च की गई राशि (चल रही परियोजना और गैर-चल रही परियोजना दोनों): 14.99 लाख रुपये text ** (b) प्रशासनिक ओवरहेड्स पर खर्च की गई राशि: ** - लागू नहीं है ** (c) प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो: ** - लागू नहीं है ** (d) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (a+b+c): ** 14.99 लाख रुपये ** (e) वित्तीय वर्ष के लिए अव्ययित (unspent) सीएसआर राशि: ** 7.64 लाख रुपये
---	--

बिना खर्च की गई राशि (लाख रुपये में)

विवरण	राशि (लाख में)
इस वित्तीय वर्ष (2024-25) में खर्च की गई कुल राशि	2.10
कंपनी अधिनियम की धारा 135(6) के अनुसार 'बिना खर्च सीएसआर खाते' में भेजी गई कुल राशि	7.64

बिना खर्च सीएसआर खाते में ट्रांसफर का विवरण	अनुसूची VII में बताए गए किसी फंड में ट्रांसफर (यदि हो)			
राशि	ट्रांसफर की तारीख	फंड का नाम	राशि	ट्रांसफर की तारीख

विवरण				राशि (लाख ₹ में)
7.64 लाख	25 अप्रैल 2025	बिना खर्च सीएसआर फंड खाता	7.64 लाख	(खाली छोड़ें)

(च) सेट ऑफ के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो: - लागू नहीं है

क्रम संख्या	विवरण	राशि (लाख रुपये में)
i.	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का 2%	
ii.	सेट ऑफ के लिए उपलब्ध राशि / जोड़ी गई राशि - वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए	
iii.	वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कुल सीएसआर दायित्व (i + ii)	
iv.	वित्तीय वर्ष (2024-25) में खर्च की जाने वाली कुल राशि	
v.	वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त खर्च की गई राशि [(iv) - (iii)]	
vi.	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	
vii.	अगले वित्तीय वर्षों में सेट ऑफ/जोड़ने के लिए उपलब्ध राशि [(v) + (vi)]	

7. पिछले तीन वित्तीय वर्षों की बिना खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण: लागू नहीं है 8. क्या किसी पूंजीगत संपत्ति का निर्माण या अधिग्रहण सीएसआर के तहत किया गया है? नहीं (च) वित्तीय वर्ष के लिए सीएसआर राशि खर्च या बची: इस वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि: नहीं 9. यदि कंपनी धारा 135(5) के तहत औसत शुद्ध लाभ का दो	प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो कारण बताएं: 31.03.2025 तक 7.64 लाख रुपये की राशि बिना खर्च की बची हुई है इसका कारण स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रशिक्षण कक्ष के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध भूमि का न मिलना है। यह कक्ष विशेष रूप से महिलाओं को स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण देने के लिए बनाया जाना था।
--	--

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सामर्थ्या मिल्क उत्पादक कंपनी लिमिटेड
के सदस्यों को,

वित्तीय विवरणों की ऑडिट पर रिपोर्ट

हमने सामर्थ्या मिल्क उत्पादक कंपनी लिमिटेड (कंपनी) के संलग्न वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है, जिनमें 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए बैलेंस शीट, लाभ-हानि विवरण और नकदी प्रवाह विवरण शामिल हैं, और साथ ही वित्तीय विवरणों के नोट्स भी हैं, जिनमें महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल है।

हमारी राय में, और हमारे पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर तथा हमें जो स्पष्टीकरण मिले हैं उनके अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा आवश्यक जानकारी को आवश्यक तरीके से देते हैं और भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप, 31 मार्च, 2025 को कंपनी की वित्तीय स्थिति और उस वर्ष के उसके लाभ एवं नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।

राय का आधार हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट ऑडिटिंग मानकों (SAs) के अनुसार अपना ऑडिट किया है। हम उन मानकों के तहत अपनी जिम्मेदारियों का पालन करते हैं। हम भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के साथ-साथ कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमने जो ऑडिट सबूत प्राप्त किए हैं, वे हमारी राय के लिए पर्याप्त और उचित आधार प्रदान करते हैं।

वित्तीय विवरणों और ऑडिटर रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अन्य जानकारी (जैसे बोर्ड रिपोर्ट, व्यापार जिम्मेदारी रिपोर्ट) की तैयारी के लिए जिम्मेदार हैं। हमारी राय सिर्फ वित्तीय विवरणों पर है, उस अन्य जानकारी पर नहीं। वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के संबंध में, हमारा यह कर्तव्य है कि हम उस अन्य जानकारी को पढ़ें और ऐसा करते समय यह विचार करें कि क्या वह अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों या हमारे ऑडिट के दौरान प्राप्त ज्ञान से महत्वपूर्ण रूप से असंगत है या फिर महत्वपूर्ण रूप से गलत प्रतीत होती है। यदि हमने अपने किए गए कार्य के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि इस अन्य जानकारी में कोई महत्वपूर्ण गलत बयानी है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करनी आवश्यक है। इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी है कि ये वित्तीय विवरण भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की सही और निष्पक्ष वित्तीय स्थिति दिखाएँ। इस जिम्मेदारी में निम्नलिखित शामिल हैं:

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड रखना ताकि कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा हो सके और धोखाधड़ी एवं अनियमितताओं को रोका और पता लगाया जा सके। उचित लेखा नीतियों का चयन और application उचित और विवेकपूर्ण judgement और estimates बनाना। पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव करना जो प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, ताकि लेखा रिकॉर्ड की शुद्धता और पूर्णता सुनिश्चित हो सके।

वित्तीय विवरणों की ऑडिट के लिए ऑडिटर की जिम्मेदारी

हमारा उद्देश्य यह उचित आश्वासन (reasonable assurance) प्राप्त करना है कि वित्तीय विवरण एक समग्र के रूप में किसी भी महत्वपूर्ण गलत बयानी (material misstatement) से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी (fraud) या त्रुटि (error) के कारण हुई हो, और एक ऑडिटर रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन आश्वासन का एक उच्च स्तर है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि SAs के अनुसार किया गया ऑडिट हमेशा एक महत्वपूर्ण गलत बयानी का पता लगा लेगा जब वह मौजूद हो। गलत बयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और उसे महत्वपूर्ण तब माना जाता है यदि, अकेले या कुल मिलाकर, यह उम्मीद करना तर्कसंगत हो कि वे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं।

SAs के अनुसार ऑडिट के एक भाग के रूप में, हम पूरे ऑडिट में पेशेवर निर्णय (professional judgment) का प्रयोग करते हैं और पेशेवर संदेह (professional scepticism) बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं:

- वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण गलत बयानी के जोखिमों की पहचान करना और आकलन करना, चाहे वह धोखाधड़ी या

त्रुटि के कारण हों, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजाइन और perform करना, और ऑडिट सबूत प्राप्त करना जो हमारी राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हों। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप हुई महत्वपूर्ण गलत बयानी का पता न लगने का जोखिम, त्रुटि के परिणामस्वरूप हुई गलत बयानी की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण को दरकिनारा करना शामिल हो सकता है।

- परिस्थितियों में उपयुक्त ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए ऑडिट के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण (internal control) की समझ प्राप्त करना। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के तहत, यह भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम यह राय दें कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन effectiveness कैसी है।
- प्रबंधन द्वारा उपयोग की गई लेखा नीतियों की उपयुक्तता (appropriateness) और लेखा अनुमानों और खुलासे की उचितता (reasonableness) का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के आधार के रूप में प्रबंधन द्वारा चालू संस्था (going concern) की अवधारणा के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालना, और प्राप्त ऑडिट सबूतों के आधार पर, यह आकलन करना कि कोई ऐसी महत्वपूर्ण अनिश्चितता (material uncertainty) मौजूद तो नहीं है जो कंपनी की चालू संस्था (going concern) के रूप में जारी रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें वित्तीय विवरणों में संबंधित disclosures पर अपनी ऑडिटर रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है, या यदि ऐसी disclosures अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना आवश्यक है। हमारे निष्कर्ष हमारी ऑडिटर रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त ऑडिट सबूतों पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाएँ या स्थितियाँ कंपनी के चालू concern के रूप में जारी रहने बंद करने का कारण बन सकती हैं।
- वित्तीय विवरणों के प्रस्तुति, संरचना और सामग्री, जिसमें प्रकटीकरण (disclosures) शामिल हैं, का मूल्यांकन करना, और यह आकलन करना कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन-देन और घटनाओं का एक निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करने वाले तरीके से प्रतिनिधित्व करते हैं।

महत्व (Materiality) वह परिमाण (magnitude) है जो वित्तीय विवरणों में गलत बयानी का, अकेले या कुल मिलाकर, यह संभावना बनाता है कि वित्तीय विवरणों के किसी कारण से जानकारी उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम महत्व और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं: (i) अपने ऑडिट कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणाम का मूल्यांकन करने में; और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचानी गई गलत बयानी के प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए।

हम कंपनी के शासन के लिए जिम्मेदार लोगों (जैसे- ऑडिट कमेटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स) के साथ निम्नलिखित मामलों पर संवाद करते हैं: ऑडिट की योजनाबद्ध सीमा और समय, और ऑडिट के महत्वपूर्ण निष्कर्ष, जिनमें ऑडिट के दौरान पहचानी गई आंतरिक नियंत्रण की कोई भी महत्वपूर्ण कमियाँ शामिल हैं।

हम शासन के लिए जिम्मेदार लोगों को यह भी बताते हैं कि हमने स्वतंत्रता से जुड़ी सभी प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का पालन किया है, और उनके साथ उन सभी संबंधों व अन्य मामलों पर संवाद करते हैं जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकते हैं, और जहाँ लागू हो, उनसे जुड़े सुरक्षा उपाय भी बताते हैं।

शासन के लिए जिम्मेदार लोगों के साथ संवादिता मामलों में से, हम उन मामलों की पहचान करते हैं जो वर्तमान के वित्तीय विवरणों की ऑडिट में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे और इसलिए मुख्य ऑडिट मामले (Key Audit Matters) हैं। हम इन मामलों का वर्णन अपनी ऑडिटर रिपोर्ट में करते हैं, सिवाय तब जब कानून या विनियम किसी मामले के सार्वजनिक खुलासे पर रोक लगाता हो या अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, जब हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में नहीं बताया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम (Adverse Consequences) उस संचार के जनहित लाभों से कहीं अधिक होंगे।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(11) के तहत भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (ऑडिटर रिपोर्ट) आदेश, 2020 (२ आदेश) के अनुसार, हम ₹ अनुलनक A ₹ में आदेश के पैरा 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक बयान देते हैं (जहाँ तक लागू हो)। कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXIA की धारा 378ZG के अनुसार, हम ₹ अनुलनक B ₹ में उस धारा में निर्दिष्ट मामलों पर एक बयान देते हैं।

अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

a. हमने अपने ऑडिट के उद्देश्य के लिए आवश्यक सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं (हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार)। b. हमारी राय में, कानून के अनुसार उचित लेखा पुस्तकें (Books of Account) कंपनी द्वारा रखी गई हैं (जहाँ

तक हमारी उन पुस्तकों की जांच से पता चलता है), सिवाय नियम 11(g) के तहत रिपोर्टिंग में नीचे पैरा 'g(viii)' में बताए गए मामलों के। इस रिपोर्ट द्वारा बैलेंस शीट, लाभ-हानि विवरण और नकदी प्रवाह विवरण, लेखा पुस्तकों से सहमति में हैं। हमारी राय में, उपरोक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों का पालन करते हैं (कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़े गए। निदेशकों से 31 मार्च, 2025 तक प्राप्त लिखित representations के आधार पर (जिन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने पटल पर लिया है), 31 मार्च, 2025 को अधिनियम की धारा 164(2) के तहत कोई भी निदेशक एक निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं है।

f. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता (Adequacy) और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन के संबंध में, हमारी अलग रिपोर्ट अनुलग्नक C में देखें। g. कंपनी (ऑडिट और ऑडिटर्स) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार ऑडिटर रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारे पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार:

i. लिबत मुकदमों की स्थिति वित्तीय विवरणों के नोट '31' में बताई गई है। कंपनी के प्रबंधन द्वारा समझाए अनुसार, मुकदमों के संभावित प्रभाव के लिए वित्तीय विवरणों में उचित प्रावधान (Provision) किया गया है।

ii. कंपनी के पास कोई दीर्घकालिक अनुबंध जिसमें डेरिवेटिव अनुबंध भी शामिल हैं, नहीं थे, जिनके लिए कोई भविष्य में होने वाला महत्वपूर्ण नुकसान था।

iii. कंपनी को निवेशक शिक्षा और संरक्षण फंड में कोई पैसा जमा नहीं करना था।

iv. प्रबंधन (मैनेजमेंट) ने यह प्रतिनिधित्व (दावा) किया है कि, उसकी जानकारी और विश्वास के अनुसार, जैसा कि लेखा टिप्पणियों में बताया गया है, कंपनी ने कोई भी ऐसा धन (चाहे वह उधार लिया गया फंड हो, शेयर प्रीमियम हो या कोई अन्य स्रोत) किसी अन्य व्यक्ति या संस्था (जिसमें विदेशी संस्थाएं भी शामिल हैं) (मध्यस्थ / Intermediaries) को उधार नहीं दिया है, न ही ऋण दिया है और न ही निवेश किया है, इस समझ के साथ (चाहे लिखित में हो या न हो) कि वह मध्यस्थ सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी की ओर से या कंपनी द्वारा बताए गए किसी अन्य व्यक्ति या संस्था (अंतिम लाभार्थी / Ultimate Beneficiaries) को उधार देगा, निवेश करेगा या उनकी तरफ से कोई गारंटी या जमानत देगा। वित्तीय विवरणों की टिप्पणी क्रमांक 46 देखें।

v. प्रबंधन ने यह दावा किया है कि, उसकी जानकारी और विश्वास के अनुसार (जैसा कि financial statements के notes में बताया गया है), कंपनी ने किसी भी व्यक्ति या संस्था (जिसमें विदेशी संस्थाएं भी शामिल हैं) (Funding Parties / फंडिंग देने वाले) से कोई भी ऐसा पैसा नहीं लिया है, जिसके बदले में यह समझौता या समझ (चाहे लिखित में हो या न हो) बनी हो कि कंपनी सीधे या फिर घूमकर उस फंडिंग पार्टी द्वारा बताए गए किसी अन्य व्यक्ति या संस्था (अंतिम लाभार्थी को उधार देगी, उनमें निवेश करेगी या उनकी तरफ से कोई गारंटी या जमानत देगी। इसकी और जानकारी वित्तीय विवरण के Note 47 में देखें।

vi. हमने अपनी ऑडिट प्रक्रिया में जो उचित और परिस्थितियों के हिसाब से सही लगा, वह किया। इस दौरान हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे यह विश्वास हो कि ऊपर दिए गए बिंदु (i) और (v) में Rule 11(e) की उप-धारा (i) और (ii) के तहत दिए गए प्रबंधन के दावों/बयानों में कोई महत्वपूर्ण गलत बयानी है।

vii. कंपनी ने इस साल जो लाभांश (dividend) घोषित किया और भुगतान किया, वह कंपनियों का अधिनियम, 2013 की धारा 123 के प्रावधानों का पालन करता है।

viii. कंपनी ने अपने मुख्य हिसाब-किताब रखने के लिए Tally Prime Edit Log सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है। दूध के संग्रह, (दूध की सूची (Inventory) और दूध आपूर्तिकर्ताओं को देय राशि का हिसाब रखने के लिए सार्थक नामक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है।

ऑडिट ट्रेल सुविधा: इन दोनों ही सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रेल या एडिट लॉग की सुविधा है। यह सुविधा हर एंट्री और उसमें किए गए बदलाव का पूरा रिकॉर्ड रखती है।

ऑडिट ट्रेल की स्थिति: यह ऑडिट ट्रेल सुविधा पूरे वित्तीय वर्ष में, इन सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी लेन-देन के लिए सक्रिय रही। इस ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। ऑडिट ट्रेल का रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जा रहा है।

परिवर्तनों पर ऑडिटर की राय: कंपनी के प्रबंधन के स्पष्टीकरण और ऑडिट के दौरान हमारी अपनी टेस्ट चेंकिंग के आधार, इन सॉफ्टवेयर में किए गए बदलावों में कुछ भी गलत (Adverse) या संदेहजनक नहीं देखा गया। ऐसा कोई बदलाव नहीं मिला जिसका वित्तीय विवरणों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।

ix. कंपनी अधिनियम की धारा 197 और अनुसूची V के प्रावधान केवल सार्वजनिक कंपनियों (public companies) पर लागू होते हैं। इसलिए, अधिनियम की धारा 197(16) के तहत रिपोर्टिंग इस कंपनी पर लागू नहीं होती है।

ह/-

कमल श्रीवास्तव (सदस्य संख्या: 075285)

पार्टनर, अजय गोयल एंड कंपनी

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

लखनऊ: 26 अगस्त, 2025

यूडीआईएन: 25075285BMOAYF9115

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध 'A'

सामर्थ्या मिलक उत्पादक कंपनी लिमिटेड की 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए हमारी रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' खंड के पैराग्राफ '1' में संदर्भित)

हमने अपनी लेखा परीक्षा (ऑडिट) के दौरान उचित समझी गई जाँच और दी गई जानकारी और समझाए गए बिन्दुओं के आधार पर निम्नलिखित बातें कही हैं:

1. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के संबंध में:

- (i) कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का पूरा ब्यौरा (मात्रात्मक विवरण और स्थान सहित) दर्शाने वाले उचित रिकॉर्ड रखे हैं। (ii) कंपनी ने अमूर्त संपत्तियों का पूरा ब्यौरा दर्शाने वाले उचित रिकॉर्ड रखे हैं।
- प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की भौतिक रूप से जाँच की गई है। हमारी राय में, कंपनी के आकार और उसकी संपत्तियों की प्रकृति को देखते हुए यह जाँच कार्यक्रम उचित था। बही खातों और भौतिक जाँच के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं देखा गया।
- कंपनी के पास कोई अचल संपत्ति (जमीन, भवन) नहीं है, इसलिए इस बारे में रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र, उपकरण या अमूर्त संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।
- बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 के तहत कंपनी के खिलाफ कोई बेनामी संपत्ति रखने के लिए वर्ष में कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई थी और न ही 31 मार्च, 2025 तक कोई लंबित थी।

2. सूची (Inventory/स्टॉक) के संबंध में:

- प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान सूची की भौतिक जाँच की गई। हमारी राय में, जाँच की आवृत्ति, दायरा और प्रक्रिया उचित थी। भौतिक जाँच और बही रिकॉर्ड के बीच जो अंतर पाए गए, वे किसी भी प्रकार की सूची के लिए कुल मिलाकर 10% या अधिक नहीं थे और उन्हें खाता बहियों में ठीक से दर्ज कर लिया गया है।
- कंपनी को बैंकों या वित्तीय संस्थानों से चालू संपत्तियों को बंधक रखकर कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत नहीं थी। इसलिए, इस बारे में रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

3. ऋण (Loans):

कंपनी ने कंपनियों, फर्मों, LLP या अन्य पक्षों (जिनका रजिस्टर कंपनी अधिनियम की धारा 189 के तहत बनाया जाता है) को कोई ऋण (सुरक्षित या असुरक्षित) नहीं दिया है। इसलिए, इस बारे में रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

4. निवेश और गारंटी

कंपनी ने कोई ऋण नहीं दिया है, कोई निवेश नहीं किया है और न ही कोई गारंटी या जमानत दी है, जहाँ कंपनी अधिनियम की धारा 185 और 186 लागू होती है। इसलिए, इस बारे में रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

5. जमा:

कंपनी ने कंपनी अधिनियम की धारा 73, 74, 75 और 76 से संबंधित नियमों के तहत जमा या जमा जैसी राशियाँ स्वीकार नहीं की हैं। इसलिए, इस बारे में रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

6. लागत लेखा:

केंद्र सरकार द्वारा कंपनी की गतिविधियों के लिए कंपनी अधिनियम की धारा 148(1) के तहत लागत रिकॉर्ड रखने का निर्धारण नहीं किया गया है। इसलिए, इस बारे में रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

7. वैधानिक अनुपालन के संबंध में:

a. बिना किसी विवाद वाले कानूनी भुगतान, जैसे जीएसटी, प्रोविडेंट फंड, आयकर और कंपनी पर लागू होने वाले अन्य महत्वपूर्ण कानूनी भुगतान, आमतौर पर नियमित रूप से सही अधिकारियों को जमा किए गए हैं।

कंपनी पर ईएसआई (ESI), निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण फंड, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सेस (Cess) और अन्य कुछ कानूनी भुगतान लागू नहीं होते हैं। 31 मार्च, 2025 तक, जीएसटी, प्रोविडेंट फंड, आयकर या अन्य महत्वपूर्ण कानूनी भुगतानों की कोई भी बिल-विवाद वाली राशि, जो देय तारीख से छह महीने से अधिक समय से बकाया हो, नहीं थी।

b. 31 मार्च, 2025 तक, प्रोविडेंट फंड, आयकर, या जीएसटी से संबंधित कोई भी राशि ऐसी नहीं थी, जो किसी विवाद के कारण सही अधिकारियों को जमा नहीं की गई हो।

8. ऐसे कोई लेन-देन नहीं हैं, जो लेखा पुस्तकों में दर्ज नहीं किए गए हैं, जिन्हें आयकर अधिनियम, 1961 के तहत वर्ष के दौरान कर निर्धारण में आत्मसमर्पित (सेंजर) या आय के रूप में प्रकट किया गया हो।

9. पूर्ववर्ती वर्ष में प्राप्त एक बैंक से 8000 लाख रुपये की इनवॉइस डिस्काउंटिंग सुविधा के अलावा, जिसका भुगतान वर्ष के दौरान कर दिया गया था, कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी वित्तीय संस्थान, बैंक, सरकार या डिबेंचर धारकों से कोई ऋण या उधार प्राप्त नहीं किए हैं। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा किए गए प्रक्रिया कार्यों के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

a) कंपनी ने वर्ष के दौरान उधारों की चुकौती या ब्याज के भुगतान में कोई चूक (डिफॉल्ट) नहीं की है। b) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा जानबूझकर डिफॉल्टर (विलफुल डिफॉल्टर) घोषित नहीं किया गया है। c) कंपनी ने कोई टर्म लोन (दीर्घकालिक ऋण) प्राप्त नहीं किया है। d) कंपनी द्वारा अल्पकालिक आधार पर जुटाए गए किसी भी धन का उपयोग दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया है। e) कंपनी की वर्ष के दौरान कोई सहायक कंपनियाँ, संयुक्त उपक्रम या सहबद्ध कंपनियाँ नहीं थीं। अतः, आदेश के खंड (ix)(e) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है। f) कंपनी की वर्ष के दौरान कोई सहायक कंपनियाँ, संयुक्त उपक्रम या सहबद्ध कंपनियाँ नहीं थीं। अतः, आदेश के खंड (ix)(f) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

10. कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक निगम (आईपीओ) या अग्रिम सार्वजनिक निगम (एफपीओ) (जिसमें ऋण साधन शामिल हैं) और टर्म लोन के माध्यम से कोई धनराशि एकत्र नहीं की है। अतः, आदेश के पैरा 3 के खंड 3 (x) के प्रावधान लागू नहीं हैं।

11. कंपनी पर या कंपनी द्वारा किए गए किसी भी कथित धोखाधड़ी के संबंध में:

a. भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा परीक्षा पद्धतियों के अनुसार कंपनी की पुस्तकों और अभिलेखों की हमारी जांच के दौरान, हमें न तो वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा या कंपनी पर की गई किसी भी भौतिक धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसकी सूचना दी गई हो या रिपोर्ट की गई हो, और न ही प्रबंधन द्वारा हमें ऐसे किसी मामले की सूचना दी गई है।

b. कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत कोई रिपोर्ट, फॉर्म ADT-4 में, जैसा कि कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित है, वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तारीख तक केंद्र सरकार के साथ दायर नहीं की गई है। c. प्रबंधन द्वारा हमें दिए गए विवरण के अनुसार, कंपनी को वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तारीख तक कोई विसल ब्लोर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

12. कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है और निधि नियम, 2014 इस पर लागू नहीं होते हैं। अतः, आदेश के पैरा 3 के खंड (xii) के प्रावधान लागू नहीं हैं।

13. कंपनी ने अधिनियम की धारा 188 के प्रावधानों का पालन करते हुए संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन किए हैं। और संबंधित पक्ष लेन-देन का विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानक 18 संबंधित पक्ष disclosures के तहत आवश्यकतानुसार वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है। इसके अलावा, कंपनी को अधिनियम की धारा 177 के तहत एक लेखा परीक्षा समिति गठित करने की आवश्यकता नहीं है और, तदनुसार, इस सीमा तक, आदेश के खंड 3 (xiii) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।

14. आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली के संबंध में:

a. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप

चतुर्थ वार्षिक आम बैठक 2024-2025

एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है। b. लेखा परीक्षा अवधि के दौरान आंतरिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर हमारी लेखा परीक्षा के दौरान विचार किया गया।

15. कंपनी ने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई भी गैर-नकद लेन-देन नहीं किया है। अतः, आदेश के पैरा 3 के खंड (xv) के प्रावधान लागू नहीं हैं।

16. कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 IA के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है और तदनुसार, आदेश के पैरा 3 के खंड (xvi) के प्रावधान लागू नहीं हैं।

17. कंपनी ने वित्तीय वर्ष में और तत्काल पूर्व वित्तीय वर्ष में कोई नकदी हानि नहीं उठाई है।

18. वर्ष के दौरान सांविधिक लेखा परीक्षक का कोई इस्तीफा नहीं हुआ है और तदनुसार आदेश के खंड 3 (xviii) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

19. वित्तीय अनुपातों, वित्तीय परिसंपत्तियों के बट्टे खाते डालने (Ageing) और प्राप्त की अपेक्षित तिथियों और वित्तीय देनदारियों के भुगतान, वित्तीय विवरणों के साथ प्राप्त अन्य जानकारी और हमारे ज्ञान में मौजूद निदेशक मंडल और प्रबंधन की योजनाओं के आधार पर, तथा मान्यताओं को समर्थन देने वाले साक्ष्यों की हमारी जांच पर आधारित, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जो हमें यह विश्वास दिलाए कि लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तिथि पर कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो यह इंगित करती हो कि कंपनी तुलन पत्र तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने वाली, तुलन पत्र तिथि पर मौजूद अपनी देनदारियों का भुगतान करने में सक्षम नहीं है। हालांकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता की कोई गारंटी (आश्वासन) नहीं है। हम आगे स्पष्ट करते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन कि तुलन पत्र तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने वाली सभी देनदारियों का भुगतान कंपनी द्वारा उनके देय होने पर किया जाएगा।

20. कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधान कंपनी पर लागू होते हैं। चल रही परियोजनाओं के संबंध में अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) के तहत 7.64 लाख रुपये की अव्ययित राशि है। कंपनी ने उक्त अधिनियम की धारा 135(6) का अनुपालन करते हुए, वित्तीय वर्ष की समाप्ति से तीस दिनों की अवधि के भीतर अव्ययित राशि को एक विशेष खाते में स्थानांतरित कर दिया है।

21. कंपनियों अधिनियम 2013 की धारा 129, जो समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने से संबंधित है, कंपनी पर लागू नहीं होती है क्योंकि इसकी कोई सहायक कंपनी नहीं है। अतः, आदेश के पैरा 3 के खंड (xxi) के प्रावधान लागू नहीं हैं।

ह/-

कमल श्रीवास्तव (सदस्य संख्या: 075285)

पार्टनर, अजय गोयल एंड कंपनी

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

लखनऊ: 26 अगस्त, 2025

यूडीआईएन: 25075285BMOAYF9115

अनुलग्नक 'बी' लेखा परीक्षक रिपोर्ट के लिए

हमारी रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' खंड में पैराग्राफ '2' में संदर्भित) सामर्थ्यामिलक प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड (कंपनी) के सदस्यों के लिए 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

हमारे द्वारा उचित समझे गए सत्यापनों के आधार पर और हमारी लेखा परीक्षा के दौरान दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

- वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री से देय ऋणों की राशि वित्तीय विवरणों के नोट क्रमांक '16' में प्रकट की गई है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कोई ऐसे ऋण नहीं हैं, जिन्हें वसूली के संदेह युक्त (doubtful of recovery) माना जाता है।
- हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी के पास वर्ष के अंत में नकद शेष नहीं है और यह कोई निवेश प्रतिभूतियाँ (investment securities) धारित नहीं करती है।

3. परिसंपत्तियों और देनदारियों का विवरण कंपनी के 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के अनुसार है।
4. अधिनियम के अध्याय XXIA के लागू प्रावधानों के संबंध में, कंपनी ने वर्ष के दौरान सदस्यों को लाभ, शेयरों की हस्तांतरणीयता और संलग्न अधिकारों, सामान्य और अन्य संचयों (reserves) के संबंध में लेन-देन किए हैं। हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमने कंपनी द्वारा उपरोक्त संबंध में किए गए किसी भी ऐसे लेन-देन पर ध्यान नहीं दिया है, जो अधिनियम के अध्याय XXIA के लागू प्रावधानों के विपरीत प्रतीत होते हैं।
5. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने अपने निदेशकों को कोई ऋण प्रदान नहीं किया है।
6. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई दान या अंशदान नहीं दिया है।
7. वर्ष के दौरान, बैंक से बिना किसी सुरक्षा (के प्राप्त इनवॉइस डिस्काउंटिंग योजना के तहत उधारियों का भुगतान कर दिया गया।
8. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कोई अन्य मामला नहीं है जिसे रिपोर्ट करना आवश्यक समझा जाए।

ह/-

कमल श्रीवास्तव

(सदस्य संख्या: 075285)

पार्टनर, अजय गोयल एंड कंपनी

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

लखनऊ: 26 अगस्त, 2025

यूडीआईएन: 25075285BMOAYF9115

अनुलग्नक 'सी' लेखापरीक्षक रिपोर्ट के लिए (हमारी रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' खंड में पैराग्राफ '3 (च)' में संदर्भित) सामर्थ्यामिलक प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड (कंपनी) के सदस्यों के लिए 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष हेतु कंपनियों अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट। हमने उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की अपनी लेखा परीक्षा के संयोजन में, 31 मार्च 2025 तक सामर्थ्यामिलक प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड (कंपनी) की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा परीक्षण किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (ICAI) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण मानदंडों के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्यशील थे, जिसमें कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी संपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखा अभिलेखों की शुद्धता और पूर्णता, और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी का समय पर तैयारी शामिल है।

ऑडिटर की जिम्मेदारी

हमारा उत्तरदायित्व हमारे ऑडिट के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अपनी राय व्यक्त करना है। हमने अपना ऑडिट वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट और ऑडिटिंग मानकों के अनुसार संचालित किया है, जो ICAI द्वारा जारी किए गए हैं और जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत विहित माना जाता है, जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर लागू होते हैं। ये मानक और मार्गदर्शन नोट (आवश्यक) करते हैं कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और यह आश्वासन प्राप्त करने के लिए ऑडिट की योजना बनाएं और निष्पादित करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी मौलिक पहलुओं में प्रभावी रूप से संचालित हुए।

हमारे ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उसकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारे ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, यह आकलन करना कि कोई मौलिक दोष मौजूद है, और आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन शामिल था। चयनित प्रक्रियाएं ऑडिटर के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त किया गया ऑडिट साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी ऑडिट राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

किसी कंपनी का वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों के निर्माण के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। किसी कंपनी का वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो:

(1) अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं, जो यथोचित विस्तार (reasonable detail) में, कंपनी के लेन-देन और उसकी संपत्तियों के निपटान को सही और न्यायसंगत ढंग से दर्शाते हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करती हैं कि लेन-देन उस तरह से दर्ज किए जाते हैं जिससे सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करना संभव हो, और यह कि कंपनी की प्राप्तियां और भुगतान केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकार (authorizations) के अनुसार ही किए जा रहे हैं; तथा (3) संपत्ति की सुरक्षा के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करती हैं, जिससे कंपनी की संपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान का समय पर पता लगाना या उनकी रोकथाम हो सके, जिसका वित्तीय विवरणों पर भौतिक (material) प्रभाव हो सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की निहित सीमाएँ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में निहित सीमाओं के कारण, जिसमें नियंत्रणों के ऊपर सांठगांठ या अनुचित प्रबंधन अधिरोहण (improper management override) की संभावना भी शामिल है, त्रुटि या कपट के कारण होने वाली भौतिक गलत विवरण उत्पन्न हो सकती हैं और उनका पता नहीं चल पाता।

इसके अतिरिक्त, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन का भविष्य की अवधियों में प्रक्षेपण (projections) इस जोखिम के अधीन है कि परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकते हैं, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री में गिरावट आ सकती है।

राय (Opinion)

हमारी राय में, हमारी जानकारी के अनुसार और हमें दी गई व्याख्याओं के आधार पर, कंपनी ने सभी मौलिक पहलुओं में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बनाए रखे हैं और ऐसे वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2025 तक प्रभावी रूप से कार्यशील थे। यह राय वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए कंपनी द्वारा स्थापित मानदंडों के आधार पर है, जिसमें भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (ICAI) द्वारा जारी 'वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट' में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखा गया है।

ह/-

कमल श्रीवास्तव

(सदस्य संख्या: 075285)

पार्टनर, अजय गोयल एंड कंपनी

(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

लखनऊ: 26 अगस्त, 2025

यूडीआईएन: 25075285BMOAYF9115

चतुर्थ वार्षिक आम बैठक 2024-2025

सामर्थ्यां मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
CIN: U01100UP2022PTC161571
31 मार्च, 2025 को आर्थिक चिह्ना (बैलेंस शीट)

पूंजी और देनदारियाँ

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2025 तक (लाख रुपये)	31 मार्च, 2024 तक (लाख रुपये)
शेयरधारकों की निधियाँ			
शेयर पूंजी	3	1,262.52	604.93
संचय और अधिशेष	4	1,606.23	717.64
		2,868.75	1,322.57
आवंटन हेतु लंबित शेयर	5	56.18	153.44
आवेदनराशि			
स्थगित अनुदान	6	2,167.43	1,951.47
अर-चालू दायित्व			
अन्य दीर्घकालिक दायित्व	7	938.30	729.32
दीर्घकालिक प्रावधान	8	47.09	18.46
		985.39	747.78
चालू दायित्व			
अल्पकालिक उधार	9	-	7,223.17
व्यापार देय	10		
- सूक्ष्म और लघु उद्यमों के बकाया देय		7.37	3.29
- अन्य लेनदारों के बकाया देय		2,413.58	1,487.27
अन्य चालू दायित्व	11	249.65	1,610.91
अल्पकालिक प्रावधान	12	357.13	264.56
योग		3,027.73	10,589.20
कुल योग		9,105.48	14,764.46
गैर-प्रवहनीय सम्पत्तियाँ			
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण			
मूर्त संपत्तियाँ	20	2,060.76	1,525.48
अमूर्त संपत्तियाँ ²⁰	5.44	9.83	
पूंजी कार्य-प्रगति में	20a	143.99	420.67
स्थगित कर संपत्ति (शुद्ध)	13	13.68	6.24
अन्य अर-चालू संपत्तियाँ	14	3.65	3.65
		2,227.52	1,965.88
चालू संपत्ति			
सूची	15	321.87	309.70
व्यापार प्राप्य	16	2,299.66	8,983.54
रोकड़ और रोकड़ समतुल्य	17	805.59	308.36
अन्य बैंक शेष	17	2,192.98	2,817.38
अल्पकालिक ऋण और अग्रिम	18	418.52	310.25
अन्य चालू संपत्तियाँ	19	839.34	69.35
योग		6,877.96	12,798.58
कुल योग		9,105.48	14,764.46

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ 2
वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग सहायक टिप्पणियाँ देखें।

बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से और उनके लिए

प्रशान्त ब्राह्मव्या
निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी
(DIN: 09718702)

लक्ष्मी देवी
अध्यक्ष और निदेशक
(DIN: 09554762)

कुमकुम
निदेशक
(DIN: 09554864)

उदभव प्रताप सिंह
कंपनी सचिव
(M.No. 36638)

सुनील कुमार चौधरी
प्रबंधक - लेखा और वित्त

हमारी समान तिथि वाली रिपोर्ट के अनुसार

ह/-
कमल श्रीवास्तव
(सदस्य संख्या: 075285)
पार्टनर, अजय शायल एंड कंपनी
(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)
लखनऊ: 26 अगस्त, 2025
यूडीआईएन:
25075285BMOAYF9115

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि विवरण

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष (लाख रुपये में)	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष (लाख रुपये में)
आय (Income)		
परिचालन से राजस्व (Revenue from operations)	21	55,556.70
अन्य आय (Other Income)	22	938.02
कुल आय (Total Income)		56,494.72
व्यय (Expenses)		
व्यापारिक माल की खरीद (Purchases of traded goods)	23	50,749.20
स्टॉक-इन-ट्रेड में परिवर्तन (Change in inventory of stock-in-trade)	24	8.50
कर्मचारी लाभ व्यय (Employee benefits expenses)	25	679.65
वित्त लागत (Finance Costs)	26	65.29
मूल्यहास और परिशोधन व्यय (Depreciation and amortization expenses)	27	5.08
अन्य व्यय (Other expenses)	28	3,711.75
कुल व्यय (Total Expenses)		55,219.47
असाधारण और आकस्मिक मदों तथा करों से पूर्व लाभ		1,275.25
असाधारण मद (Exceptional Items)	-	-
आकस्मिक मदों, पूर्व अवधि की मद तथा करों से पूर्व लाभ		1,275.25
आकस्मिक मद (Extraordinary items)	-	-
कर से पूर्व लाभ (Profit before tax)		1,275.25
कर व्यय (Tax expenses)		
चालू कर (Current tax)		340.00
पिछले वर्षों के लिए (For earlier years)		5.71
आस्थगित कर (Deferred tax)		(7.45)
कुल कर व्यय		338.26
सतत परिचालनों से वर्ष का लाभ		936.99
असतत परिचालनों से लाभ/(हानि)	-	-
असतत परिचालनों का कर व्यय	-	-
असतत परिचालनों से लाभ/(हानि) (कर के बाद)	-	-
वर्ष के लिए लाभ (Profit for the year)		936.99
प्रति इक्विटी शेयर आय (Earnings per equity share) (अंकित मूल्य रु. 100 प्रति शेयर)	29	
मूल (Basic)		रु. 103.58
परि. (Diluted)		रु. 103.48

बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से और उनके लिए

हमारी समस्त लिखित वारी रिपोर्ट के अनुसार

पञ्चाल झांडव्या

निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी

(DIN: 09718702)

लक्ष्मी देवी

अध्यक्ष और निदेशक

(DIN: 09554762)

ह/-

कमल श्रीवास्तव

(सदस्य संख्या: 075285)

पार्टनर, अजय गोयल एंड कंपनी

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

तख्तनर: 26 अगस्त, 2025

मुह्रीआईएन:

25075285BMOAYF9115

कुमकुम

निदेशक

(DIN: 09554864)

उद्भव प्रताप सिंह

कंपनी अधिकारी

(M.No. 36638)

सुनील कुमार चौधरी

संबंधक - लेखा और वित्त

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष (लाख रुपये में)	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष (लाख रुपये में)
A. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
कर पूर्व लाभ	1,275.25	964.98
समायोजन:		
ह्रास और परिशोधन व्यय	5.08	1.68
वित्तीय लागत	65.29	56.41
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर लाभ (निवल)	(2.11)	-
व्याज आय	(167.25)	(40.11)
कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पूर्व परिचालन लाभ	1,176.27	982.97
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन:		
व्यापार प्राप्तियों में (वृद्धि)/कमी	6,683.88	(8,544.56)
माल-सूची में (वृद्धि)/कमी	(12.17)	(295.91)
व्यापार एवं अन्य देयताओं में वृद्धि/(कमी)	(430.87)	2,623.35
अल्पकालिक प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)	92.56	261.30
दीर्घकालिक प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)	28.63	18.46
अल्पकालिक ऋण एवं अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी	(108.27)	(305.92)
अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	-	(3.65)
अन्य चालू परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	(769.99)	(17.95)
अन्य दीर्घकालिक देनदारियों में वृद्धि/(कमी)	208.98	729.32
परिचालन में प्रयुक्त नकदी	6,869.02	(4,552.58)
भुगतान किए गए प्रत्यक्ष कर	(345.71)	(259.68)
परिचालन गतिविधियों से उत्पन्न/(प्रयुक्त) निवल नकदी	6,523.31	(4,812.26)
B. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की खरीद के लिए भुगतान	(491.28)	(2,055.46)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री से प्राप्त राशि	2.98	-
प्राप्त व्याज	167.25	40.11
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर लाभ (निवल)	2.11	-
नकद समतुल्य नमाने जाने वाले बैंक शेष	624.41	(2,817.38)
निवेश गतिविधियों से उत्पन्न/(प्रयुक्त) निवल नकदी	305.47	(4,832.74)
C. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
दीर्घकालिक उधारी में प्राप्ति/(पुनर्भुगतान)	-	-
अल्पकालिक उधारी में प्राप्ति/(पुनर्भुगतान) (निवल)	(7,223.17)	7,223.17
अनुदान से प्राप्ति	444.98	2,049.26
अनुदान का राजस्व व्यय के लिए उपयोग	-	-
भुगतान की गई वित्तीय लागत	(65.29)	(56.41)
शेयर आवेदन राशि में निवल वृद्धि/(कमी)	(97.26)	143.51
भुगतान किया गया लाभांश	(48.39)	-
इक्विटी शेयर पूंजी के निर्गमन से प्राप्ति	657.59	505.86
(आत्मसमर्पित शेयरों को घटाकर)		
वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न/(प्रयुक्त) निवल नकदी	(6,331.55)	9,865.39
नकदऔर नकद समतुल्यों में निवल वृद्धि/(कमी)	497.23	220.39
जोड़ें: प्रारंभिक नकदऔर नकद समतुल्य	308.36	87.97
अंतिम नकदऔर नकद समतुल्य	805.59	308.36

बीडी ऑफ़ कारपोरेटलॉ की और वी और उनके सिंग

वसुधाय नारायण
सिंहधारा और मुख्यालय कारपोरेटलॉ अधिवक्ता
(CIN: 09710702)

मुख्यालय
सिंहधारा:
(CIN: 09554864)

मुख्यालय मुख्यालय अधिवक्ता
संस्थापक - वसुधाय और सिंग

वसुधाय देवी
अध्यक्ष और सिंहधारा:
(CIN: 09554862)

उद्देश्य नारायण सिंह
संस्थापक अधिवक्ता
(M.No. 36636)

इसारी नारायण सिंह धारा सिंधी के अनुसार

इ.
नारायण नारायण
(संस्थापक अध्यक्ष: 075285)
सिंहधारा, अजय नारायण पंथ संस्थापक
(संस्थापक अध्यक्ष: 075285)
संस्थापक: 28 अगस्त, 2025
मुख्यालय: 28075285MCA2F8115

सामर्थ्यां मिलक प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ एवं लेखा विवरण के नोट्स

1. कॉर्पोरेट सूचना

सामर्थ्यां मिलक प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड (कंपनी) का निगमन 30 मार्च, 2022 को कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXI-A के तहत मुख्य उद्देश्य के साथ किया गया था: मुख्य रूप से सदस्यों के दूध और दुग्ध उत्पादों के पूलिंग, खरीद और प्रसंस्करण का व्यवसाय करना; सदस्यों के लाभ के लिए दूध उत्पादन बढ़ाने हेतु प्रजनन, चारा/पशुचारा, पशु चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में तकनीकी और प्रबंधकीय सेवाएं प्रदान करना; और इससे संबंधित किसी भी गतिविधि के भाग या आनुषंगिक गतिविधियों का संचालन करना।

कंपनी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सात जिलों - रायबरेली, सुल्तानपुर, अमेठी, अयोध्या, फतेहपुर, कानपुर नगर और प्रतापगढ़ - में दूध खरीद गतिविधियाँ संचालित करती है। कंपनी गाँवों में निर्दिष्ट मिलक पूलिंग पॉइंट्स (MPPs) के माध्यम से सीधे उत्पादकों से दूध की खरीद करती है और मदर डेयरी फल एवं सब्जी प्राइवेट लिमिटेड तथा अन्य डेयरियों को आपूर्ति करती है। इसके अतिरिक्त, कंपनी घी, पशुचारा और खनिज मिश्रण के व्यापार में भी है।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ निम्नलिखित हैं:

a. लेखांकन का आधार

कंपनी के वित्तीय विवरण भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (इंडियन GAAP) के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 और कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 अधिनियम) की धाराओं के अनुपालन में तैयार किए गए हैं। वित्तीय विवरण प्रोद्धवन (accrual) आधार पर और ऐतिहासिक लागत के अंतर्गत तैयार किए गए हैं। वित्तीय विवरणों की तैयारी में अपनाई गई लेखांकन नीतियाँ पिछले वर्ष में अनुसरण की गई नीतियों के अनुरूप हैं।

b. अनुमानों का उपयोग

इंडियन GAAP के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को परिसंपत्तियों और देनदारियों (सहित आनुषंगिक देनदारियों) की रिपोर्ट की गई राशियों और वर्ष के दौरान प्राप्त आय और व्यय में विचार किए गए अनुमान और धारणाएँ बनानी पड़ती हैं। प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय विवरणों की तैयारी में उपयोग किए गए अनुमान विवेकपूर्ण और उचित हैं। भविष्य के परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं और वास्तविक परिणामों एवं अनुमानों के बीच के अंतर को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें परिणाम ज्ञात होते/सामने आते हैं।

c. नकद और नकद समतुल्य (नकदी प्रवाह विवरण के प्रयोजनों के लिए)

नकद में हाथ में नकदी और बैंकों में मांग जमा शामिल हैं। नकद समतुल्य अल्पकालिक शेष (जिसकी मूल परिपक्वता अधिग्रहण की तारीख से तीन महीने या उससे कम है), अत्यधिक तरल निवेश हैं जो ज्ञात नकदी राशियों में परिवर्तनीय हैं और जिनके मूल्य में परिवर्तन का जोखिम नगण्य है।

d. नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह अप्रत्यक्ष पद्धति का उपयोग करके रिपोर्ट किए जाते हैं, जिसके तहत असाधारण मदों और कर से पूर्व लाभ/(हानि) को गैर-नकद प्रकृति के लेन-देन और अतीत या भविष्यनकद प्राप्तियों या भुगतानों के किसी भी अनुबंध या अकंकण के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है। कंपनी की संचालन, निवेश और वित्तपोषण गतिविधियाँ से नकदी प्रवाह उपलब्ध जानकारी के आधार पर अलग किए गए हैं।

चतुर्थ वार्षिक आम बैठक 2024-2025

e. राजस्व मान्यता

बिक्री को रिटर्न और व्यापार छूट को घटाकर, स्वामित्व के महत्वपूर्ण जोखिम और प्रतिफलके खरीदारों को हस्तांतरित होने पर मान्यता दी जाती है, जो आम तौर पर ग्राहकों को माल की डिलीवरी के साथ मेल खाता है।

f. अन्य आय

जमा राशि पर ब्याज आय प्रोद्भव (आधार पर मान्यता प्राप्त है और सदस्यों से प्रवेश शुल्क आधार पर मान्यता प्राप्त है।

g. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (अमूर्त संपत्तियाँ सहित)

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त संपत्तियाँ उनकी लागत पर, संचित ह्रास/परिशोधन और यदि कोई हो तो ह्रास हानि को घटाकर, ले जाई जाती हैं। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त संपत्तियों की लागत में निम्नलिखित शामिल हैं: उनकी क्रय मूल्य (किसी भी व्यापारिक छूट और रिबेट्स को घटाकर) अन्य कर (उन करों के अलावा जो बाद में कर अधिकारियों से वसूले जा सकने योग्य हों) संपत्ति को उसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार करने से सीधे-सीधे सम्बंधित कोई भी व्यय अन्य आनुषंगिक व्ययत्रणों पर ब्याज, जो योग्य संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अधिग्रहण के लिए सम्बंधित है, और जो उस तारीख तक का हो जब तक संपत्ति अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार हो जाती है। खरीद के बाद संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर किए गए बाद के व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है यदि ऐसा व्यय उस संपत्ति से भविष्य में होने वाले लाभों में उसके पूर्व-मूल्यांकित कार्य-मानक से अधिक की वृद्धि करता है।

h. ह्रास और परिशोधन

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त संपत्तियों पर ह्रास का प्रावधान सीधी रेखा पद्धति (Straight Line Method) के अनुसार (लागत के 5% अवशिष्ट मूल्य (residual value) पर विचार करने के बाद) संपत्तियों के उपयोगी जीवन के अनुसार किया गया है। इसमें निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा गया है: संपत्ति की प्रकृति, प्रबंधन द्वारा आकलित संपत्तियों का अनुमानित उपयोगी जीवन, संपत्ति की परिचालन स्थिति, प्रतिस्थापनों का पिछला इतिहास, प्रत्याशित तकनीकी परिवर्तन, निर्माता वारंटी और रखरखाव सहायता आदि, जैसा कि नीचे दिया गया है;

विवरण	उपयोगी जीवन (वर्षों में)
दूध के कैन	4
पेन ड्राइव	3
प्लांट और मशीनरी	10
5000 रुपये से कम लागत की प्लांट और मशीनरी	1
प्रयोगशाला सामग्री	5
कंप्यूटर और परिधीय उपकरण	3
फर्नीचर और फिक्स्चर	10
कार्यालय उपकरण	5
अमूर्त संपत्तियाँ	3

तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, प्रबंधन का मानना है कि उपरोक्त उपयोगी जीवन वह अवधि सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व करते हैं जिसके दौरान प्रबंधन इन संपत्तियों का उपयोग करने की अपेक्षा करता है। इसलिए, इन संपत्तियों के लिए उपयोगी जीवन कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के भाग C के तहत निर्धारित उपयोगी जीवन से भिन्न है।

i. पूंजीकरण-under-progress (Capital Work-in-Progress)

जो संपत्तियाँ अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं हैं, उन्हें लागत पर ले जाया जाता है, जिसमें प्रत्यक्ष लागत, संबंधित आनुषंगिक व्यय और आरोपण योग्य ब्याज शामिल होते हैं।

j. प्रारंभिक और प्री-ऑपरेटिव व्यय

कंपनी के गठन से संबंधित फाइलिंग/कानूनी फीस पर किए गए व्यय और कंपनी के निगमन से पहले किए गए सभी व्ययों को प्रारंभिक व्यय के रूप में माना जाता है। इन प्रारंभिक व्ययों को कंपनी के परिचालन शुरू होने के बाद लिखा जाता है। व्यवसाय की स्थापना के दौरान वाणिज्यिक परिचालन शुरू होने तक किए गए व्ययों को प्री-ऑपरेटिव व्यय के रूप में लेखांकित किया जाता है। ऐसे व्यय प्री-ऑपरेटिव आय को घटाकर दिखाए जाते हैं। ऐसे व्यय, जो किसी स्थायी संपत्ति/परियोजना के निर्माण/अधिग्रहण से सीधे तौर पर सम्बंधित हैं ताकि उसे इसके इच्छित उपयोग के लिए इसकी कार्यशील स्थिति में लाया जा सके, पूंजीकृत किए जाते हैं (यानी संपत्ति की लागत में जोड़े जाते हैं)। और जो व्यय सीधे तौर पर सम्बंधित नहीं हैं, उन्हें वाणिज्यिक परिचालन शुरू होने वाले वर्ष में लाभ और हानि विवरण में खर्च के रूप में चार्ज कर दिया जाता है।

k. माल-सूची (Inventories)

माल-सूची में व्यापारिक माल (दूध, पशुचारा, खनिज मिश्रण और घी) और भंडार और अतिरिक्त सामान शामिल हैं। माल-सूची का मूल्यांकन लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य में से जो भी कम हो, पर किया जाता है। इसमें अप्रचलन और अन्य हानियों के लिए, जहाँ आवश्यक समझा जाए, प्रावधान करने के बाद का मूल्य शामिल होता है। लागत का निर्धारण फर्स्ट इन फर्स्ट आउट (FIFO) पद्धति का उपयोग करके किया जाता है। लागत में माल-सूची को उनके वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने में सभी व्यय शामिल होते हैं।

l. अनुदान

अनुदानों और सब्सिडियों को तब मान्यता दी जाती है जब यह reasonable assurance (उचित आश्वासन) होता है कि कंपनी उनसे जुड़ी शर्तों का पालन करेगी और अनुदान/सब्सिडी प्राप्त हो जाएंगे।

ह्रास योग्य संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से संबंधित अनुदानों को स्थगित अनुदान के रूप में माना जाता है, जिसे संपत्ति के उपयोगी जीवन में एक प्रणालीबद्ध और तर्कसंगत आधार पर लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है। अर्थात्, ऐसे अनुदानों से प्राप्त संपत्तियों पर ह्रास शुल्क को स्थगित अनुदान से विनियोजित किया जाता है और लाभ और हानि विवरण में कम ह्रास शुल्क के माध्यम से मान्यता दी जाती है।

राजस्व अनुदान) और अनुदान कोषों पर अर्जित ब्याज को आय के रूप में उन अवधियों में मान्यता दी जाती है, जो उस लागत के साथ match करने के लिए आवश्यक होती हैं, जिसकी क्षतिपूर्ति के लिए उनका इरादा है, और यह एक संविधानिक आधार पर किया जाता है।

m. कर्मचारी लाभ

कंपनी के कर्मचारियों को प्रदान किए जाने वाले लाभों में प्रोविडेंट फंड, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, ग्रेजुटी (भविष्य निधि), मुआवजा युक्त अनुपस्थिति और बोनस शामिल हैं।

क. निर्धारित योगदान योजनाएं:

कंपनी का प्रोविडेंट फंड और कर्मचारी राज्य बीमा योजना में योगदान, निर्धारित योगदान योजना माना जाता है। इन योगदानों की राशि को लाभ-हानि विवरण (Statement of Profit and Loss) में उस समय चार्ज किया जाता है, जब कर्मचारियों की सेवाएं प्राप्त होती हैं और योगदान करना आवश्यक होता है।

ख. निर्धारित लाभ योजनाएं:

ग्रेजुटी और अवकाश नगदीकरण को निर्धारित लाभ योजना माना जाता है। इनके लिए देयता का प्रावधान तुलन तिथि (Balance Sheet Date) पर की गई एक्युरियल मूल्यांकन (सांख्यिकीय आकलन) के आधार पर किया जाता है। रिपोर्टिंग तिथि पर 'प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट' (PUC) पद्धति से किए गए एक्युरियल मूल्यांकन के आधार पर बढ़ी हुई देयता को लाभ-हानि विवरण में चार्ज किया जाता है।

एक्चुरियल लाभ और हानियों को लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

ग. अल्पकालिक कर्मचारी लाभ

कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बदले में भुगतान किए जाने की अपेक्षा वाले अल्पकालिक कर्मचारी लाभों की बढ़ा-मुक्त राशि की पहचान उस वर्ष के दौरान की जाती है जब कर्मचारी सेवाएं प्रदान करते हैं। इन लाभों में वेतन, मजदूरी, बोनस, प्रदर्शन प्रोत्साहन और मुआवजा युक्त अनुपस्थिति शामिल हैं, जिनके होने की अपेक्षा उस अवधि की समाप्ति के बारह महीने के भीतर होती है जिसमें कर्मचारी ने संबंधित सेवाएं प्रदान की हैं।

घ. दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

मुआवजा युक्त अनुपस्थिति, जिनके होने की अपेक्षा उस अवधि की समाप्ति के बारह महीने के भीतर नहीं है जिसमें कर्मचारी ने संबंधित सेवाएं प्रदान की हैं, को तुलन तिथि पर एक्चुरियल मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य पर एक देयता के रूप में मान्यता दी जाती है।

न. मूल प्रति शेयर आय (Basic Earnings Per Share):

इसकी गणना वर्ष के दौरान अपार्ट (बकाया) इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा, इक्विटी शेयरधारकों के लिए कर के बाद के वार्षिक शुद्ध लाभ या हानि को विभाजित करके की जाती है।

तनु प्रति शेयर आय (Diluted Earnings Per Share):

प्रति इक्विटी शेयर तनु आय की गणना, इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और वर्ष के दौरान बकाया तनु संभावित इक्विटी शेयरों (जैसे वॉरंट, एसओपी आदि) का उपयोग करके की जाती है, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां परिणाम प्रति शेयर आय को बढ़ाने वाले (एंटी-डाइल्यूटिव) हों। केवल वही पोटेंशियल शेयर शामिल किए जाते हैं जिनके कारण प्रति शेयर आय कम होती है (डाइल्यूटिव प्रभाव)।

o. कराधान (Taxation)

आयकर व्यय में वर्तमान कर और स्थगित कर शामिल होते हैं।

वर्तमान कर (Current Tax):

वर्तमान कर देयता, वर्ष की करयोग्य आय पर देय कर की राशि है। इसका निर्धन आयकर अधिनियम, 1961 की लागू कर दरों और प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT - Minimum Alternate Tax):

कर कानूनों के तहत भुगतान किया गया न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT), जो भविष्य की आयकर देयता में समायोजन के रूप में भविष्य में आर्थिक लाभ प्रदान करता है, एक परिसंपत्ति (Asset) के रूप में माना जाता है, बशर्ते यह प्रमाणित हो कि कंपनी सामान्य आयकर का भुगतान करेगी। तदनुसार, MAT को बैलेंस शीट में एक परिसंपत्ति के रूप में तब मान्यता दी जाती है जब यह अत्यधिक संभावना (Highly Probable) हो कि इससे जुड़ा भविष्य का आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होगा।

स्थगित कर (Deferred Tax):

स्थगित कर, समय अंतर पर मान्यता प्राप्त होता है। समय अंतर वे अंतर हैं जो करयोग्य आय और लेखांकन आय (के बीच उत्पन्न होते हैं, एक अवधि में उत्पन्न होते हैं और एक या अधिक अवधियों में पलटने (Reversal) में सक्षम होते हैं) स्थगित कर का मापन, रिपोर्टिंग तिथि पर लागू कर दरों और कर कानूनों (जो बन चुके हैं या बाद में बनेंगे) का उपयोग करके किया जाता है स्थगित कर देयताएं (Deferred Tax Liabilities): सभी समय अंतरों के लिए मान्यता प्राप्त होती हैं स्थगित कर परिसंपत्तियां (Deferred Tax Assets): अवशेषित ह्रास और आगे किए गए नुकसान (Carry Forward Losses) के अलावा अन्य मदों के समय अंतरों के लिए, स्थगित कर परिसंपत्तियां केवल

चतुर्थ वार्षिक आम बैठक 2024-2025

तभी मान्यता प्राप्त करती हैं जब युक्तियुक्त निश्चितताहो कि भविष्य में पर्याप्त करयोग्य आय उपलब्ध होगी जिससे इनका एहसास (Realization) हो सके। अवशोषित ह्रास और आगे किए गए नुकसान के मामले में, स्थगित कर परिसंपत्तियां केवल तभी मान्यता प्राप्त करती हैं जब वास्तविक निश्चितता हो कि ऐसी परिसंपत्तियों का एहसास करने के लिए भविष्य में पर्याप्त करयोग्य आय उपलब्ध होगी। स्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं का ऑफसेट किया जाता है, यदि यह मदें एक ही शासकीय कर कानून द्वारा लगाए गए आयकर से संबंधित हैं और कंपनी के पास ऐसे ऑफसेट का कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार है।

p. परिसंपत्ति की हानि (Impairment of Asset)

प्रत्येक तुलन पत्र (बैलेंस शीट) की तिथि पर, कंपनी अपनी अचल परिसंपत्तियों के लेखांकन मूल्य की समीक्षा करती है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या कोई संकेत है कि उन परिसंपत्तियों में मूल्यह्रास हानि हुई है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद होता है, तो हानि की सीमा निर्धारित करने के लिए परिसंपत्ति की प्राप्य राशि का अनुमान लगाया जाता है। प्राप्य राशि: प्राप्य राशि एक परिसंपत्ति के शुद्ध विक्रय मूल्य और उपयोग मूल्य में से जो भी अधिक होता है, होती है। उपयोग मूल्य का आकलन: उपयोग मूल्य का आकलन करते समय, परिसंपत्ति के निरंतर उपयोग और उसके निपटान से अपेक्षित अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को एक पूर्व-छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है। यह छूट दर धन के समय मूल्य और परिसंपत्ति से जुड़े जोखिमों के वर्तमान बाजार आकलन को दर्शाती है। हानि पुनर्प्राप्ति मूल्यह्रास हानि में पुनर्प्राप्ति (यदि कोई हो) को लाभ-हानि विवरण में आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

q. प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ

प्रावधान (Provision) की मान्यता:

किसी प्रावधान को तब मान्यता दी जाती है जब किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान दायित्व उत्पन्न होता है, जिसके परिणामस्वरूप संसाधनों के बहिर्प्रवाह की संभावना होती है और उस दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। आकस्मिक दायित्व का प्रकटीकरण: किसी आकस्मिक दायित्व का प्रकटीकरण तब किया जाता है जब:

कोई संभावित दायित्व हो, या कोई वर्तमान दायित्व हो जिसके कारण संसाधनों का बहिर्प्रवाह हो सकता है, परंतु संभवतः नहीं भी होगा। कोई प्रावधान या प्रकटीकरण नहीं: जब कोई संभावित दायित्व या वर्तमान दायित्व हो और संसाधनों के बहिर्प्रवाह की संभावना दूर हो, तो न तो कोई प्रावधान मान्यता प्राप्त करता है और न ही आकस्मिक दायित्व का प्रकटीकरण किया जाता है। आकस्मिक परिसंपत्ति: किसी आकस्मिक परिसंपत्ति को न तो वित्तीय विवरणों में मान्यता दी जाती है और न ही प्रकट किया जाता है।

r. पट्टे (Leases)

ऐसे पट्टा समझौते, जिनमें किसी परिसंपत्ति के स्वामित्व से जुड़े जोखिम और प्रतिफल मुख्य रूप से पट्टादाता के पास निहित होते हैं, को परिचालन पट्टे के रूप में मान्यता दी जाती है। परिचालन पट्टों के अंतर्गत पट्टा किराया को लाभ-हानि विवरण में सीधी-रेखा पद्धति पर मान्यता दी जाती है।

s. परिचालन चक्र

कंपनी के उत्पादों/गतिविधियों की प्रकृति और परिसंपत्तियों के अधिग्रहण तथा उनके नकद या नकद समतुल्य में रूपांतरण के बीच सामान्य समय के आधार पर, कंपनी ने अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों को चालू और गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत करने के उद्देश्य से अपना परिचालन चक्र 12 महीने निर्धारित किया है।

t. सामान्य (General) जहां कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है, वहाँ लेखांकन नीतियाँ सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हैं और इन्हें लगातार एक समान रूप से लागू किया गया है।

3. अंशपूंजी (Share Capital)

क) अधिकृत पूंजी (Authorized):

25,00,000 इक्विटी अंश (पिछले वर्ष: 10,00,000 अंश) प्रत्येक 100 मूल्य वाले

राशि: 2,500.00 लाख (पिछले वर्ष: 1,000.00 लाख)

ख) निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त पूंजी (Issued, Subscribed and Paid-up):

12,62,519 इक्विटी अंश (पिछले वर्ष: 6,04,934 अंश) प्रत्येक 100 मूल्य वाले, पूर्ण प्रदत्त*

राशि: 1,262.52 लाख (पिछले वर्ष: 604.93 लाख)

ग) अंशों के संबंध में विवरण:

कंपनी के केवल एक ही वर्ग के अंश हैं, जिन्हें इक्विटी अंश कहा जाता है, जिनका अंकित मूल्य 100 प्रति अंश है। प्रत्येक सदस्य के पास एक मत होगा।

सदस्य कंपनी के संघ memorandum और articles of association के अनुसार प्रतिफल (लाभांश) और मूल्य प्रोत्साहन के हकदार हैं।

निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश, आगामी वार्षिक सामान्य बैठक में shareholders की स्वीकृति के अधीन है।

वित्तीय वर्ष के दौरान या तत्काल पूर्व के 5 वर्षों में नकद के अलावा किसी अन्य प्रतिफल के लिए या बोनस अंशों के

रूप में कोई अंश जारी नहीं किया गया है।

घ) वर्ष के प्रारंभ और अंत में बकाया अंशों का सामंजस्य:

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक		
	अंशों की संख्या	राशि (लाख ₹ में)	अंशों की संख्या	राशि (लाख में)
वर्ष की प्रारंभिक शेष	6,04,934	604.93	99,072	99.07
जोड़े: वर्ष के दौरान जारी किए गए अंश				
(आत्मसमर्पित अंशों को घटाकर)	6,57,585	657.59	5,05,862	505.86
वर्ष की अंतिम शेष	12,62,519	1,262.52	6,04,934	604.93

ड) प्रवर्तकों की अंशधारिता:

कंपनी कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXI-A के तहत एक 'उत्पादक कंपनी' के रूप में पंजीकृत है और कोई भी सदस्य कंपनी की अंशपूंजी का 5% या अधिक नहीं रखता है। टेबल से पता चलता है कि शीर्ष 11 प्रवर्तकों की अंशधारिता बहुत कम (0.00% से 0.01% तक) है और वर्ष के दौरान नगण्य परिवर्तन हुआ है।

4. संचय और अधिशेष

लाभ-हानि विवरण खाते में अधिशेष:

विवरण	राशि (लाख में)	
	31.03.2025	31.03.2024
प्रारंभिक शेष	717.64	6.71
जोड़े: वर्ष की शुद्ध लाभ	936.99	710.93
घटाएं: सदस्यों को देय अंतिम सीमित प्रतिफल (लाभांश)	(48.39)	-
घटाएं: सामान्य संचय में हस्तांतरित	-	-
अंतिम शेष	1,606.23	717.64

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के संबंध में, निदेशक मंडल ने 26 अगस्त, 2025 को हुई अपनी बैठक में पूर्ण प्रदत्त इक्विटी अंशों पर 10 प्रति इक्विटी अंश का अंतिम लाभांश देने का प्रस्ताव रखा है।

5. आबंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि

अंश आवेदन राशि: 56.18 लाख (पिछले वर्ष: 153.44 लाख)

56.18 लाख की अंश आवेदन राशि के against अंशों का आबंटन 17 मई, 2025 को हुई निदेशक मंडल की बैठक में किया गया।

चतुर्थ वार्षिक आम बैठक 2024-2025

6. स्थगित अनुदान (Deferred Grant)			
विवरण	राशि (लाख में)		
	31.03.2025	31.03.2024	
प्रारंभिक शेष	1,951.47	5.11	
जोड़े: वर्ष के दौरान उपयोग किया गया पूंजीगत अनुदान (टिप्पणी क्र. 36 देखें)	447.96	2,049.26	
घटाएं: वर्ष के दौरान निपटाई गई परिसंपत्तियों का WDV	(2.98)	-	
घटाएं: अनुदान से प्राप्त परिसंपत्तियों पर लगा ह्रास	(229.01)	(102.91)	
अंतिम शेष	2,167.43	1,951.47	
		(रुपये लाख में)	
	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक	
7. दीर्घकालिक दायित्व			
सहायकों से प्राप्त जमानत राशि (सिक्योरिटी डिपॉजिट)	938.30	729.32	
	938.30	729.32	
8. दीर्घकालिक प्रावधान			
ग्रेज्युटी हेतु प्रावधान	15.62	6.62	
अवकाश नगदीकरण हेतु प्रावधान	31.47	11.84	
	47.09	18.46	
9. अल्पकालिक उधार			
अप्रभारित (अनसिक्योर्ड)			
एक्सिस बैंक लिमिटेड से इनवॉइस डिस्काउंटिंग सुविधा	-	7,223.17	
मदर डेयरी फल एवं सब्जी प्राइवेट लिमिटेड को दूध एवं दुग्ध उत्पाद आपूर्ति हेतु 8,000 लाख रुपये की सीमा, जो इनवॉइस की तारीख से 90 दिनों की अवधि के लिए है। ब्याज दर रेपो दर (6.50%) है।			
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड से फिक्स्ड डिपॉजिट ओवरड्राफ्ट सुविधा	-	-	
1,200 लाख रुपये की फिक्स्ड डिपॉजिट के विरुद्ध 1,080 लाख रुपये की सीमा का लाभ 14 माह एवं 29 दिन की अवधि के लिए लिया गया है। ब्याज दर एफडी +0.25 अर्थात 7.65% है।			
	-	7,223.17	
10. व्यापार देय			
सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों के बकाया देय राशि का योग	7.37	3.29	
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अतिरिक्त अन्य लेनदारों के बकाया देय राशि का योग (टिप्पणी: 7b)	2,413.58	1,487.27	
	2,420.95	1,490.56	
31 मार्च, 2025 तक, कंपनी का कोई भी ऐसा देय, जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए 45 दिनों से अधिक समय से बकाया है, मौजूद नहीं है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत आवश्यक इस जानकारी का निर्धारण कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर उन पक्षों की पहचान होने की सीमा तक किया गया है। ऑडिटर्स ने इसी पर भरोसा किया है।			
व्यापार देय राशि हेतु आयु विवरण (एजिंग शेड्यूल)			
31 मार्च, 2025 तक			
क्र. सं.	विवरण	भुगतान की नियत तारीख से	31 मार्च, 2025 तक (रुपये लाख में)
		निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया	
		1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष
		2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
(i)	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	7.37	-
		-	-
		-	7.37

चतुर्थ वार्षिक आम बैठक 2024-2025

(एमएसएमई)						
(ii)	अन्य	2,413.58	-	-	-	2,413.58
(iii)	विवादित देय - एमएसएमई	-	-	-	-	-
(iv)	विवादित देय - अन्य	-	-	-	-	-
कुल योग		2,420.95	-	-	-	2,420.95

31 मार्च, 2024 तक

र. सं. विवरण भुगतान की नियत तारीख से 31 मार्च, 2025 तक (रुपये लाख में)
निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया

	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i)	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई)	3.29	-	-	3.29
(ii)	अन्य	1,487.27	-	-	1,487.27
(iii)	विवादित देय - एमएसएमई	-	-	-	-
(iv)	विवादित देय - अन्य	-	-	-	-
कुल योग		1,490.56	-	-	1,490.56

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत परिभाषित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के प्राप्य देय राशि का विवरण
क्र. सं. विवरण 31 मार्च, 2025 तक (रुपये लाख में) 31 मार्च, 2024 तक (रुपये लाख में)

(i) प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में किसी भी आपूर्तिकर्ता को बकाया ब्याज सहित / रहित मूल राशि:		
(a) बकाया मूल राशि	7.37	3.29
(b) उस पर बकाया ब्याज	-	-
(ii) खरीददार द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के तहत भुगतान किए गए ब्याज की राशि, साथ ही प्रत्येक लेखा अवधि के दौरान नियत तिथि के बाद आपूर्तिकर्ता को किया गया भुगतान:		
(a) धारा 16 के तहत भुगतान किया गया ब्याज	-	-
(b) विलंबित मूल भुगतान	-	-
(iii) भुगतान में देरी की अवधि के लिए देय और देय ब्याज की राशि (जिसका भुगतान वर्ष के दौरान नियत तिथि के बाद किया गया हो) लेकिन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना:		
(iv) प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में अर्जित और बकाया ब्याज की राशि	-	-
(v) आगे का ब्याज जो बाद के वर्षों में भी देय और देय बना हुआ है, जब तक कि उपरोक्त ब्याज देयताओं का भुगतान वास्तव में लघु उद्यम को नहीं कर दिया जाता, जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के अवैधकरण के उद्देश्य से है।		
	-	-

चतुर्थ वार्षिक आम बैठक 2024-2025

*कंपनी ने यह जानकारी आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त उनकी सूक्ष्म या लघु उद्यम की स्थिति की सूचना और / या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत उचित प्राधिकारी के साथ इसके पंजीकरण के आधार पर संकलित की है।

11. अन्य चालू दायित्व

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2025 तक (रुपये लाख में)	31 मार्च, 2024 तक (रुपये लाख में)
	उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से अनुदान	-	1,288.70
	देय कर्मचारी व्यय	15.67	24.89
	सदस्यों द्वारा शेयरों के समर्पण के विरुद्ध देय*	5.41	-
	कटौती योग्य आयकर देय (टीडीएस)	15.26	30.01
	भविष्य निधि देय	5.32	3.28
	जीएसटी देय (आईटीसी काटने के बाद)	5.51	10.22
	ग्राहकों से अग्रिम	0.17	-
	व्ययों हेतु प्रावधान	14.64	92.63
	पूँजीगत वस्तुओं के लिए लेनदार	0.57	2.05
	जमानत राशि (सिक्क्योरिटी डिपॉजिट)	180.62	141.03
	लाभांश देय	0.14	-
	अन्य देय	6.33	18.10
	कुल योग	249.65	1,610.91

12. अल्पकालिक प्रावधान

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2025 तक (रुपये लाख में)	31 मार्च, 2024 तक (रुपये लाख में)
	आयकर हेतु प्रावधान* (शुद्ध)	351.10	260.00
	ग्रेज्युटी हेतु प्रावधान	0.86	0.30
	बोनस हेतु प्रावधान*	1.27	-
	अवकाश नगदीकरण हेतु प्रावधान	3.90	4.26
	कुल योग	357.13	264.56

प्रबंधन द्वारा निर्णय के अनुसार, 21,000 रुपये प्रति माह से अधिक (विशेष भत्ता सहित) सकल वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के मूल वेतन पर बोनस का प्रावधान @20% किया गया है।

13. स्थगित कर परिसंपत्ति (डिफर्ड टैक्स एसेट)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2025 तक (रुपये लाख में)	31 मार्च, 2024 तक (रुपये लाख में)
	अंतिम तुलन पत्र की तिथि पर शेष/ (देयता)		6.24
	वर्ष के दौरान किए गए परिवर्तन:		
	स्थिर परिसंपत्तियों की पुस्तकीय शेष और		
	कर शेष के अंतर पर	(0.26)	(0.07)
	ग्रेज्युटी और अवकाश नगदीकरण के प्रावधान पर	7.81	5.81
	प्रारंभिक व्यय पर, जो भविष्य के वर्षों में परीक्षण के लिए उपलब्ध हैं	(0.11)	(0.11)
	31 मार्च, 2025 तक शेष	13.68	6.24

14. अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2025 तक (रुपये लाख में)	31 मार्च, 2024 तक (रुपये लाख में)
	जमानत राशि (सिक्क्योरिटी डिपॉजिट)	3.65	3.65
	कुल योग	3.65	3.65

चतुर्थ वार्षिक आम बैठक 2024-2025

15. रहतिया (इन्वेंटरी)

(प्रबंधन द्वारा लागत पर लिया, प्रमाणित और मूल्यांकन किया गया)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2025 तक (रुपये लाख में)	31 मार्च, 2024 तक (रुपये लाख में)
	थोक दूध		
	व्यापार में स्टॉक	49.40	14.23
	प्रेषणाधीन स्टॉक (स्टॉक-इन-ट्रांजिट)	249.59	295.47
	व्यापारिक माल (ट्रेडेड गुड्स)	2.22	-
	भंडार और अवयव (स्टोर्स एंड स्पेयर्स)	20.67	-
	कुल योग	321.87	309.70

16. व्यापार प्राप्य (ट्रेड रिसीवेबल्स)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2025 तक (रुपये लाख में)	31 मार्च, 2024 तक (रुपये लाख में)
	अविवादित व्यापार प्राप्य - अच्छा माना गया	2,320.51	8,983.54
	अविवादित व्यापार प्राप्य - संदिग्ध माना गया	-	-
	विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छा माना गया	-	-
	विवादित व्यापार प्राप्य - संदिग्ध माना गया	-	-
	कुल योग	2,320.51	8,983.54
	संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	(20.84)	-
	शुद्ध प्राप्य	2,299.66	8,983.54

31 मार्च, 2025 तक भुगतान की नियत तारीख से व्यापार प्राप्य का आयु विवरण

क्र.सं.	विवरण	भुगतान की नियत तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया (रुपये लाख में)				कुल
		6 माह - 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
	अविवादित - अच्छा माना गया	2,320.51	-	-	-	2,320.51
	अविवादित - संदिग्ध माना गया	-	-	-	-	-
	विवादित - अच्छा माना गया	-	-	-	-	-
	विवादित - संदिग्ध माना गया	-	-	-	-	-
	कुल योग	2,320.51	-	-	-	2,320.51

31 मार्च, 2024 तक भुगतान की नियत तारीख से व्यापार प्राप्य का आयु विवरण

क्र.सं.	विवरण	भुगतान की नियत तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया (रुपये लाख में)				कुल
		6 माह - 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
	अविवादित - अच्छा माना गया	8,983.54	-	-	-	8,983.54
	अविवादित - संदिग्ध माना गया	-	-	-	-	-
	विवादित - अच्छा माना गया	-	-	-	-	-
	विवादित - संदिग्ध माना गया	-	-	-	-	-
	कुल योग	8,983.54	-	-	-	8,983.54

17. नकद एवं नकद समतुल्य (कैश एंड कैश इक्विवैलेंट्स)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2025 तक (रुपये लाख में)	31 मार्च, 2024 तक (रुपये लाख में)
	अनुसूचित बैंकों में शेष राशि:		
	चालू खातों में	64.03	8.19

चतुर्थ वार्षिक आम बैठक 2024-2025

सावधि जमा खातों में (मूल अवधि 3 माह या उससे कम)	741.56	300.17
AS 3 - कैश फ्लो स्टेटमेंट के अनुसार नकद एवं नकद समतुल्य	805.59	308.36
अन्य बैंक शेष:		
सावधि जमा खातों में (मूल अवधि 3 माह से अधिक)	2,192.98	2,817.38
कुल योग	2,998.57	3,125.74

18. अल्पकालिक ऋण एवं अग्रिम

(अप्रभारित, अच्छा माना गया)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2025 तक (रुपये लाख में)	31 मार्च, 2024 तक (रुपये लाख में)
	अग्रिम आयकर / स्रोत पर कटौती योग्य कर (टीडीएस)	296.58	251.88
	प्राप्य व्याज	102.08	47.96
	पूर्व भुगतान व्यय	19.66	10.41
	कर्मचारियों को अग्रिम	0.20	-
	कुल योग	418.52	310.25

19. अन्य चालू परिसंपत्तियाँ

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2025 तक (रुपये लाख में)	31 मार्च, 2024 तक (रुपये लाख में)
	यूपीएसआरएलएम से प्राप्य - उपयोग किए गए अनुदान के संबंध में	809.19	-
	आपूर्तिकर्ता को अग्रिम	4.26	-
	प्राप्य सहायक वसूली	25.89	69.35
	कुल योग	839.34	69.35

21. कार्यसंचालन से राजस्व

विवरण	2024-2025 तक (रुपये लाख में)	2023-2024 तक (रुपये लाख में)
थोक दूध की बिक्री	52,636.58	33,575.99
पशु चारा	2,748.65	1,012.01
घी की बिक्री	48.97	-
खनिज मिश्रण और ऑक्सिबिल	122.51	44.09
कुल योग	55,556.70	34,632.09

अन्य आय

विवरण	2024-2025 तक (रुपये लाख में)	2023-2024 तक (रुपये लाख में)
राजस्व अनुदान	678.24	781.14
बैंकों से व्याज	167.25	40.11
सदस्यों से प्रवेश शुल्क	15.34	19.49
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर लाभ (शुद्ध)	2.11	-
रखरखाव से आय	71.43	35.32
विविध आय	3.65	1.84
कुल योग	938.02	877.90

राजस्व अनुदान को अनुदान के विरुद्ध किए गए व्यय से मिलान करने के लिए आय के रूप में मान्यता दी गई है।

23. व्यापारिक माल की खरीद

विवरण	2024-2025 तक (रुपये लाख में)	2023-2024 तक (रुपये लाख में)
-------	------------------------------	------------------------------

चतुर्थ वार्षिक आम बैठक 2024-2025

कच्चा थोक दूध	47,995.26	31,023.09
पशु चारा	2,596.04	972.29
घी	44.20	-
खनिज मिश्रण	113.70	40.13
कुल योग	50,749.20	32,035.51

24. व्यापारिक स्टॉक के रहतिया में परिवर्तन

विवरण	2024-2025 तक (रुपये लाख में)	2023-2024 तक (रुपये लाख में)
अवधि की प्रारंभ में रहतिया		
कच्चा थोक दूध:		
व्यापार में स्टॉक	14.23	13.79
प्रेषणाधीन स्टॉक	295.47	-
अवधि के अंत में रहतिया		
कच्चा थोक दूध:		
व्यापार में स्टॉक	49.40	14.23
प्रेषणाधीन स्टॉक	249.59	295.47
खनिज मिश्रण और घी	2.22	-
रहतिया में शुद्ध कमी/ (वृद्धि)	8.50	(295.91)

25. कर्मचारी लाभ व्यय

विवरण	2024-2025 तक (रुपये लाख में)	2023-2024 तक (रुपये लाख में)
वेतन और मजदूरी	573.58	364.40
भविष्य निधि में योगदान	25.44	13.84
ग्रेज्युटी	10.63	5.47
बोनस	1.36	-
अवकाश नगदीकरण	20.53	13.35
कर्मचारी कल्याण	10.30	2.55
निदेशक पारिश्रमिक*	37.81	35.93
कुल योग	679.65	435.54

निदेशकों के पारिश्रमिक में भविष्य निधि योगदान 2.02 लाख रुपये (पिछला वर्ष: 1.79 लाख), पीएलआई 1.86 लाख रुपये (पिछला वर्ष: 3.31 लाख रुपये), ग्रेज्युटी हेतु प्रावधान 0.85 लाख रुपये (पिछला वर्ष: 0.73 लाख) और अवकाश नगदीकरण हेतु प्रावधान 2.73 लाख रुपये (पिछला वर्ष: 2.75 लाख) शामिल है।

26. वित्त लागत

विवरण	2024-2025 तक (रुपये लाख में)	2023-2024 तक (रुपये लाख में)
उधार पर ब्याज व्यय	65.28	56.41
वैधानिक देयों के विलंबित भुगतान पर ब्याज	0.01	-
कुल योग	65.29	56.41

27. मूल्यहास और परिशोधन व्यय

विवरण	2024-2025 तक (रुपये लाख में)	2023-2024 तक (रुपये लाख में)
मूर्त परिसंपत्तियों पर मूल्यहास	229.71	101.29
अमूर्त परिसंपत्तियों पर मूल्यहास	4.39	3.29
घटाएं: अनुदान पर अर्जित परिसंपत्तियों से		

चतुर्थ वार्षिक आम बैठक 2024-2025

संबंधित मूल्यहास	(229.01)	(102.91)
कुल योग	5.08	1.68

28. अन्य व्यय

विवरण	2024-2025 तक (रुपये लाख में)	2023-2024 तक (रुपये लाख में)
मालभाड़ा, गाड़ी भाड़ा और फॉरवर्डिंग	1,891.96	1,115.75
दूध हैंडलिंग और परीक्षण	793.62	731.38
दूध ठंडा करने और पुनः ठंडा करने का शुल्क	458.50	205.60
रसायन और उपभोग्य सामग्री	76.70	36.92
मरम्मत और रखरखाव - मशीनरी	48.32	42.61
वाहन किराया शुल्क	83.98	42.34
किराया	43.38	34.25
मुद्रण और लेखन सामग्री	21.62	19.59
विधिक और पेशेवर शुल्क	58.20	14.66
बीमा शुल्क	46.33	16.48
संचार और नेटवर्किंग	16.94	10.38
बैठक व्यय	19.94	7.15
यात्रा और संवाद	36.72	6.51
यात्रा और संवाद - निदेशक	5.90	2.19
प्रशिक्षण व्यय	29.73	3.63
लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक*	4.17	2.73
निदेशकों की बैठक शुल्क	3.52	0.45
बिजली और ईंधन	6.45	1.90
सीएसआर गतिविधियों के लिए व्यय**	2.10	-
दरें और कर	0.02	0.05
संदिग्ध ऋण	20.84	-
विविध व्यय	42.80	17.20
कुल योग	3,711.75	2,311.78

*** लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक***

विवरण	2024-2025 तक (रुपये लाख में)	2023-2024 तक (रुपये लाख में)
वैधानिक लेखा परीक्षा शुल्क	2.25	1.80
कर लेखा परीक्षा शुल्क	0.25	0.25
अन्य सेवाएं	0.85	0.20
व्ययों की प्रतिपूर्ति	0.21	0.08
उपरोक्त पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)	0.60	0.40
कुल योग	4.17	2.73

**** कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय का विवरण ****

विवरण	2024-2025 तक (रुपये लाख में)	2023-2024 तक (रुपये लाख में)
1) कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली अपेक्षित राशि	9.74	-
2) अग्रिम में खर्च की गई अतिरिक्त राशि	-	-
3) वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि:		

चतुर्थ वार्षिक आम बैठक 2024-2025

i) किसी भी परिसंपत्ति के निर्माण/अधिग्रहण पर	-	-
ii) उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्यों पर	2.10	-
खर्च की गई कुल राशि	2.10	-
4) अव्ययित सीएसआर खाते में स्थानांतरित की जाने वाली राशि की कमी	7.64	-

29. प्रति अंश आय (ईपीएस)

विवरण	2024-2025 तक (रुपये लाख में)	2023-2024 तक (रुपये लाख में)
a. इक्विटी अंश धारकों के लिए उपलब्ध कर के बाद निवल लाभ (असाधारण और अपूर्वदृष्ट वस्तुएं छोड़कर) (रुपये लाख में)	936.99	710.93
b. मूल प्रति अंश आय के लिए भारत और अंतराष्ट्रीय इक्विटी अंशों की संख्या	9,04,574	2,74,082
c. प्रति इक्विटी अंश अंकित मूल्य (रुपये)	100.00	100.00
d. मूल प्रति अंश आय (a/b) (रुपये)	103.58	259.39
e. तनु प्रति अंश आय के लिए भारत और अंतराष्ट्रीय इक्विटी अंशों की संख्या	9,05,471	2,82,041
f. तनु प्रति अंश आय (a/e) (रुपये)	103.48	252.07

30. आसन्न दायित्व (कंटीजेंट लायबिलिटीज):

विवरण	31 मार्च, 2025 तक (रुपये लाख में)	31 मार्च, 2024 तक (रुपये लाख में)
a. कंपनी के विरुद्ध दावे, जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है		शून्य
31 मार्च, 2025 तक कोई बकाया आसन्न दायित्व मौजूद नहीं है		शून्य
b. प्रतिबद्धताएं		
पूँजीगत खाते पर निष्पादित होने के लिए शेष अनुमानित अनुबंध राशि और जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है		
(अदा किए गए अग्रिम को घटाकर)	88.72	26.15

31. मुकदमेबाजी:

विवरण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
लंबित मुकदमेबाजी या किसी ग्राहक, सेवा प्रदाता, लेनदार, कर्मचारी, सरकारी प्राधिकरणों और अन्य हितधारक के साथ विवाद।	8 संख्या	शून्य
वित्तीय विवरणों में वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमेबाजी का प्रभाव (रुपये लाख में)	0.60	शून्य

32. व्यावसायिक खंड (सेगमेंट रिपोर्टिंग):

कंपनी दूध और पशु चारा के व्यापार के एकल व्यावसायिक खंड में संलग्न है और भारत में एकल भौगोलिक खंड में संचालित होती है। इसलिए लेखा मानक (AS) - 17 के तहत आवश्यक खंड विवरण प्रकटीकरण लागू नहीं हैं।

33. पट्टे व्यवस्था (लीजिंग अरेंजमेंट्स):

कंपनी ने परिसरों को परिचालन पट्टे (ऑपरेटिंग लीज) पर लिया है। वर्ष के दौरान भुगतान किए गए पट्टे के किराए को लेखा मानक 19 (AS 19) रूफ्टेरे के अनुसार व्यय के रूप में मान्यता दी गई है। कंपनी ने कार्यालय परिसरों और दूध संग्रह एवं ठंडा करने के लिए पट्टा व्यवस्थाएं की हैं। कंपनी ने लाभ और हानि विवरण में पट्टा किराया व्यय (जहाँ लागू हो, जोएसटी सहित) को निम्नानुसार मान्यता दी है;

विवरण	2024-2025 तक (रुपये लाख में)	2023-2024 तक (रुपये लाख में)
रायबरेली में कॉर्पोरेट कार्यालय और सुल्तानपुर में क्लस्टर कार्यालय (स्टोर सहित) के लिए	22.95	4.76
विभिन्न स्थानों पर दूध संग्रह और ठंडा करने के लिए	20.43	29.49
व्यवस्था के तहत भुगतान किया गया पट्टा किराया	43.38	34.25

चतुर्थ वार्षिक आम बैठक 2024-2025

न्यूनतम देय पट्टा किराया (जीएसटी सहित)

विवरण	31 मार्च, 2025 तक (रुपये लाख में)
एक वर्ष के भीतर	30.04
1 वर्ष के बाद लेकिन 5 वर्ष से अधिक नहीं	97.63
5 वर्ष से अधिक बाद	213.50

34. संशोधित लेखा मानक 15 (AS-15) रकमचारी लाभ के अनुसार प्रकटीकरण

A . परिभाषित योगदान योजना (डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान) कंपनी अपने कर्मचारियों को भविष्य निधि के रूप में परिभाषित योगदान योजना प्रदान करती है, जो सभी नियमित कर्मचारियों को कवर करती है। भविष्य निधि योगदान क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (RPFCA) के पास जमा किया जाता है। कर्मचारी और कंपनी दोनों भविष्य निधि में पूर्व निर्धारित योगदान देते हैं। योगदान आमतौर पर कर्मचारी के वेतन के एक निश्चित अनुपात पर आधारित होते हैं।

विवरण	31 मार्च, 2025 तक (रुपये लाख में)	31 मार्च, 2024 तक (रुपये लाख में)
लाभ और हानि विवरण में		
मान्यता प्राप्त भविष्य निधि योगदान	25.78	14.75

B. परिभाषित लाभ योजना (डिफाइंड बेनिफिट प्लान) - ग्रेच्युटी

कंपनी अपने कर्मचारियों को ग्रेच्युटी योजना (एकमुश्त राशि) के रूप में परिभाषित लाभ योजना प्रदान करती है। परिभाषित लाभ योजनाओं के तहत लाभ सेवा के वर्षों और कर्मचारी के मुआवजे (सेवानिवृत्ति से ठीक पहले) पर आधारित होते हैं। ग्रेच्युटी योजना सभी नियमित कर्मचारियों को कवर करती है। प्रोजेक्ट डेड यूनिट क्रेडिट (PUC) एकचुअरियल विधि के अनुसार एकचुअरियल मूल्यांकन पर आधारित वृद्धिशील देयता। एकचुअरियल धारणाओं में परिवर्तन के लाभ और हानि को लाभ और हानि खाते में चार्ज किया जाता है।

इसी तरह, अप्रयुक्त अवकाशों के प्रति देयता की गणना तुलन पत्र तिथि पर एकचुअरियल मूल्यांकन के आधार पर की गई है।

ग्रेच्युटी योजना की funded स्थिति और वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशि

लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

विवरण	2024-2025 तक (रुपये लाख में)	2023-2024 तक (रुपये लाख में)
वर्ष की प्रारंभ में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य		6.92
वर्तमान सेवा लागत	9.36	6.92
ब्याज लागत	0.47	-
भुगतान किए गए लाभ	(1.92)	-
एकचुअरियल हानि (लाभ)	1.65	-
वर्ष के अंत में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	16.48	6.92

ii. योजना परिसंपत्तियों के निष्पक्ष मूल्य में परिवर्तन

विवरण	2024-2025 तक (रुपये लाख में)	2023-2024 तक (रुपये लाख में)
वर्ष की प्रारंभ में योजना परिसंपत्तियों का निष्पक्ष मूल्य	-	-

चतुर्थ वार्षिक आम बैठक 2024-2025

योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	-	-
कंपनी योगदान	-	-
भुगतान किए गए लाभ	-	-
एक्चुअरियल हानि (लाभ)	-	-
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का निष्पक्ष मूल्य	-	-
iv. लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय		
विवरण	2024-2025 तक (रुपये लाख में)	2023-2024 तक (रुपये लाख में)
वर्तमान सेवा लागत	9.36	6.92
ब्याज लागत	0.47	-
योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	-	-
वर्ष में मान्यता प्राप्त शुद्ध एक्चुअरियल हानि (लाभ)	1.65	-
लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	11.48	6.92
v. तुलन पत्र मान्यता		
विवरण	2024-2025 तक (रुपये लाख में)	2023-2024 तक (रुपये लाख में)
वर्ष की प्रारंभ में शुद्ध देयता/ (परिसंपत्ति)	6.92	-
उपरोक्त व्यय	11.48	6.92
भुगतान किए गए लाभ	(1.92)	-
वर्ष के अंत में शुद्ध देयता/ (परिसंपत्ति)	16.48	6.92
vi. प्रमुख एक्चुअरियल धारणाएं		
विवरण	2024-2025 तक (रुपये लाख में)	2023-2024 तक (रुपये लाख में)
छूट दर	6.75% प्रति वर्ष	7.10% प्रति वर्ष
अपेक्षित वेतन वृद्धि	7.00% प्रति वर्ष	7.00% प्रति वर्ष
अपव्यय दर (एट्रिशन रेट)	5.00% प्रति वर्ष	5.00% प्रति वर्ष
(5% युवा आयु पर और स्नातक स्केल के अनुसार वृद्ध आयु पर घटकर 1%)		
प्रयुक्त मृत्यु दर सारणी	I.A.L.M. (2012-14) अंतिम	

C. क्षतिपूर्ति अवकाश (अवकाश देयता) के लिए एक्चुअरियल धारणाएं

i. लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

विवरण	2024-2025 तक (रुपये लाख में)	2023-2024 तक (रुपये लाख में)
वर्ष की प्रारंभ में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	16.10	-
वर्तमान सेवा लागत	11.37	16.10
ब्याज लागत	0.87	-
भुगतान किए गए लाभ	(4.00)	-
एक्चुअरियल हानि (लाभ)	11.03	-
वर्ष के अंत में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	35.37	16.10
iv. लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय		
विवरण	2024-2025 तक (रुपये लाख में)	2023-2024 तक (रुपये लाख में)

चतुर्थ वार्षिक आम बैठक 2024-2025

वर्तमान सेवा लागत	11.37	16.10
ब्याज लागत	0.87	-
योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	-	-
वर्ष में मान्यता प्राप्त शुद्ध एकचुअरियल हानि (लाभ)	11.03	-
लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	23.27	16.10

v. तुलन पत्र मान्यता

विवरण	2024-2025 तक (रुपये लाख में)	2023-2024 तक (रुपये लाख में)
वर्ष की प्रारंभ में शुद्ध देयता/ (परिसंपत्ति)	16.10	-
उपरोक्त व्यय	23.27	16.10
भुगतान किए गए लाभ	(4.00)	-
वर्ष के अंत में शुद्ध देयता/ (परिसंपत्ति)	35.37	16.10

vi. प्रमुख एकचुअरियल धारणाएं

विवरण	2024-25	2023-24
छूट दर	7.10% प्रति वर्ष	7.10% प्रति वर्ष
अपेक्षित वेतन वृद्धि	7.00% प्रति वर्ष	7.00% प्रति वर्ष
अपव्यय दर (एट्रिशन रेट)	5.00% प्रति वर्ष	5.00% प्रति वर्ष

(5% युवा आयु पर और स्नातक स्केल के अनुसार वृद्ध आयु पर घटकर 1%)

D. अनुभव समायोजन (एक्सपीरियंस एडजस्टमेंट) ग्रेच्युटी

विवरण	31 मार्च, 2025 तक (रुपये लाख में)	31 मार्च, 2024 तक (रुपये लाख में)
परिभाषित लाभ का वर्तमान मूल्य	16.48	6.92
योजना परिसंपत्तियों का निष्पक्ष मूल्य	-	-
funded स्थिति	-	-
दायित्वों पर लाभ/ (हानि)	-	-
योजना परिसंपत्तियों पर लाभ/ (हानि)	-	-
अवकाश देयता	-	-
विवरण	31 मार्च, 2025 तक (रुपये लाख में)	31 मार्च, 2024 तक (रुपये लाख में)

परिभाषित लाभ का वर्तमान मूल्य	35.37	16.10
योजना परिसंपत्तियों का निष्पक्ष मूल्य	-	-
funded स्थिति	-	-
दायित्वों पर लाभ/ (हानि)	-	-
योजना परिसंपत्तियों पर लाभ/ (हानि)	-	-

35. संबंधित पक्ष प्रकटीकरण:

A. संबंधित पक्षों की सूची:

1. मुख्य प्रबंधन कार्मिक (KMP)

नाम	पद	w.e.f (कार्यभार ग्रहण तिथि)
श्री प्रशांत मंडव्या	निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	1 सितंबर 2022
श्रीमती लक्ष्मी देवी	निदेशक	30 मार्च 2022
श्रीमती अनामिका	निदेशक	30 मार्च 2022
श्रीमती चांदनी	निदेशक	30 मार्च 2022

चतुर्थ वार्षिक आम बैठक 2024-2025

श्रीमती तेज कुमारी	निदेशक	30 मार्च 2022
श्रीमती कुमकुम	निदेशक	30 मार्च 2022
श्रीमती कृष्णा सिंह	निदेशक	15 मई 2024
श्रीमती संजू वर्मा	निदेशक	15 मई 2024
श्रीमती नेहा सिंह	निदेशक	15 मई 2024
श्रीमती पूनिता	निदेशक	15 मई 2024

B. संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन (रुपये लाख में)

2024-25				2023-24			
पारिश्रमिक	**बैठक शुल्क ***	**व्ययों की प्रतिपूर्ति ***	दूध की खरीद	पारिश्रमिक	**बैठक शुल्क ***	**व्ययों की प्रतिपूर्ति ***	दूध की खरीद
श्री प्रशांत मंडव्या	37.81	-	10.87	-	35.92	-	3.55
श्रीमती लक्ष्मी देवी	-	0.37	-	3.88	-	0.08	1.91
श्रीमती अनामिका	-	0.31	-	4.06	-	0.07	1.83
श्रीमती चांदनी	-	0.37	-	0.17	-	0.08	0.10
श्रीमती तेज कुमारी	-	0.37	-	0.19	-	0.07	0.10
श्रीमती कुमकुम	-	0.37	-	0.31	-	0.08	0.10
श्रीमती कृष्णा सिंह	-	0.34	-	0.08	-	-	-
श्रीमती संजू वर्मा	-	0.34	-	2.60	-	-	-
श्रीमती नेहा सिंह	-	0.23	-	0.15	-	-	-
श्रीमती पूनिता	-	0.28	-	0.36	-	-	-
कुल योग	37.81	2.99	10.87	11.79	35.92	0.38	3.85

उपरोक्त उल्लिखित बैठक शुल्क और व्ययों की प्रतिपूर्ति की राशि रिवर्स चार्ज आधार पर भुगतान किए गए जीएसटी को छोड़कर है।

C. वर्ष के अंत में संबंधित पक्षों को देय

नाम	31-मार्च-25 (रुपये लाख में)	31-मार्च-24 (रुपये लाख में)
नाम	2024-25	2023-24
श्री प्रशांत मंडव्या (व्ययों की प्रतिपूर्ति *)	0.24	-

36. अनुदान का विवरण:

उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से प्राप्त अनुदान और उसके उपयोग का विवरण निम्नानुसार है; (रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
A आगे लाया गया शेष	1,288.71	(51.40)
B अवधि के दौरान प्राप्त-	4,033.33	
C अनुदान निधि पर अर्जित व्याज	25.32	137.18
D अनुदान निधि पर अर्जित व्याज - उपाजित	-	-
E वर्ष के दौरान उपयोग किया गया:		
पूंजीगत व्यय के लिए	447.96	2,049.26
घटाएं: वर्ष के दौरान निपटाई गई परिसंपत्तियों का WDV	(2.98)	
- राजस्व व्यय के लिए	678.24	781.14
कुल उपयोग	1,123.22	2,830.40
F यूपीएसआरएलएम को वापस किया गया	1,000.00	-
G आगे किया गया शेष (a+b+c+d-e-f)	(809.18)	1,288.71

नोट: पूंजीगत परिसंपत्तियों की खरीद के लिए उपयोग किया गया अनुदान स्थगित अनुदान के रूप में दर्ज किया गया है और उपयोग

चतुर्थ वार्षिक आम बैठक 2024-2025

किए गए राजस्व अनुदान की राशि को आय (टिप्पणी क्रमांक 22) के रूप में मान्यता दी गई है।

37. हानि परिक्षेप (इम्पेयरमेंट लॉस):

31 मार्च, 2025 तक, प्रबंधन द्वारा लेखा मानक '28' के अनुसार किए गए पुनरीक्षण के आधार पर स्थिर परिसंपत्तियों पर कोई हानि परिक्षेप नहीं था।

38. पुष्टि/सामंजस्य:

लेखादाताओं, व्यापार प्राय्यों, जमानत राशि और अग्रिम खातों में शेष राशि, हालांकि कुछ मामलों में पुष्टि/सामंजस्य नहीं है, प्रबंधन की राय में सही और सटीक है और व्यवसाय के सामान्य क्रम में दर्शाए गए अनुसार प्राप्त/देय है, यदि कोई मामूली समायोजन आवश्यक होता है, तो उन्हें पुष्टि प्राप्त होने पर किया जाएगा।

39. अनुपात (रेश्यो):

क्र. सं.	विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	परिवर्तन	परिवर्तन का कारण
	अंश/हर				
(a)	ऋण-इक्विटी अनुपात [कुल ऋण / शेयरधारकों की इक्विटी]	- / 2,868.75	- 7,223.17 / 5.46		ऋण चुकाने के कारण अनुपात बदल गया है।
(b)	ऋण सेवा कवरेज अनुपात (गुना) [(अपवर्जित मर्दों और कर से पहले लाभ/(हानि) + उधार पर ब्याज) / (उधार पर ब्याज + उधार की चुकोती)]	1,340.55 / 65.29	1,021.39 / 18.11 56.41		वर्ष के दौरान लाभ में वृद्धि के कारण अनुपात में सुधार हुआ है।
(C)	चालू अनुपात (गुना) [चालू परिसंपत्तियाँ (बिक्री के लिए धारित वर्गीकृत परिसंपत्तियों को छोड़कर) / चालू दायित्व (बिक्री के लिए धारित परिसंपत्तियों से सीधे जुड़े दायित्वों को छोड़कर)]	6,877.96 / 3,027.73	2.27 12,798.58 / 1.21 10,589.20		चालू दायित्वों में कमी के कारण अनुपात में सुधार हुआ है।
(d)	व्यापार प्राय्य आवर्त (गुना) [कार्यसंचालन से राजस्व / औसत व्यापार प्राय्य]	55,556.70 / 5,641.60	9.85 34,632.09 / 7.35 4,711.26		टर्नओवर और औसत टर्नओवर में वृद्धि के कारण अनुपात बदल गया है।
(e)	रहतिया आवर्त (गुना) [उपभुक्त कच्चा माल / औसत रहतिया]	50,757.70 / 315.79	160.73 31,739.60 / 196.23 161.75		बेचे गए माल की लागत में वृद्धि के कारण अनुपात बदल गया है।
(f)	व्यापार देय आवर्त (गुना) [उपभुक्त सामग्री की लागत / औसत व्यापार देय]	50,757.70 / 1,955.75	25.95 31,739.60 / 40.43 785.05		व्यापार देय में वृद्धि के कारण अनुपात बदल गया है।
(g)	निवल पूंजी आवर्त (गुना)	55,556.70 / 14.43	34,632.09 / 15.68		लागू नहीं

चतुर्थ वार्षिक आम बैठक 2024-2025

	[कार्यसंचालन से राजस्व / कार्यशील पूंजी]	3,850.24		2,209.38	
(h)	निवल लाभ margin (%)	936.99 / 55,556.70	1.69%	710.93 / 34,632.09	2.05% टर्नओवर और निवल लाभ में वृद्धि के कारण अनुपात बदल गया है।
	[कर के बाद निवल लाभ / निरंतर कार्यसंचालन से राजस्व]				
(I)	इक्विटी पर प्रतिफल (गुना)	936.99 / 2,095.66	0.45	710.93 / 714.18	1.00 वर्ष के दौरान लाभ और शेयरधारकों की इक्विटी में परिवर्तन के कारण अनुपात बदल गया है।
	[कर के बाद निवल लाभ / औसत शेयरधारकों की इक्विटी]				
(j)	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (गुना)	1,275.25 / 4,259.92		964.98 / 1,774.15	0.54 वर्ष के दौरान लाभ में वृद्धि के कारण अनुपात में सुधार हुआ है।
	[ब्याज और कर से पहले लाभ / नियोजित पूंजी]				
(k)	निवेश पर प्रतिफल (गुना)	लागू नहीं	0.30		
	[कर के बाद निवल लाभ / औसत निवेश]	क्योंकि कोई निवेश नहीं है।			

40. अचल संपत्ति:

31 मार्च, 2025 तक कंपनी के पास कोई अचल संपत्ति (अचल संपत्ति) नहीं है।

41. उधार (अक्षय बैंक):

पिछले वर्ष प्राप्त अक्षय बैंक से इन्वॉइस डिस्काउंटिंग योजना के तहत कंपनी की उधारी (बिना किसी जमानत के) वर्ष के दौरान बंद कर दी गई थी। कंपनी द्वारा बैंक से प्राप्त उधारी का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया गया था, जिसके लिए ऐसा ऋण लिया गया था। कंपनी ने बैंकों के साथ कोई रिटर्न या विवरण दारिखल नहीं किया है क्योंकि बैंकों के स्वीकृत पत्र के अनुसार तिमाही रिटर्न की आवश्यकता नहीं थी।

42. उधार (एचडीएफसी बैंक):

कंपनी को एचडीएफसी बैंक लिमिटेड से फिक्स्ड डिपॉजिट के विरुद्ध ओवरड्राफ्ट सुविधा स्वीकृत की गई थी, लेकिन वर्ष के दौरान इस सुविधा का उपयोग नहीं किया गया था।

43. विलफुल डिफॉल्टर:

कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है।

44. रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ पंजीकरण:

वैधानिक अवधि से अधिक होने के बावजूद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ पंजीकृत की जाने वाली कोई अधिभार या संतुष्टि नहीं है।

45. प्रवर्तकों, निदेशकों, KMPs को ऋण:

कंपनी ने वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत परिभाषित प्रवर्तकों, निदेशकों, KMPs और संबंधित पक्षों को ऋण के रूप में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है।

46. फंडिंग इंटरमीडिएरीज के माध्यम से उधार/निवेश:

कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी अन्य व्यक्ति या इकाई, जिसमें विदेशी इकाइयाँ (इंटरमीडिएरीज) शामिल हैं, को कोई धनराशि (या तो उधार लिए गए फंड या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार के फंड) अग्रिम या ऋण के रूप में नहीं दी है या निवेश नहीं किया है, इस समझ के साथ कि इंटरमीडिएरी (i) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या इकाइयों (अंतिम लाभार्थियों) को उधार देगा या निवेश करेगा या (ii) अंतिम लाभार्थियों की ओर से या उनके लिए कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह का प्रावधान करेगा।

47. फंडिंग पार्टी के माध्यम से उधार/निवेश:

कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी व्यक्ति या इकाई, जिसमें विदेशी इकाइयाँ शामिल हैं, से कोई धनराशि इस समझ के साथ प्राप्त नहीं की है कि कंपनी (i) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फंडिंग पार्टी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या इकाइयों (अंतिम लाभार्थियों) को उधार देगी या निवेश करेगी या (ii) अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह का प्रावधान करेगी।

48. कर आकलन:

कंपनी का कोई ऐसा लेन-देन नहीं है जो लेखा खातों में दर्ज नहीं किया गया हो और जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर आकलन के दौरान वर्ष में आत्मसमर्पण या प्रकट किया गया हो।

49. सीएसआर:

सीएसआर गतिविधियों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधान कंपनी पर लागू होते हैं क्योंकि कंपनी को पिछले वित्तीय वर्ष में 5 करोड़ रुपये से अधिक का निवल लाभ हुआ है।

50. सहायक कंपनी:

कंपनी ने किसी भी सहायक कंपनी में निवेश नहीं किया है।

51. कोई लेनदेन नहीं:

कंपनी के पास (a) क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी, (b) बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 के तहत धारित बेनामी संपत्ति, (c) रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ अधिभार या संतुष्टि का पंजीकरण, (d) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के तहत struck off कंपनियों के साथ लेनदेन, (e) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 237 के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित व्यवस्था की योजना के संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कोई लेनदेन नहीं है।

52. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020:

कर्मचारियों के रोजगार के दौरान और सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों से संबंधित सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 ('कोड') को 28 सितंबर, 2020 को राष्ट्रपति की सहमति मिली और इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया। हालाँकि, वह तिथि जिससे कोड के प्रावधान लागू होंगे, अधिसूचित नहीं की गई है। कंपनी कोड के प्रभाव और संबंधित योजनाओं/नियमों का आकलन तब करेगी जब यह लागू होगा। तारीख तक प्रभावी तिथि की अधिसूचना लंबित होने के कारण, इसका कोई प्रभाव इन वित्तीय विवरणों में दर्ज नहीं किया गया है।

53. पूर्णांकन:

आंकड़ों को निकटतम रुपये लाख में पूर्णांकित किया गया है, जिसके कारण कुल और घटक आंकड़ों के बीच मामूली विसंगतियां हो सकती हैं, जिनकी उपेक्षा की जा सकती है।

54. पूर्ववर्ती वर्ष के आंकड़े:

पिछले वर्ष के आंकड़े, जहाँ आवश्यक हो, वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण/प्रकटीकरण के आंकड़ों के अनुरूप होने के लिए पुनः वर्गीकृत/पुनः व्यवस्थित/पुनः समूहित किए गए हैं।

बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से और उनके लिए

प्रशांत मांडव्या
निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी
(DIN: 09718702)

लक्ष्मी देवी
अध्यक्ष और निदेशक
(DIN: 09554762)

कुलकुम
निदेशक
(DIN: 09554864)

उदभव प्रताप सिंह
कंपनी सचिव
(M.No. 36638)

सुजीत कुमार चौधरी
संबंधक - लेखा और वित्त

इसारी समान तिथि वाली रिपोर्ट के अनुसार

ह/-
कमल श्रीवास्तव
(सदस्य संख्या: 075285)
पार्टनर, अजय गोयल एंड कंपनी
(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)
लखनऊ: 26 अगस्त, 2025
सूचीआईएन:
25075285BMOAYF9115

चतुर्थ वार्षिक आम बैठक 2024-2025

विवरण/परिसंपत्तियाँ	अनुदान परिसंपत्तियाँ					स्वयं की परिसंपत्तियाँ					कुल योग
	योग एवं मशीनरी	कंप्यूटर	बिल्ड आउट	कार्यालय उपकरण	फर्नीचर एवं फिटिंग	योग एवं मशीनरी	कंप्यूटर	बिल्ड आउट	कार्यालय उपकरण	फर्नीचर एवं फिटिंग	
सकल ब्लॉक											
01 अप्रैल 2024 को	1,558.83	50.71	-	9.85	5.96	-	-	-	0.88	0.60	1,626.83
additions	657.03	5.30	50.00	16.28	1.32	6.31	1.63	11.04	9.21	9.85	767.96
निपटान/छोटे भाए	4.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.56
31 मार्च 2025 को शेष	2,211.30	56.01	50.00	26.13	7.28	6.31	1.63	11.04	10.10	10.45	2,390.23
01 अप्रैल 2023 को	4.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.64
additions	1,558.83	46.07	-	9.85	5.96	-	-	-	0.88	0.60	1,622.19
31 मार्च 2024 को शेष	1,558.83	50.71	-	9.85	5.96	-	-	-	0.88	0.60	1,626.83
संचित मूल्यह्रास											
01 अप्रैल 2024 को	94.09	6.30	-	0.58	0.27	-	-	-	0.10	0.01	101.35
वर्ष के लिए मूल्यह्रास	202.32	16.78	2.55	3.87	0.67	0.58	0.03	0.56	1.52	0.81	229.71
समायोजन/निपटान	1.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.58
~											
विवरण/परिसंपत्तियाँ	अनुदान परिसंपत्तियाँ					स्वयं की परिसंपत्तियाँ					कुल योग
	योग एवं मशीनरी	कंप्यूटर	बिल्ड आउट	कार्यालय उपकरण	फर्नीचर एवं फिटिंग	योग एवं मशीनरी	कंप्यूटर	बिल्ड आउट	कार्यालय उपकरण	फर्नीचर एवं फिटिंग	
31 मार्च 2025 को शेष	294.83	23.08	2.55	4.45	0.94	0.58	0.03	0.56	1.62	0.82	329.47
01 अप्रैल 2023 को	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06
additions	94.09	6.24	-	0.58	0.27	-	-	-	0.10	0.01	101.29
31 मार्च 2024 को शेष	94.09	6.30	-	0.58	0.27	-	-	-	0.10	0.01	101.35
शुद्ध ब्लॉक											
31 मार्च 2025 को शेष	1,916.47	32.92	47.45	21.68	6.33	5.73	1.60	10.47	8.47	9.62	2,060.76
31 मार्च 2024 को शेष	1,464.74	44.41	-	9.27	5.69	-	-	-	0.78	0.59	1,525.48

अमूर्त परिसंपत्तियों और पूंजी कार्य प्रगतावली (स्टैंडिबिल एसेट्स एंड कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस)

(रुपये लाख में)

विवरण/परिसंपत्तियाँ	अमूर्त परिसंपत्तियाँ					पूंजी कार्य प्रगतावली				
	अनुदान परिसंपत्तियाँ	स्वयं की परिसंपत्तियाँ	कुल	अनुदान परिसंपत्तियाँ	स्वयं की परिसंपत्तियाँ	कुल	अनुदान परिसंपत्तियाँ	स्वयं की परिसंपत्तियाँ	कुल	
सकल ब्लॉक										

चतुर्थ वार्षिक आम बैठक 2024-2025

विवरण/परिसंपत्तियाँ	अमूर्त परिसंपत्तियाँ		पूंजी कार्य प्रगताधीन			
01 अप्रैल 2024 को	8.45	4.72	13.17	420.67	-	420.67
additions	-	-	-	386.06	38.80	424.85
वर्ष के दौरान पूंजीकृत	-	-	-	(668.02)	(33.51)	(701.54)
31 मार्च 2025 को शेष	8.45	4.72	13.17	138.70	5.28	143.99
01 अप्रैल 2023 को	0.57	-	0.57	-	-	-
additions	7.88	4.72	12.60	420.67	-	420.67
वर्ष के दौरान पूंजीकृत	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2024 को शेष	8.45	4.72	13.17	420.67	-	420.67
मूल्यहास/समायोजन						
01 अप्रैल 2024 को	1.77	1.57	3.34	-	-	-
additions	2.82	1.57	4.39	-	-	-
31 मार्च 2025 को शेष	4.59	3.15	7.73	-	-	-
01 अप्रैल 2023 को	-	-	-	-	-	-
additions	1.77	1.57	3.34	-	-	-
31 मार्च 2024 को शेष	1.77	1.57	3.34	-	-	-
शुद्ध ब्लॉक						
31.03.2025 को	3.87	1.57	5.44	138.70	5.28	143.99
31.03.2024 को	6.68	3.15	9.83	420.67	-	420.67

20a. 31.03.2025 को पूंजी कार्य प्रगताधीन आधु विवरण

विवरण	कुल				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगति पर परियोजनाएँ					
अनुदान परिसंपत्तियाँ: -					
गोदाम में रहिया	13.27	-	-	-	13.27
कंप्यूटर मॉनिटर	125.44	-	-	-	125.44
नैर-अनुदान परिसंपत्तियाँ: -					

चतुर्थ वार्षिक आम बैठक 2024-2025

विवरण					कुल
कंप्यूटर और मोबाइल सॉफ्टवेयर	4.72	-	-	-	4.72
प्रयोगशाला उपकरण	0.57	-	-	-	0.57
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएँ	-	-	-	-	-
कुल	143.99	-	-	-	143.99

31.03.2024 को मुंजी कार्य प्रगताधीन आवु विवरण

विवरण					कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगति पर परियोजनाएँ					
अनुदान परिसंपत्तियाँ:-					
DEMCU	363.83	-	-	-	363.83
टूथ कैन	11.97	-	-	-	11.97
HO Office Set up	44.87	-	-	-	44.87
विवरण					कुल
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएँ	0.00	-	-	-	-
कुल	420.67	-	-	-	420.67

चतुर्थ वार्षिक आम बैठक 2024-2025

स्थान: दूसरी मंजिल, गाटा नंबर 466, 466/2, 466 एमआई/29, 30 एमआई,
गाँव अखित्यारपुर/ अहमदपुर, नजूल (बूम्बैया कोठी),
तहसील-सदर, रायबरेली, उत्तर प्रदेश, भारत-229001
दूरभाष: 7317715550

ईमेल: info@saamarthyamilk.com

सूचना

यह सूचना दी जाती है कि सामर्थ्य मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के सदस्यों की चौथी वार्षिक आम बैठक रविवार, 21 सितंबर, 2025 को दोपहर 01.00 बजे, 'होटल द सैफायर, एसजेएस इंटर-कॉलेज के सामने, रायबरेली, उत्तर प्रदेश 229001' पर निम्नलिखित कार्यों के लिए आयोजित की जाएगी:

कार्यसूची:

1. 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के तुलन पत्र, लाभ-हानि खाते, उससे संबंधित अनुसूचियों एवं टिप्पणियों तथा निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार करना और स्वीकार करना तथा इस संबंध में निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव पारित करना:

○ रयह संकल्पित किया जाता है कि 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए अंकेक्षित तुलन पत्र, लाभ-हानि खाता एवं नकदी प्रवाह विवरण, उनसे संबंधित अनुसूचियाँ एवं टिप्पणियाँ तथा कंपनी की निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को अनुमोदित और स्वीकृत किया जाता है।

2. कंपनी की अंशपूंजी पर सीमित प्रतिफल (लाभांश) घोषित करने पर विचार करना और इस संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित करना:

रयह संकल्पित किया जाता है कि 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लाभों में से 100 रुपये प्रति अंश की पूर्णतः भुगतान योग्य 12,62,519 इक्विटी अंशों पर 10 रुपये प्रति अंश की दर से अर्थात् वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कुल 1,26,25,190/- रुपये की राशि का सीमित प्रतिफल (लाभांश) स्वीकृत और पुष्ट किया जाता है तथा यह राशि उन इक्विटी अंशधारकों को भुगतान की जाए, जिनके नाम 31 मार्च, 2025 को सदस्य रजिस्टर में दर्ज हैं।

3. निदेशक के पद से श्रीमती अनामिका (DIN: 09554865) के सेवानिवृत्त होने पर विचार करना, जो रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त हो रही हैं, और इस संबंध में निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव पारित करना:

रयह संकल्पित किया जाता है कि कंपनी की निदेशक श्रीमती अनामिका (DIN: 09554865), जो इस वार्षिक आम बैठक में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त हो रही हैं, जिनका पदावधि रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।

4. निदेशक के पद से श्रीमती कुमकुम (DIN: 09554864) के सेवानिवृत्त होने पर विचार करना, जो रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त हो रही हैं, और इस संबंध में निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव पारित करना:

यह संकल्पित किया जाता है कि कंपनी की निदेशक श्रीमती कुमकुम (DIN: 09554864), जो इस वार्षिक आम बैठक में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त हो रही हैं, जिनका पदावधि रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।

5. निदेशक के पद से श्रीमती चांदनी (DIN: 09554863) के सेवानिवृत्त होने पर विचार करना, जो रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त हो रही हैं, और इस संबंध में निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव पारित करना:

यह संकल्पित किया जाता है कि कंपनी की निदेशक श्रीमती चांदनी (DIN: 09554863), जो इस वार्षिक आम बैठक में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त हो रही हैं, जिनका पदावधि रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।

6. श्रीमती अंजना की निदेशक के रूप में नियुक्ति:

विचार करना और यदि उचित समझें, तो निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में, संशोधन(ओं) सहित या बिना संशोधन के, पारित करना:

यह संकल्पित किया जाता है कि श्रीमती अंजना (DIN: 11218527), जिन्हें 4 अगस्त, 2025 से कंपनी के निदेशक मंडल में अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और जो इस वार्षिक आम बैठक की तिथि तक पद धारण करेंगी, को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिनका पदावधि रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।

7. श्रीमती सुसमदेवी की निदेशक के रूप में नियुक्ति:

विचार करना और यदि उचित समझें, तो निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में, संशोधन(ओं) सहित या बिना संशोधन के, पारित करना:

यह संकल्पित किया जाता है कि श्रीमती सुसमदेवी (DIN: 11218533), जिन्हें 29 जुलाई, 2025 से कंपनी के निदेशक मंडल में अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और जो इस वार्षिक आम बैठक की तिथि तक पद धारण करेंगी, को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिनका पदावधि रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।

यह आगे संकल्पित किया जाता है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी या कंपनी सचिव को इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक, उचित और समीचीन सभी कदम उठाने का अधिकार दिया जाता है।

8. वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए कंपनी के बजट पर विचार करना और अनुमोदन करना:

यह संकल्पित किया जाता है कि 1 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च 2026 तक की अवधि के लिए कंपनी का बजट, जो वार्षिक आम बैठक में रखा गया है, को अनुमोदित किया जाता है।

9. बोर्ड में रिक्त पद के लिए पात्र सदस्यों से प्राप्त आवेदन(ओं) की निर्धारित मानदंडों के आधार पर जांच

करने हेतु 'नामांकन समिति के गठन के लिए दिशा-निर्देश' पर विचार करना और अनुमोदन करना:

○ विचार करना और यदि उचित समझें, तो निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में, संशोधन(ओं) सहित या बिना संशोधन के, पारित करना:

○ यह संकल्पित किया जाता है कि नामांकन समिति के गठन के लिए दिशा-निर्देश, जो नीचे निर्धारित किए गए हैं, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों (जैसे कि लागू हों, किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित) तथा कंपनी के ज्ञापन और संघ के लेखों के लागू प्रावधानों के अनुसरण में अपनाए और अनुमोदित किए जाते हैं:

i. सामर्थ्य मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड (कंपनी) का बोर्ड, वित्तीय वर्ष पूरा होने के तीन महीने के भीतर एक नामांकन समिति (NC) का गठन करेगा, जो कंपनी के बोर्ड पर उत्पादक सदस्य निदेशक के रिक्त पद के लिए संभावित उम्मीदवार(ओं) का सुझाव देगी।

ii. बोर्ड के उत्पादक निदेशकों के रिक्त पद (वर्ग A या वर्ग B या वर्ग C श्रेणी के अंतर्गत) की घोषणा कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा की जाएगी। नामांकन समिति द्वारा विचार हेतु पात्र सदस्यों से नामांकन आमंत्रित करने का नोटिस (बोर्ड पर जितने पद रिक्त हैं, उन्हें भरने के लिए) कंपनी के नोटिस बोर्ड पर और/या वेबसाइट पर, यदि कोई है, या संबंधित वर्ग(ों) के सदस्यों को साधारण डाक से परिपत्र भेजकर लगाया जाएगा।

iii. बोर्ड एक प्रक्रिया तैयार करेगा जिसका 'नामांकन समिति' द्वारा अनुच्छेद के तहत संदर्भित ऐसे संभावित सदस्यों की पहचान के लिए पालन किया जाएगा।

iv. नामांकन समिति पात्र आवेदक के लिए प्रत्येक मानदंड के विरुद्ध दिए जाने वाले 'आवेदक की पात्रता स्कोर' दर्शाने वाली निम्नलिखित तालिका पर विचार करेगी:

आवेदक की पात्रता स्कोर के लिए मानदंड	अधिकतम स्कोर
पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी को दूध की आपूर्ति के दिनों की संख्या (95% या अधिक दिन -25 अंक; 85% से<95% दिन - 20 अंक; 75% से<85% - 15 अंक; 65% से<75% - 10 अंक; 55% से<65% - 5 अंक; <55% - 0 अंक)	50
अंशपूजी की सदस्यता पिछले वित्तीय वर्ष की 31 मार्च तक वास्तविक आवश्यकता के 10% से अधिक कम नहीं है	10
पिछले 3 वर्षों से सदस्य योग्यता लगातार बनाए रखी है (प्रत्येक वर्ष के लिए 8.33 अंक)	25
अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया - उत्पादक / महिला जागरूकता (5 अंक); वीसीजी (5 अंक) / एमआरजी (5 अंक)/नेतृत्व विकास कार्यक्रम (5 अंक) के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम; सामर्थ्य मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के निदेशक मंडल प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया (15 अंक)	15
कुल	100

v. बोर्ड द्वारा गठित 'नामांकन समिति' में शामिल होंगे-

i. बोर्ड पर एक उत्पादक-सदस्य निदेशक उस सदस्यता वर्ग से जिसके लिए रिक्त उत्पन्न हुई है, बशर्ते कि ऐसा उत्पादक-सदस्य निदेशक वह न हो जो उस AGM में सेवानिवृत्त हो रहे हो। यदि एक से अधिक उत्पादक-सदस्य निदेशक योग्य हों, तो लॉट

निकालकर एक NC सदस्य की पहचान की जाएगी। साथ ही, यदि उस वर्ग से कोई उत्पादक-सदस्य निदेशक उपलब्ध नहीं है, तो लॉट निकालकर किसी अन्य उत्पादक-सदस्य निदेशक की पहचान की जाएगी;iii. डेयरी उद्योग से एक विशेषज्ञ या कोई संस्थान/संगठन जिसने ग्रामीण डेयरी फार्मिंग के विकास के लिए काफी कार्य किया हो;iii. बोर्ड पर मौजूद एक विशेषज्ञ निदेशक/स्वतंत्र निदेशक।iv. कंपनी का कंपनी सचिव 'नामांकन समिति' की सहायता करेगा और नामांकन समिति की बैठक के कार्यवृत्त सहित सभी प्रासंगिक दस्तावेजों को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा।v. 'नामांकन समिति' का कार्यकाल समिति की पहली बैठक की तिथि से लेकर उस तिथि तक होगा जब तक वह कंपनी के बोर्ड को अपनी सिफारिश भेज दे।vi. कोई भी व्यक्ति जो उस संगठन का कर्मचारी है जिसका सामर्थ्य MPC के साथ महत्वपूर्ण व्यावसायिक लेन-देन है, समिति का सदस्य नहीं हो सकता क्योंकि इससे कंपनी के साथ संभावित हितों का टकराव हो सकता है।vii. यदि किसी भी कारण से समिति का कोरम पूरा नहीं होता है, तो रिक्त पद को कंपनी के गैर-कार्यकारी निदेशकों में से भरा जाएगा।बोर्ड ऐसे संभावित सदस्यों की पहचान के लिए 'नामांकन समिति' द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित करेगा।

यह आगे संकल्पित किया जाता है कि, कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक सभी कार्य, कृत्य, मामले और कार्य करने तथा सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और निष्पादित करने का अधिकार दिया जाता है।”

बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के आदेश से

दिनांक: 26.08.2025

स्थान: अयोध्या

उद्भव प्रताप सिंह

कंपनी सचिव

सदस्यता संख्या: 36638

चतुर्थ वार्षिक आम बैठक 2024-2025

टिप्पणियाँ (नोट्स):

1. वार्षिक आम बैठक में भाग लेने और मतदान का हकदार कोई सदस्य, अपने स्थान पर मतदान (शो ऑफ हेंड्स तथा पोल दोनों में) करने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का हकदार है और प्रॉक्सी कंपनी का सदस्य होना चाहिए। गैर-सदस्य को प्रॉक्सी नियुक्त नहीं किया जा सकता। प्रॉक्सी नियुक्त करने का इस्टीमेट प्रभावी होने के लिए उसे due रूप से पूरा किया हुआ, स्टाम्प लगा हुआ और हस्ताक्षरित होना चाहिए और बैठक के निर्धारित समय से कम से कम 48 घंटे पहले कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में जमा किया जाना चाहिए। प्रॉक्सी फॉर्म इसमें संलग्न है।
2. सदस्यों/प्रॉक्सियों से अनुरोध है कि वे बैठक में भाग लेने के लिए भेजे गए उपस्थिति पर्ची (Attendance Slip) को due रूप से भरकर लाएँ।
3. प्रत्येक प्रॉक्सी अधिकतम 300 सदस्यों का प्रतिनिधित्व करेगी और उनकी ओर से मतदान करेगी।
4. सदस्यों के पास रखी गई अंशपूँजी को देखते हुए, प्रत्येक सदस्य के पास एकल मत (शो ऑफ हेंड्स या पोल) होगा।
5. वित्तीय वर्ष 2024-25 की समाप्ति के बाद और इस सूचना की तिथि तक, 10985 नए सदस्यों को भर्ती किया गया, जो आगामी AGM में मतदान करने के हकदार नहीं होंगे।
6. संलग्न सूचना में निर्दिष्ट प्रासंगिक दस्तावेज, सामान्य व्यावसायिक घंटों (11.00 बजे से 16.00 बजे तक) के दौरान शनिवार को छोड़कर सभी कार्यदिवसों पर कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में सदस्यों द्वारा निरीक्षण हेतु खुले रहेंगे।
7. निम्नलिखित दस्तावेज सूचना के साथ संलग्न हैं:
 - a. आइटम नंबर 7,8 में दिए गए नाम के साथ निदेशक के रूप में निर्वाचित होने वाले उम्मीदवारों के संबंध में योग्यता का विवरण।
 - b. 30.09.2024 को आयोजित पिछली वार्षिक आम बैठक के कार्यवृत्त।
 - c. 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी का तुलन पत्र, लाभ-हानि खाता, उससे संबंधित अनुसूचियों एवं टिप्पणियों तथा निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट।
 - d. वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट।
8. सदस्यों से अनुरोध है कि वे AGM के स्थान पर कंपनी द्वारा कोई प्रति उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण, AGM में अपनी 3वीं वार्षिक रिपोर्ट की प्रति लेकर आएँ।
9. कोई भी सदस्य जो कंपनी के खातों या संचालन के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना चाहता है, उससे अनुरोध है कि वह बैठक की तिथि से कम से कम 7 दिन पहले अपना प्रश्न कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर भेजे।
10. सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने सभी पत्राचार में अपना फोलियो नंबर और अपना सदस्य कोड अवश्य बताएं।
11. सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने पते और बैंक खाते का विवरण बदलने की सूचना तुरंत कंपनी को दें।
12. सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी से इलेक्ट्रॉनिक रूप से वार्षिक रिपोर्ट, सूचनाएं, परिपत्र आदि सभी संचार प्राप्त करने के लिए अपना ई-मेल पता पंजीकृत कराएं।
13. नामांकन: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 72 के तहत, सदस्य जो अपना नामांकन दर्ज/अद्यतन करना चाहते हैं, उन्हें निर्धारित प्रारूप SH-13 में नामांकन कंपनी के पास दाखिल करने की सलाह दी जाती है (प्रारूप की प्रति इसमें संलग्न है)।
14. AGM स्थल पर हथियार, फायरआर्म्स, गोला-बारूद, चाकू और ब्लेड, नुकीले उपकरण आदि ले जाना वर्जित है।
15. चौथी वार्षिक आम बैठक की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.saamarthymilk.com पर उपलब्ध है।
16. वार्षिक आम बैठक के स्थान तक पहुँचने के लिए आसान स्थान के लिए एक रूट मैप along with प्रमुख लैंडमार्क वार्षिक आम बैठक की सूचना के साथ संलग्न है।

वार्षिक आम सभा के स्थल मार्ग का मानचित्र



चतुर्थ वार्षिक आम बैठक 2024-2025

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 378ZA(4)(c) के तहत निदेशक के रूप में निर्वाचित होने वाले उम्मीदवारों के संबंध में योग्यता का विवरण

आइटम नंबर: 6, 7

विवरण	श्रीमती अंजना	श्रीमती सुस्मा देवी
नाम	श्रीमती अंजना	श्रीमती सुस्मा देवी
आयु:	35 वर्ष	37 वर्ष
योग्यता:	हाई-स्कूल	इंटरमीडिएट
व्यवसाय	पशुपालन एवं डेयरी फार्मिंग	पशुपालन एवं डेयरी फार्मिंग
अनुभव:	10 वर्ष	8 वर्ष
नियुक्ति की शर्तें:	गैर-कार्यकारी निदेशक, रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी	गैर-कार्यकारी निदेशक, रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी
भुगतान किया जाने वाला पारिश्रमिक और अंतिम प्राप्त पारिश्रमिक	0	0
बोर्ड पर प्रथम नियुक्ति की तिथि:	04/08/2025	29/07/2025
आयोजित बोर्ड बैठकों में उपस्थिति:	1	1
अंशधारिता: (अंश)	53 इक्विटी अंश	19 इक्विटी अंश
अन्य निदेशकों और KMP के साथ संबंध:	नहीं (NO)	नहीं (NO)
बोर्ड की समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता:	नहीं (NO)	नहीं (NO)

बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के आदेश से

दिनांक: 26.08.2025

स्थान: अयोध्या

उद्भव प्रताप सिंह

कंपनी सचिव

सदस्यता संख्या: 36638

चतुर्थ वार्षिक आम बैठक 2024-2025

व्याख्यात्मक विवरण (Explanatory Statement)

आइटम संख्या 6

श्रीमती अंजना को कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में, कंपनी के संघ के लेखों के साथ पढ़ते हुए, 4 अगस्त, 2025 से कंपनी के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। श्रीमती अंजना केवल कंपनी की आगामी वार्षिक आम बैठक की तिथि तक पद धारण करेंगी।

बोर्ड का मत है कि श्रीमती अंजना की कंपनी के बोर्ड पर निदेशक के रूप में नियुक्ति वांछनीय है और कंपनी के लिए लाभकारी होगी, और इसलिए यह कंपनी के सदस्यों द्वारा अनुमोदन हेतु उक्त प्रस्ताव संख्या 7 की अनुशंसा करता है।

श्रीमती अंजना स्वयं को छोड़कर, कंपनी के किसी भी निदेशक/मुख्य प्रबंधन कार्मिक/उनके संबंधियों का उक्त प्रस्ताव में किसी भी प्रकार से कोई संबंध या हित नहीं है। बोर्ड इस प्रस्ताव को एक साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित किए जाने की अनुशंसा करता है।

आइटम संख्या 7

श्रीमती सुसमदेवी को कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में, कंपनी के संघ के लेखों के साथ पढ़ते हुए, 29 जुलाई, 2025 से कंपनी के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। श्रीमती सुसमदेवी केवल कंपनी की आगामी वार्षिक आम बैठक की तिथि तक पद धारण करेंगी।

बोर्ड का मत है कि श्रीमती सुसमदेवी को कंपनी के बोर्ड पर निदेशक के रूप में नियुक्ति वांछनीय है और कंपनी के लिए लाभकारी होगी, और इसलिए यह कंपनी के सदस्यों द्वारा अनुमोदन हेतु उक्त प्रस्ताव संख्या 8 की अनुशंसा करता है।

श्रीमती सुसमदेवी स्वयं को छोड़कर, कंपनी के किसी भी निदेशक/मुख्य प्रबंधन कार्मिक/उनके संबंधियों का उक्त प्रस्ताव में किसी भी प्रकार से कोई संबंध या हित नहीं है। बोर्ड इस प्रस्ताव को एक साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित किए जाने की अनुशंसा करता है।

आइटम संख्या 8

SAAMARTHYA MILK PRODUCER COMPANY LTD			
S.No.	Particulars	Total (Rs. in	Per Kg.
		Budget FY 25-26	Budget FY 25-26
	Total Procurement - KG	13,66,99,417	
	Average Procurement - KGPD	3,74,519.0	
	Fat %	5.46%	
	SNF %	8.66%	
A	Sales Realisation*	72,878.4	53.31
	Increase & (Decrease) in Inventory		
B	Less : Producer Price	63,780.2	46.66
C	Gross Margin	9,098.2	6.66
D	Sahayak Margin	1,772.2	1.30
E	Milkvan Transport (Village to MCC/BMC)	1,021.1	0.75
F	Outward Freight (MCC/BMC to Bulk Milk buyer)	2,720.8	1.99
G	Chilling Charges	694.4	0.51
H	Farmers Incentive	460.0	0.34
I	Consumables	136.7	0.10
J	Variable Cost - Milk Procurement exp	467.2	0.34
K	Variable Cost Total	7,272.5	5.32
I	Contribution	1,825.7	1.34
	ICT Cost	74.7	0.05
	Depreciation	300.0	0.22
	Less : Fixed Cost -Administrative exp	508.8	0.37
	Manpower	900.7	0.66
J	Fixed Cost Total	1,784.2	1.31
K	Profit/(Loss) from Milk Operations before Grant Support	41.5	0.0
L	Support of Grant	-	-
M	Profit/(Loss) from Milk Operations after Grant Support	41.5	0.0
N	Input Services Program Cost	-	-
O	Other Income	145.0	0.1
P	Cattel Feed & Mineral Mixture	32.2	0.0
Q	Profit/(Loss) before tax	218.7	0.16

राजस्व बजट 2025-26

Capital Cost			
Budget FY25-26			
Type	Particulars	Budgeted 25-26	
		QTY	Rate Amount in Lakhs
MTP SETUP	Data Processing Milk Collection Unit	200	1.20 240.00
BMC SETUP	5 KL Bulk Milk Coolers (BMC) and BMC Accessories	2	25.00 50.00
MTP SETUP	Milk Can	5000	0.035 175.00
Milk Sale	Milk Can Chilling System	3	2.5 7.50
ICT	ICT		35.35
	Total		507.85

चतुर्थ वार्षिक आम बैठक 2024-2025

आइटम संख्या 9

इस एजेंडा आइटम का उद्देश्य नामांकन समिति के गठन के लिए दिशा-निर्देश पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना है। इन दिशा-निर्देशों को बोर्ड में रिक्त पदों (उत्पादक सदस्य निदेशकों के चयन हेतु) के लिए पात्र सदस्यों से प्राप्त आवेदनों की जांच करने हेतु उत्तरदायी एक समिति के गठन के लिए एक संरचित और पारदर्शी प्रक्रिया स्थापित करने के इरादे से तैयार किया गया है। ये दिशा-निर्देश नामांकन समिति की संरचना, जिम्मेदारियों और उस प्रक्रिया को परिभाषित करते हैं, जिसका पूर्व-निर्धारित और वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर उम्मीदवारों का मूल्यांकन करते समय पालन किया जाना है। इसका लक्ष्य एक निष्पक्ष, सुसंगत और योग्यता-आधारित चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करना है जो संगठन की अखंडता और शासन मानकों का पालन करती हो।

सामर्थ्य मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की तीसरी वार्षिक आम बैठक के कार्यवृत्त

दिनांक: सोमवार, 30 सितंबर, 2024

समय: दोपहर 12.30 बजे

स्थान: होटल द मीरा, लखनऊ प्रयागराज रोड, आईटीआई क्रॉस के नजदीक, रोडा, रायबरेली (उत्तर प्रदेश) - 229001

सामर्थ्य मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की तीसरी वार्षिक आम बैठक में उपस्थित सदस्य/प्रतिनिधि

क्र.सं.	नाम	फो लियो नंबर	एजीएम में भागीदारी का दर्जा
1	लक्ष्मी देवी	0000002	अध्यक्ष
2	कुमकुम	0000006	निदेशक एवं अंशधारक
3	तेज कुमारी	0000008	निदेशक एवं अंशधारक
4	चंदनी	0000010	निदेशक एवं अंशधारक
5	कृष्णा सिंह	0007670	अंशधारक
6	संजू वर्मा	0008166	अंशधारक
7	पूनिता	0026842	अंशधारक
8	नेहा सिंह	0000004	अंशधारक
9	गायत्री	0000005	अंशधारक

चतुर्थ वार्षिक आम बैठक 2024-2025

10	संतोष कुमारी	0000009	अंशधारक
11	विद्या	0002988	अंशधारक
12	किरण देवी	0003213	अंशधारक
13	अंजली मौर्य	0005354	अंशधारक
14	संगीता देवी	0008225	अंशधारक
15	अनीता देवी	0010272	अंशधारक
16	ललिता	0015023	अंशधारक
17	सरिता वर्मा	0015026	अंशधारक
18	राजवती देवी	0015779	अंशधारक
19	मालती	0015780	अंशधारक
20	सुमन	0018509	अंशधारक
21	रूप रानी	0020412	अंशधारक
22	रेखा यादव	0021932	अंशधारक
23	पिंकी	0024079	अंशधारक
24	निशा कुमारी	0024080	अंशधारक
25	आरती देवी	0024088	अंशधारक
26	सरोज सिंह	0024257	अंशधारक
27	किरण सिंह	0025389	अंशधारक
28	देवमती	0034128	अंशधारक
29	सुमन	0035798	अंशधारक
30	शैल कुमारी	0037008	अंशधारक
31	द्यावती	0040556	अंशधारक
32	सुमन	0042058	अंशधारक

चतुर्थ वार्षिक आम बैठक 2024-2025

33	गीता	0043433	अंशधारक
34	केश कुमारी	0045065	अंशधारक
35	राजपति	0045179	अंशधारक
36	अनसया यादव	0050729	अंशधारक
37	नीतू यादव	0052810	अंशधारक
38	सुमन बाला	0001151	प्रॉक्सी (294 अंशधारकों का प्रतिनिधित्व)
39	कुसुम	0002855	प्रॉक्सी (300 अंशधारकों का प्रतिनिधित्व)
40	सिम्रा	0002895	प्रॉक्सी (300 अंशधारकों का प्रतिनिधित्व)
41	अर्चना	0002996	प्रॉक्सी (300 अंशधारकों का प्रतिनिधित्व)
42	श्यामा देवी	0004067	प्रॉक्सी (300 अंशधारकों का प्रतिनिधित्व)
43	सरिता देवी	0004188	प्रॉक्सी (300 अंशधारकों का प्रतिनिधित्व)
44	गोमती देवी	0005301	प्रॉक्सी (300 अंशधारकों का प्रतिनिधित्व)
45	शैल कुमारी	0005504	प्रॉक्सी (300 अंशधारकों का प्रतिनिधित्व)
46	बीना	0006455	प्रॉक्सी (300 अंशधारकों का प्रतिनिधित्व)
47	प्रीति यादव	0008116	प्रॉक्सी (295 अंशधारकों का प्रतिनिधित्व)
48	अर्चना देवी	0008165	प्रॉक्सी (299 अंशधारकों का प्रतिनिधित्व)
49	अनीता	0008218	प्रॉक्सी (298 अंशधारकों का प्रतिनिधित्व)
50	गौतम	0008415	प्रॉक्सी (298 अंशधारकों का प्रतिनिधित्व)
51	कुसुम	0009126	प्रॉक्सी (300 अंशधारकों का प्रतिनिधित्व)
52	आशा देवी	0010273	प्रॉक्सी (300 अंशधारकों का प्रतिनिधित्व)
53	शशि	0010283	प्रॉक्सी (300 अंशधारकों का प्रतिनिधित्व)
54	ललिता सिंह	0012258	प्रॉक्सी (300 अंशधारकों का प्रतिनिधित्व)
55	सुशीला सिंह	0012300	प्रॉक्सी (300 अंशधारकों का प्रतिनिधित्व)

चतुर्थ वार्षिक आम बैठक 2024-2025

56	रेखा देवी	0013810	प्रॉक्सी (299 अंशधारकों का प्रतिनिधित्व)
57	भुओलिया देवी	0013811	प्रॉक्सी (300 अंशधारकों का प्रतिनिधित्व)
58	नीलम	0013999	प्रॉक्सी (300 अंशधारकों का प्रतिनिधित्व)
59	स्वाति	0014695	प्रॉक्सी (300 अंशधारकों का प्रतिनिधित्व)
60	क्रांति पटेल	0014855	प्रॉक्सी (300 अंशधारकों का प्रतिनिधित्व)
61	आरती	0014865	प्रॉक्सी (300 अंशधारकों का प्रतिनिधित्व)
62	ममता देवी	0015483	प्रॉक्सी (300 अंशधारकों का प्रतिनिधित्व)
63	ओमवती	0016480	प्रॉक्सी (300 अंशधारकों का प्रतिनिधित्व)
64	आराधना	0017636	प्रॉक्सी (300 अंशधारकों का प्रतिनिधित्व)
65	मनीषा	0017952	प्रॉक्सी (257 अंशधारकों का प्रतिनिधित्व)
66	अंजू देवी	0018054	प्रॉक्सी (297 अंशधारकों का प्रतिनिधित्व)
67	क्रांति	0018191	प्रॉक्सी (295 अंशधारकों का प्रतिनिधित्व)
68	उमा	0018492	प्रॉक्सी (300 अंशधारकों का प्रतिनिधित्व)
69	गुड्डिया	0018494	प्रॉक्सी (300 अंशधारकों का प्रतिनिधित्व)
70	राजेश्वरी	0018723	प्रॉक्सी (300 अंशधारकों का प्रतिनिधित्व)
71	ग्रीशा देवी	0020480	प्रॉक्सी (300 अंशधारकों का प्रतिनिधित्व)
72	आराध्या तिवारी	0021367	प्रॉक्सी (300 अंशधारकों का प्रतिनिधित्व)
73	पुष्पा	0022810	प्रॉक्सी (300 अंशधारकों का प्रतिनिधित्व)
74	सरोज कुमारी	0023796	प्रॉक्सी (300 अंशधारकों का प्रतिनिधित्व)
75	गुड्डिया	0024084	प्रॉक्सी (300 अंशधारकों का प्रतिनिधित्व)
76	रासू कुमारी	0025425	प्रॉक्सी (300 अंशधारकों का प्रतिनिधित्व)
77	राजकुमारी	0030133	प्रॉक्सी (300 अंशधारकों का प्रतिनिधित्व)
78	सुनीता	0031399	प्रॉक्सी (300 अंशधारकों का प्रतिनिधित्व)

चतुर्थ वार्षिक आम बैठक 2024-2025

79	मीना	0033915	प्रॉक्स (298 अंशधारकों का प्रतिनिधित्व)
80	प्रीति देवी	0035627	प्रॉक्सी (297 अंशधारकों का प्रतिनिधित्व)
81	प्रीति पांडेय	0036204	प्रॉक्सी (292 अंशधारकों का प्रतिनिधित्व)
82	सुनीता	0037874	प्रॉक्सी (300 अंशधारकों का प्रतिनिधित्व)
83	काजल यादव	0038982	प्रॉक्सी (300 अंशधारकों का प्रतिनिधित्व)
84	ज्ञानमती	0040115	प्रॉक्सी (300 अंशधारकों का प्रतिनिधित्व)
85	पूजा यादव	0041485	प्रॉक्सी (296 अंशधारकों का प्रतिनिधित्व)
86	माया देवी	0041696	प्रॉक्सी (300 अंशधारकों का प्रतिनिधित्व)
87	सरोज कुमारी	0041954	प्रॉक्सी (300 अंशधारकों का प्रतिनिधित्व)
88	अमिता कुमारी मौर्य	0042057	प्रॉक्सी (300 अंशधारकों का प्रतिनिधित्व)
89	सुमन	0044656	प्रॉक्सी (299 अंशधारकों का प्रतिनिधित्व)
90	सरिता	0045178	प्रॉक्सी (300 अंशधारकों का प्रतिनिधित्व)
91	सरिका सिंह	0045731	प्रॉक्सी (300 अंशधारकों का प्रतिनिधित्व)
92	उषा यादव	0046429	प्रॉक्सी (287 अंशधारकों का प्रतिनिधित्व)
93	इंदु देवी	0049387	प्रॉक्सी (299 अंशधारकों का प्रतिनिधित्व)

C. उपस्थित सदस्यों की सर्वसम्मति से, तीसरी वार्षिक आम बैठक बुलाने की सूचना, जो पहले ही सदस्यों को भेजी जा चुकी थी, को पढ़ा हुआ माना गया।

D. इसके बाद, अध्यक्ष महोदया ने सदस्यों को संबोधित किया और तीसरी AGM की सूचना में निर्धारित कार्यों को करने का निर्देश दिया।

साधारण कार्य:

1. वित्तीय विवरणों का अनुमोदन: श्रीमती पिकी (फोलियो नंबर 0024079) ने निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव रखा:

प्रस्ताव क्रमांक 3rd AGM: 30.09.2024:1/2024-25: 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए अंकेक्षित तुलन पत्र, लाभ-हानि खाता, नकदी प्रवाह विवरण, संलग्न अनुसूचियाँ एवं टिप्पणियाँ तथा निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को अनुमोदित और

स्वीकृत किया जाए।

श्रीमती सुमन (फोलियो नंबर 0035798) ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया।

अध्यक्ष महोदया ने हाथ खड़े करके मतदान कराया और प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित घोषित किया।

2. लाभांश की घोषणा: श्रीमती निशा (फोलियो नंबर 0024080) ने निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव रखा:

प्रस्ताव क्रमांक 3rd AGM: 30.09.2024:2/2024-25: 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लाभों में से 100 रुपये प्रत्येक के 6,04,934 पूर्णतः भुगतान योग्य इक्विटी अंशों पर 8 रुपये प्रति अंश की दर से, अर्थात वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कुल 48,39,472/- रुपये का सीमित प्रतिफल (लाभांश) स्वीकृत किया जाए और इसका भुगतान 31 मार्च, 2024 को सदस्य रजिस्टर में दर्ज अंशधारकों को किया जाए।

श्रीमती रूप रानी (फोलियो नंबर 0020412) ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया।

अध्यक्ष महोदया ने हाथ खड़े करके मतदान कराया और प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित घोषित किया।

3. श्रीमती चंदनी का पुनर्निर्वाचन: श्रीमती आरती देवी (फोलियो नंबर 0024088) ने निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव रखा:

प्रस्ताव क्रमांक 3rd AGM: 30.09.2024:3/2024-25: श्रीमती चंदनी (DIN: 09554863), जो इस AGM में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त हो रही हैं और पुनर्निर्वाचन हेतु पात्र हैं, को कंपनी के निदेशक के रूप में पुनर्निर्वाचित किया जाए।

श्रीमती नीतू यादव (फोलियो नंबर 0052810) ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया।

अध्यक्ष महोदया ने हाथ खड़े करके मतदान कराया और प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित घोषित किया।

4. श्रीमती कुमकुम का पुनर्निर्वाचन: श्रीमती अनुसुइया (फोलियो नंबर 0050729) ने निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव रखा:

प्रस्ताव क्रमांक 3rd AGM: 30.09.2024:4/2024-25: श्रीमती कुमकुम (DIN: 09554864), जो इस AGM में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त हो रही हैं और पुनर्निर्वाचन हेतु पात्र हैं, को कंपनी के निदेशक के रूप में पुनर्निर्वाचित किया जाए।

श्रीमती विद्या (फोलियो नंबर 0002988) ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया।

अध्यक्ष महोदया ने हाथ खड़े करके मतदान कराया और प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित घोषित किया।

5. श्रीमती नेहा सिंह की नियुक्ति: श्रीमती राजपति (फोलियो नंबर 0045179) ने निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव रखा:

प्रस्ताव क्रमांक 3rd AGM: 30.09.2024:5/2024-25: श्रीमती नेहा सिंह (DIN: 10628096), जिन्हें 15 मई, 2024 से अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाए।

श्रीमती सरोज सिंह (फोलियो नंबर 0024257) ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया।

अध्यक्ष महोदया ने हाथ खड़े करके मतदान कराया और प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित घोषित किया।

6. श्रीमती कृष्णा सिंह की नियुक्ति: श्रीमती सुमन पांडेय (फोलियो नंबर 0018509) ने निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव रखा:

प्रस्ताव क्रमांक 3rd AGM: 30.09.2024:6/2024-25: श्रीमती कृष्णा सिंह (DIN: 10628106), जिन्हें 15 मई, 2024 से अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाए। श्रीमती सरोज सिंह (फोलियो नंबर 0024257) ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। अध्यक्ष महोदया ने हाथ खड़े करके मतदान कराया और प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित घोषित किया।

7. श्रीमती पूनिता की नियुक्ति: श्रीमती सुमन मौर्य (फोलियो नंबर 0042058) ने निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव रखा:

प्रस्ताव क्रमांक 3rd AGM: 30.09.2024:7/2024-25: श्रीमती पूनिता (DIN: 10628136), जिन्हें 15 मई, 2024 से अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाए। श्रीमती गीता (फोलियो नंबर 0043433 - नोट: यह फोलियो नंबर सूची में गीता के नाम से है, 0045065 केश कुमारी का है) ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। अध्यक्ष महोदया ने हाथ खड़े करके मतदान कराया और प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित घोषित किया।

8. श्रीमती संजू वर्मा की नियुक्ति: श्रीमती दयावती (फोलियो नंबर 0040556) ने निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव रखा:

प्रस्ताव क्रमांक 3rd AGM: 30.09.2024:8/2024-25: श्रीमती संजू वर्मा (DIN: 10628125), जिन्हें 15 मई, 2024 से अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाए।

श्रीमती देवमती (फोलियो नंबर 0034128) ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया।

अध्यक्ष महोदया ने हाथ खड़े करके मतदान कराया और प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित घोषित किया।

9. वित्तीय वर्ष 2024-2025 के बजट का अनुमोदन: श्रीमती केश कुमारी (फोलियो नंबर 0045065) ने निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव रखा:

प्रस्ताव क्रमांक 3rd AGM: 30.09.2024:9/2024-25: 1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक की अवधि के लिए कंपनी के बजट को अनुमोदित किया जाए। श्रीमती शैल कुमारी (फोलियो नंबर 0037008) ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया।

अध्यक्ष महोदया ने हाथ खड़े करके मतदान कराया और प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित घोषित किया।

10. अधिकृत पूंजी में वृद्धि: श्रीमती संगीता (फोलियो नंबर 0008225) ने निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव रखा:

चतुर्थ वार्षिक आम बैठक 2024-2025

यह संकल्पित किया जाता है कि, कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXI-A, विशेष रूप से धारा 378H, 378ZQ, 378ZR तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों (यदि कोई हों) के अनुसरण में (साथ ही उनमें किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित, जो उस समय प्रवृत्त हों), कंपनी के ज्ञापन तथा संघ के लेखों के लागू प्रावधानों के अनुसार और कंपनी की प्रथम वार्षिक आम बैठक में शेरधारकों की स्वीकृति के अधीन, कंपनी की अधिकृत पूंजी को 10,00,00,000/- (दस करोड़ रुपये मात्र) से, जो 100/- (एक सौ रुपये) प्रत्येक के 10,00,000 (दस लाख) इक्विटी अंशों में विभाजित है, बढ़ाकर 25,00,00,000/- (पच्चीस करोड़ रुपये मात्र) कर दिया जाए, जो 100/- (एक सौ रुपये) प्रत्येक के 25,00,000 (पच्चीस लाख) इक्विटी अंशों में विभाजित होगी, जिसके लिए 100/- (एक सौ रुपये) प्रत्येक के अतिरिक्त 15,00,000 (पंद्रह लाख) इक्विटी अंश सृजित किए जाएंगे।

आगे यह संकल्पित किया जाता है कि, कंपनी के ज्ञापन में वर्तमान खंड VI के स्थान पर निम्नलिखित नए खंड VI को प्रतिस्थापित करके इसमें संशोधन किया जाए: VI. कंपनी की अधिकृत पूंजी 25,00,00,000/- (पच्चीस करोड़ रुपये) है, जो 100/- (एक सौ रुपये) प्रत्येक के 25,00,000 (पच्चीस लाख मात्र) इक्विटी अंशों में विभाजित है। इसके आगे यह संकल्पित किया जाता है कि, इस संकल्प को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से, कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को यह अधिकार दिया जाता है कि वे अपने पूर्ण विवेक से आवश्यक और उचित समझे जाने वाले सभी कदम उठाएँ, सभी कार्य, कृत्य, मामले और कार्यवाहियाँ करें तथा इस संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न, कठिनाई या संदेह का समाधान करें। श्रीमती रेखा यादव (फोलियो नंबर 0021932) ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया।

अध्यक्ष महोदया ने हाथ खड़े करके मतदान कराया और प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित घोषित किया।

11. संघ के लेखों में संशोधन: श्रीमती संतोष कुमारी (फोलियो नंबर 0000009) ने निम्नलिखित विशेष प्रस्ताव रखा:

यह संकल्पित किया जाता है कि, कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXI-A के प्रासंगिक प्रावधानों, विशेष रूप से धारा 378-I, 378ZQ, 378ZR तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 31 सहित अन्य लागू प्रावधानों (यदि कोई हों) के अनुसरण में (साथ ही उनमें किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित, जो उस समय प्रवृत्त हों, जैसे कि लागू हो मुटैटिस म्यूटैंडिस या अन्यथा), और कंपनी के ज्ञापन तथा संघ के लेखों के लागू प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के मौजूदा संघ के लेखों (Articles of Association) में निम्नानुसार और निम्न सीमा तक संशोधन किया जाए:

1. मौजूदा अनुच्छेद 9.5(i) को निम्नलिखित रूप में बदला जाए:

बोर्ड पर प्रत्येक वर्ग के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले पदों की संख्या, यथासंभव, संबंधित वर्ग के संरक्षण (patronage) पर आधारित होगी। हालाँकि, कंपनी की चौथी वार्षिक आम बैठक तक इस आवश्यकता को माफ कर दिया गया है।”

2. मौजूदा अनुच्छेद 9.6(ii) को निम्नलिखित रूप में बदला जाए:

वार्षिक आम बैठक में भरने के लिए बोर्ड पर कोई भी रिक्त बोर्ड द्वारा नियुक्त नामांकन समितिकी सिफारिश पर आधारित होगी।

चतुर्थ वार्षिक आम बैठक 2024-2025

हालाँकि, यह प्रावधान कंपनी की चौथी AGM के बाद प्रचलन में आया और तब तक रिक्त पद कंपनी के बोर्ड की सिफारिश पर भरा जाएगा।”

3. मौजूदा अनुच्छेद 9.7 को निम्नलिखित रूप में बदला जाए:

बोर्ड पर रिक्त पदों को भरने के लिए या अन्यथा, बोर्ड आकस्मिक रिक्ति भरने के लिए अतिरिक्त निदेशकों या निदेशकों को सह-चुन सकता है, बशर्ते कि आकस्मिक रिक्ति भरने के लिए चिन्हित सदस्य ने कम से कम पिछले दो वित्तीय वर्षों के लिए सदस्यता निरंतरता मानदंड) पूरा किया हो और इस प्रकार नियुक्त अतिरिक्त निदेशक या निदेशक कंपनी की अगली वार्षिक आम बैठक तक या उससे कम अवधि के लिए पद धारण करेगा, यदि बोर्ड नियुक्ति के समय ऐसा निर्णय करता है। हालाँकि, ऐसे व्यक्ति को बोर्ड पर रिक्त पद भरने के लिए लगातार दो बाद के वर्षों में सह-चुना नहीं जा सकता है। इसके अलावा, 'कम से कम पिछले दो वित्तीय वर्षों के लिए सदस्यता निरंतरता मानदंड' की आवश्यकता कंपनी की चौथी वार्षिक आम बैठक के समापन से प्रभावी होगी। आगे यह संकल्पित किया जाता है कि, कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को इस संकल्प को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक सभी कार्य, कृत्य, मामले और कार्यवाहियाँ करने, कंपनियों के रजिस्ट्रार के पास आवश्यक प्रारूप दाखिल करने तथा आवश्यक सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और निष्पादित करने का अधिकार दिया जाता है।”

प्रस्ताव का समर्थन: श्रीमती गायत्री (फोलियो नंबर 0000005) ने उपरोक्त प्रस्ताव का समर्थन किया। अध्यक्ष महोदया ने प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा। हाथ खड़े करके कराए गए मतदान के पश्चात, उन्होंने इसे सर्वसम्मति से पारित घोषित किया।

12. आभार ज्ञापन: बैठक में और कोई कार्य न होने के कारण, अध्यक्ष महोदया के प्रति आभार ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

हस्ताक्षर:

लक्ष्मी देवी

अध्यक्ष

दिनांक: 25 अक्टूबर, 2025

फॉर्म नंबर एमजीटी-11

प्रारूप

समर्थ्य मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

सीआईएन: U01100UP2022PTC161571

स्थान: द्वितीय तल, गाटा संख्या 466, 466/2, 466 एमआई/29, 30 एमआई,

ग्राम अखित्यारपुर/अहमदपुर, नजूल (बूम्बैया कोठी),

तालुका-सदर, रायबरेली, उत्तर प्रदेश, भारत-229001

दूरभाष 7317715550

ईमेल: info@saamarthyamilk.com

सदस्य(सदस्यों) का नाम:

पंजीकृत पता:

ईमेल आईडी:

फोलियो नं.:

मैं/हम उपर्युक्त कंपनी केशेयरों के सदस्य होने के नाते, एतद्वारा नियुक्त करते हैं

1. नाम

फोलियो नं.

पता।

ईमेल आईडी

हस्ताक्षर, या उसे विफल करना

2. नाम

पता

ईमेल आईडी

हस्ताक्षर....., या उसे विफल करना

3. नाम

ईमेल आईडी

हस्ताक्षर.....

कंपनी की चौथी वार्षिक आम बैठक में भाग लेने और मेरे लिए और मेरी ओर से वोट करने के लिए मेरे प्रॉक्सी के रूप में, जो रविवार, 21 सितंबर, 2025 को दोपहर 01.00 बजे 'होटल दा सफायर', एस.जे.एस इंटर-कॉलेज के सामने, 'रायबरेली, उत्तर प्रदेश 229001'. पर आयोजित होगी और उसके किसी भी स्थान पर ऐसे संकल्पों के संबंध में जैसा कि नीचे दर्शाया गया है

क्रम संख्या	संकल्प	वोट		
		पक्ष में	विपक्ष में	तटस्थ
1.	31 मार्च, 2025 को बैलेंस शीट और उस तारीख को समाप्त अवधि के लिए कंपनी के लाभ और हानि खाते को प्राप्त करने, विचार करने और अपनाने के लिए, शेड्यूल और नोट्स के साथ उसका हिस्सा और निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट।			
2.	कंपनी की शेयर पूंजी पर सीमित प्रतिफल (लाभांश) की घोषणा पर विचार करना और स्वीकृति देना।			
3.	निदेशक के पद से श्रीमती अनामिका (डीआईएन: 09554865) के सेवानिवृत्त होने पर विचार करना, जो रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त हो रही हैं, और इस संबंध में निम्नलिखित साधारण संकल्प पारित करना:			
4.	निदेशक के पद से श्रीमती मकुम(डीआईएन:09554864) के सेवानिवृत्त होने पर विचार करना, जो रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त हो रही हैं, और इस संबंध में निम्नलिखित साधारण संकल्प पारित करना:			
5.	निदेशक के पद से श्रीमती चाँदनी (डीआईएन: 09554863) के सेवानिवृत्त होने पर विचार करना, जो रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त हो रही हैं, और इस संबंध में निम्नलिखित साधारण संकल्प पारित करना:			
6.	श्रीमती अंजना (डीआईएन 11218527) की निदेशक के रूप में नियुक्ति।			
7.	श्रीमती सुस्मदेवी (डीआईएन 11218533) की निदेशक के रूप में नियुक्ति।			
8.	कंपनी के वित्तीय वर्ष 2025-2026 के बजट पर विचार करना और स्वीकृति देना।			
9.	निर्धारित मानदंडों के आधार पर बोर्ड में रिक्त पद के लिए पात्र सदस्यों से प्राप्त आवेदनों की जांच-पड़ताल करने हेतु 'नामांकन समिति के गठन के दिशा-निर्देश' पर विचार करना और स्वीकृति देना।			

चतुर्थ वार्षिक आम बैठक 2024-2025

सितंबर, 2025 के दिन पर हस्ताक्षर किए गए

शेयरधारक के हस्ताक्षर:

प्रॉक्सी धारक के हस्ताक्षर:

Affix
Rs. 1.
Revenue
Stamp

नोट: प्रॉक्सी

फॉर्म को वापस कर दिया जाना चाहिए ताकि उपरोक्त बैठक आयोजित करने के समय से कम से कम **48** घंटे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय तक पहुंच सके। प्रॉक्सी को सदस्य होना चाहिए।

उपस्थिति पर्ची (Attendance Slip)

फोलियो संख्या :

--	--	--	--	--	--

सदस्य
कोड :

[illegible]

सामर्थ्य मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

चौथी वार्षिक आम बैठक

दिनांक: रविवार, 21 सितंबर, 2025

समय: दोपहर 01:00 बजे

स्थान: होटल द सैफायर, एसजेएस इंटर-कॉलेज के सामने, रायबरेली, उत्तर प्रदेश 229001

अंश धारक का नाम :-

प्रॉक्सी (PROXY) का नाम :-

(अगर प्रॉक्सी बैठक में भाग ले रहा है तो)

अंशधारक/ प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

* जो लागू नहीं होता है, उसे काट दें।

.....कृपा यहाँ से काटें

पावती

स्थान: दूसरी मंजिल, गाटा नंबर 466, 466/2, 466 एमआई/29, 30 एमआई,

गांव अखितरपुर/अहमदपुर, नजूल (बूमबैया कोठी),

तालुका-सदर, रायबरेली, उत्तर प्रदेश, भारत-229001

दूरभाष: 7317715550

ई मेल : info@saamarthyamilk.com

फोलियो नंबरः.

एमपीपी कोड:

मैं, सदस्य कोड निवासी सामर्थ्या प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का सदस्य हूं। मुझे कंपनी द्वारा सभी संलग्नकों के साथ भेजा गया दूसरी वार्षिक आम बैठक का नोटिस प्राप्त हुआ है।

सदस्य के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

गाय-भैंस में मास्टाइटिस (थन की सूजन)

मास्टाइटिस क्या है?

मास्टाइटिस गाय-भैंस के थनों (उदर) में होने वाली सूजन है।

यह अधिकतर जीवाणु संक्रमण (बैक्टीरिया) के कारण होता है, जिससे दूध की गुणवत्ता खराब होती है और दूध उत्पादन घट जाता है।

लक्षण

- थनों में सूजन, लालिमा या गर्मी
- दुहते समय दर्द होना
- दूध की मात्रा कम होना
- कभी-कभी बुखार व भूख कम होना



थनों में सूजन



दूध का पतला, पानी जैसे या थक्का युक्त होना

मास्टाइटिस के प्रकार

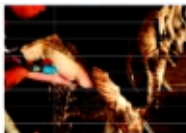
- क्लिनिकल मास्टाइटिस – थनों व दूध में साफ़ लक्षण दिखाई देना।
- सब-क्लिनिकल मास्टाइटिस – बाहर से लक्षण नहीं दिखते, पर दूध उत्पादन घट जाता (जॉब: CMT/BTB टेस्ट)

कारण

- दूध दुहाई पूरी न करना
- मक्खी-कीट का प्रकोप

बचाव के उपाय

- दुहाई करने से पहले हाथ धोएँ
- पशुछाला साफ, सूखी व हवादार रखें
- बीमार पशु को अलग रखें
- संतुलित आहार व मिनरल्स दें



उपचार

- तुरंत पशु चिकित्सक से सलाह लें
- डॉक्टर द्वारा बताई गई एंटीबायोटिक दवा/इंट्रामैमरी इन्फ्यूजन दें
- सूजन व दर्द कम करने के लिए दवा
- संक्रमित दूध को नियमित रूप से निकालें (बेचें/उपयोग न करें)
- सहायक उपचार (विटामिन, खनिज, तरल पदार्थ) दें



मिलक प्रोड्यूसर कंपनी